मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

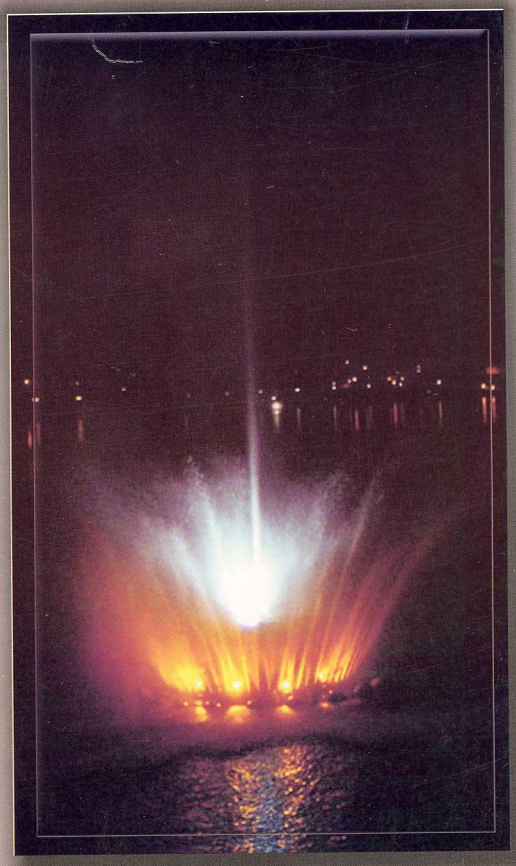

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2004-05

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2004–2005

आवास एवं पर्यावरण विभाग
विभागीय संरचना

मंत्री	श्री राजेन्द्र शुक्ल
प्रमुख सचिव	श्री सत्यप्रकाश
सचिव	श्री एस.एस. उप्पल
उप सचिव	श्री आर. के. त्यागी
उप सचिव	श्री बी.एन. त्रिपाठी
अवर सचिव	श्री सी. बी. पड़वार

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना	1 — 3
अध्याय–1 नगर तथा ग्राम निवेश	4 — 12
अध्याय–2 राजधानी परियोजना प्रशासन	13 — 24
अध्याय–3 गृह निर्माण मण्डल	25 — 36
अध्याय–4 मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ	37 — 40
अध्याय–5 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास संघ	41 — 44
अध्याय–6 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	45 — 53
अध्याय–7 पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन	54 — 69
अध्याय–8 झील संरक्षण प्राधिकरण	70 — 74
अध्याय–9 आपदा प्रबंध संस्थान	75 — 84

आवास एवं पर्यावरण विभाग

आवास एवं पर्यावरण विभाग की दो शाखाएँ हैं, जिनके उद्देश्य एवं उनके अन्तर्गत आने वाले विभाग का विवरण निम्नानुसार हैः–

आवास

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से आवास निर्माण योजनाएं, शासकीय कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण योजनाएँ एवं भवन निर्माण राष्टीय आवास नीति म प्र स्थान नियंत्रण अधिनियम और म प्र प्रकोष्ठ अधिनियम आदि से संबंधित कार्य संपादित होते हैं।

पर्यावरण

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से भूमि प्रबंध, विकास योजनाएं और नियोजन, जैव संसाधन विकास, प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण सुधार, राजधानी परियोजना, राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र से जुड़े कार्य संपादित किये जाते हैं।

विभाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय निम्न है :

- नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय
- राजधानी परियोजना
- गृह निर्माण मण्डल
- मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ
- मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम
- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
- झील संरक्षण प्राधिकरण
- आपदा प्रबंध संस्थान

आवास एवं पर्यावरण विभाग–संक्षेपिका

राज्य की जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विकास अति आवश्यक है, किन्तु हमें यह ध्यान रखना होगा कि विकास के रास्ते पर चलते हुये पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, क्योकि स्वथ्य पर्यावरण एवं विकास एक दूसरे के परिपूरक होंगे तभी स्वपोषी विकास संभव हो सकेगा। यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित न रख सके तो पृथ्वी से मानव सभ्यता का विनाश अधिक दूर नहीं रहेगा। अतः स्वपोशी विकास की अवधारण को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन प्रदेश के सतत विकास के लिये वचनबद्ध है।

राज्य के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजनायें बनाना एवं समय–समय पर उनका पुनरीक्षण करना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा छोटे एवं मझोले नगरों का एकीकृत विकास शासन की प्राथमिकता रही है। नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा 46 नगरों की विकास योजनायें तैयार की जा चुकी हैं। राज्य को 8 विभिन्न निवेश क्षेत्रों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है इसमें बीना पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र की विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर ली गई हैं। वर्ष के दौरान सिहोरा, बड़वानी, बैतूल, सिंगरौली एवं अमरकंटक की विकास योजनायें प्रकाशित की गई हैं। महेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, होशंगाबाद, बालाघाट एवं बैरसिया की विकास योजनायें भी तैयार की जा चुकी हैं। छोटे एवं मझोले नगरों के एकीकृत विकास हेतु 10 नगरों को केन्द्रांश एवं राज्यांश मुक्त किया जा चुका है।

घर सांस्कृतिक मानव की मूल आवश्यकता है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर नागरिक का अपना स्वंय का आवास हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आवास समस्या के प्रभावी निराकरण हेतु एवं स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को बढ़ावा देने हेतु आवास नीति 1995 को पुनरीक्षित करते हुये आवास नीति 2004 का मसौदा एम.पी. हाउसिंग बोर्ड द्वारा तैयार कर लिया गया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा ''वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना'' हेतु उन्हें दिये जाने वाले अनुदान को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। शहरीकरण को ध्यान में रखते हुये मण्डल द्वारा बिट्ठन मार्केट, भोपाल में व्यवसायिक परिसर मेट्रो प्लाजा का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर भूमि के उपयोग को बढ़ाने हेतु राज्य शासन द्वारा पुर्नघनत्वीकरण (रिडेन्सीफिकेशन) योजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत साउथ टी.टी. नगर, भोपाल में प्लेटिनम प्लाजा की परियोजना शीघ्र पूर्ण की जा रही है।

प्रदेश के प्रदूषण मुक्त विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुये मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में आने वाले सभी नये उद्योगों को पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने के उपरांत ही उत्पादन की अनुमति दी गई। आने वाले उद्योगों को अधिकाधिक वृक्षारोपण करने की अनिवार्य शर्त के रूप में पचास हजार से अधिक वृक्षों का रोपण इस वर्ष में किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 9 नदियों के किनारे बसे 11 नगरों के दूषित जल के शुद्धिकरण, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के

अनुसार तैयार किये जा रहे हैं अभी तक 5 डी.पी.आर तैयार किये जा चुके हैं एवं शेष 4 डी.पी.आर. शीघ्र पूर्ण कर भारत सरकार को अनुदान हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की तर्ज पर पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा सागर तालाब एवं शिवपुरी तालाबों की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। राज्य की जनता एवं विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से एप्को को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय हरित कोर योजना हेतु राज्य स्तरीय क्षेत्रीय सम्पर्क इकाई के रूप में मान्य किया गया है। जैव विविधता संरक्षण हेतु शासन द्वारा पचमढ़ी को जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर इसके संरक्षण पर रू 58.20 लाख व्यय किये गये हैं। अमरकंटक को भी जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित करने हेतु छत्तीसगढ सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचना शीघ्र जारी की जावेगी।

भोपाल के बड़े एवं छोटे तालाबों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को–आपरेशन के वित्तीय सहयोग से जून 2004 में पूर्ण की गई, भोज वेटलैण्ड परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर शासन द्वारा प्रदेश के अन्य तालाबों/ झीलों के संरक्षण एवं उनकी जल गुणवत्ता में सुधार की परियोजनायें बनाने हेतु इस वर्ष जून माह में झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण राज्य के विभिन्न तालाबों का अध्ययन कर एवं डी.पी.आर. बनाकर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

प्रदेश में प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं के रोकथाम, इनके प्रभावों के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु राज्य शासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान का गठन किया गया। गृह मंत्रालय, भारत शासन द्वारा इस संस्थान को देश के चुनिंदा 5 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक चुना गया है एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसे देश के 8 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में स्पेशियल इन्वायरमेंटल प्लानिंग के क्षेत्र में मानव संसाधन में क्षमता वृद्धि हेतु चुना गया है।

नगर तथा ग्राम निवेश

भाग – एक

संरचना

नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय का मुख्यालय भोपाल में है जिसकी वर्तमान संरचना निम्नानुसार है :–

संचालक
अपर संचालक
संयुक्त संचालक
सहायक संचालक एवं
कर्मचारीगण

संचालनालय का नवीन भवन म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा ''पर्यावरण परिसर'' ई–5, अरेरा कालोनी में निर्मित किया गया है जिसमें संचालनालय दिनांक 23.9.2001 से कार्यरत है ।

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश **श्री एस.एन. मिश्रा**

अधीनस्थ कार्यालय

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीन 24 कार्यालय हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

1.	संयुक्त संचालक स्तर के कार्यालय	ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, इंदौर, भोपाल	6
2.	उप संचालक स्तर के कार्यालय	खण्डवा, सतना, नीमच, उज्जैन, देवास, गुना, शहडोल	7
3.	सहायक संचालक स्तर के कार्यालय	रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, छतरपुर, विदिशा, राजगढ़, मण्डला, कटनी, भिण्ड, झाबुआ.	11
	कुल कार्यालय		**24**

विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थायें

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नगर विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है। वर्तमान में निम्न प्राधिकरण कार्यरत हैं :–

नगर विकास प्राधिकरण		विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	
1.	भोपाल	1.	नर्मदा घाटी (हरसूद)
2.	इंदौर	2.	ग्वालियर प्रति–आकर्षण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट)
3.	ग्वालियर	3.	पचमढ़ी
4.	उज्जैन		
5.	जबलपुर		
6.	देवास		

दायित्व

1. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यकलाप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नानुसार हैं :–

(अ) **प्रादेशिक विकास योजना –** राज्य को 8 विभिन्न निवेश प्रदेशों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है जिसमें बीना पेट्रोकेमीकल्स प्रदेश की विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर ली गयी है ।

(ब) **नगर विकास योजना –** राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरिक्त पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 46 नगरों की विकास योजनायें तैयार की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	अंतिम विकास योजना मुद्रित
1	2	3	4	5	6	7
प्रकाशित/अंगीकृत विकास योजनायें						
1	इंदौर	10.6.74	1.3.75	विकास प्राधि.	1991	हाँ
2	भोपाल	19.11.74	25.8.75	विकास प्राधि.	1991	हाँ
3	उज्जैन	20.5.75	28.10.75	विकास प्राधि.	1991	हाँ
4	खजुराहो	26.10.75	11.10.77	नगर पंचायत	1991	हाँ
5	जबलपुर	26.8.77	28.9.79	विकास प्राधि.	1991	हाँ
6	ग्वालियर	9.3.79	21.10.80	विकास प्राधि.	1991	हाँ
7	देवास	4.9.79+	10.3.86	विकास प्राधि.	1991	–
8	शिवपुरी	25.4.87	5.8.88	नगर पालिका	2001	हाँ
9	चंदेरी	27.6.87	24.1.89	नगरपालिका	2001	हाँ
10	रतलाम	24.6.85	28.5.90	नगर निगम	2001	हाँ

11	रीवा	28.3.87	27.11.90	नगर निगम	2001	हाँ
12	सतना	29.8.86	18.4.91	नगर निगम	2001	हाँ
13	बुरहानपुर	26.2.93	8.6.95	नगर निगम	2005	हाँ
14	नव हरसूद	23.1.95	14.2.97	साडा	2011	हाँ
15	दमोह	4.7.94	19.3.98	नगर पालिका	2005	हाँ
16	चित्रकूट	6.9.94	3.8.98	नगर पंचायत	2005	हाँ
17	बीना	15.4.99	14.1.2000	नगरपालिका	2011	हाँ
18	सागर	5.6.99	3.3.2000	नगर निगम	2011	हाँ
19	सांची	1.11.99	11.7.2000	नगर पंचायत	2011	हाँ
20	नीमच	25.10.99	5.7.2000	नगर पालिका	2011	हाँ
21	पन्ना	21.10.99	17.5.2000	नगरपालिका	2011	हाँ
22	ग्वालियर साडा	22.10.99	24.4.2000	साडा	2011	हाँ
23	इटारसी	22.2.2000	9.3.2001	नगरपालिका	2011	हाँ
24	खण्डवा	29.2.2000	9.3.2001	नगर निगम	2011	
25	मैहर	18.9.2000	31.8.2001	नगरपालिका	2011	
26	मांडव	24.1.2001	2.11.2001	नगर पंचायत	2011	हाँ
27	छिंदवाड़ा	14.2.2001	09-08-2002	नगरपालिका	2011	
28	शहडोल	22.1.2001	5-12-2002	नगरपालिका	2011	
29	खरगौन	16-3-2002	5-12-2002	नगर पालिका	2011	
30	जावरा	25-3-2002	16-12-2002	नगर पालिका	2011	
31	विदिशा	10.8.2001	21-1-2003	नगरपालिका	2011	
32	मंदसौर	29-9-2002	12-5-2003	नगरपालिका	2011	
33	पाण्ढुर्ना	21-01-2003	29-8-2003	नगरपालिका	2011	
34	गुना	29-03-2003	29-8-2003	नगरपालिका	2011	
35	झाबुआ	5-5-2003	10-10-2003	नगरपालिका	2011	
36	भिण्ड	4-9-2003	28-05-04	नगरपालिका	2011	
37	सीहोर	27.6.2001	31-05-04	नगरपालिका	2011	
38	बड़वानी	6-7-2004	17-12-2004	नगरपालिका	2011	
39	टीकमगढ़	28-2-2004	17-12-2004	नगरपालिका	2011	
40	सिहोरा	23-6-04	28-1-2005	नगरपालिका	2011	
41	पचमढ़ी	11.8.98	–	साडा	2011	अनुमोदन हेतु शासन के विचाराधीन
42	ओरछा	3-8-2002	–	नगर पंचायत	2011	

43	सिंगरौली	20-8-04	–	नगर निगम	2011	
44	अमरकंटक	30-10-2004	–	नगर पंचायत	2015	
45	बैतूल	10-12-2004	–	नगरपालिका	2011	
46	छतरपुर	16-10-2002	–	नगरपालिका	2011	पुर्नप्रकाशन किया जाना है

विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण						
1.	भोपाल	17.10.94	9.6.95	विकास प्राधि.	2005	हाँ
2.	खजुराहो	4.3.94	5.6.95	नगर पंचायत	2011	हाँ
3.	ग्वालियर	29.10.95	19.3.98	विकास प्राधि.	2005	हाँ
4.	जबलपुर	29.12.95	8.12.98	विकास प्राधि.	2005	हाँ
5.	देवास	18.3.2002	17.12.2002	विकास प्राधि.	2011	हाँ
6.	इंदौर	27.6.03	-	विकास प्राधि.	2011	पुर्नप्रकाशन किया जाना है

(स) **पुनरीक्षित विकास योजना –** इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है।

(द) **परिक्षेत्रिक योजना –** नगर विकास योजना को क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर विभिन्न निवेश इकाईयों में विभक्त किया जाता है तथा प्रत्येक इकाई की परिक्षेत्रिक योजना बनाने का प्रावधान भी अधिनियम, 1973 में है। वर्ष 1999 में परिक्षेत्रिक योजना बनाने का दायित्व संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप नगरीय निकायों को सौंपा गया है ।

(इ) **छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना –** केन्द्र प्रवर्तित छोटे तथा मझौले नगरों के विकास हेतु विभिन्न उपांगों संबंधी प्रयोजनों के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा वित्त प्रदाय का महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया जाता है ।

2. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व :–

(अ) प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण।
(ब) प्राधिकारियों के वार्षिक बजट का परीक्षण।
(स) प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न संस्थाओं से राशि उधार लेने के प्रस्तावों का परीक्षण।
(द) प्राधिकारियों की योजनाओं एवं कार्यालयों का राज्य शासन के अनुमोदन अनुसार वार्षिक निरीक्षण करना।

3. अन्य दायित्व

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना। संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके। भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है।

विशेषतायें

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजनाओं हेतु निगरानी करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व हैं।

बेबसाईट प्रदर्शन

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी वेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है। इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975, म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 आदि भी शामिल किये गये हैं। साथ ही सूचना के अधिकार तथा सिटीजन चार्टर की जानकारी भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गयी है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियॉं

क्रमांक	गतिविधियां	उपलब्धि
1.	निवेश क्षेत्र	141
2.	विशेष क्षेत्र	03
3.	भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन	82
4.	विकास योजना प्रकाशन	46
5.	पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन	06
6.	म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील	91
7.	आई.डी.एस.एम.टी. योजनायें	135

विकास योजना बनाने में जनसंख्या का प्रतिशत

राज्य के कुल नगरों की संख्या 368 के मान से 46 नगरों की विकास योजनायें बनाने का कार्य कम प्रतीत हो सकता है, किन्तु महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश के प्रथम श्रेणी के कुल 26 नगरों में से 23 नगरों की तथा द्वितीय श्रेणी के कुल 26 नगरों में से 7 नगरों तथा अन्य 16 नगरों की विकास

याजनायें तैयार की जा चुकी हैं। इस प्रकार कुल 46 विकास योजनाओं द्वारा प्रदेश की 59 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

भाग – दो

बजट

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में ''आयोजना'' बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई :–

वर्ष	आवंटन (लाख रू.में)	व्यय (रूपये लाख में)
2002–2003	1039.36	976.29
2003–2004	318.42	313.33
2004–2005	309.90	949.70 (संभावित) *

टीप– *1. द्वितीय अनुपूरक अनुमान में प्रस्तावित बजट राशि मिलाकर।

भाग – तीन

राज्य प्रवर्तित योजना

क.	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रू.लाख में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण	2002–03	15	5	40.00	36.37
		2003–04	15	4	37.62	31.61
		2004–05	15	15	29.87	29.87+
2.	सूचना प्रौद्योगिकी	2003–04	–	–	6.30	6.30
		2004–05	–	–	5.00	5.00+

टीपः–1. सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत संचालनालय एवं इसके प्रमुख कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा अन्य कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

\+ संभावित व्यय

केन्द्र प्रवर्तित योजना

1. छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना (अनुदान आधारित)

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रू. लाख में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2002–2003	24	20	1410.48 939.92	1410.48 केन्द्रांश 939.92 राज्यांश
2	2003–2004	25	24	411.75 274.50	411.75 केन्द्रांश 274.50 राज्यांश
3	2004–2005 (संभावित)	32	32	1368.10 914.80	1368.10 केन्द्रांश 914.80 राज्यांश

वर्ष 2004–2005 दिसम्बर 2004 तक की उपलब्धियॉं

– **विकास योजना प्रकाशित** — 1. सिहोरा 2. बड़वानी 3. बैतूल 4. सिंगरोली 5. अमरकंटक

– **विकास योजना प्रभावशील** — 1. भिण्ड 2. सीहोर 3. बड़वानी 3. सिहोरा 4. टीकमगढ़

– **विकास योजना अनुमोदन हेतु शासन के विचाराधीन** — 1. पचमढ़ी, 2. ओरछा

– **विकास योजना तैयार** — 1. महेश्वर 2. औंकारेश्वर 3. उज्जैन 4. होशंगाबाद 5. बालाघाट 6. बैरसिया

– **प्रादेशिक योजना प्रकाशन हेतु तैयार** — **बीना पेट्रोकेमिकल्स रीजन**

– छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) हेतु अनुदान राशि मुक्त
केन्द्रांश रूपये 135.50 लाख
राज्यांश रूपये 90.40 लाख

1– कानड़ 2–बड़गांव
3–सुसनेर 4–बड़ामल्हेरा
5–अमानगंज 6–कोठी
7–शाहपुरा 8–पृथ्वीपुरा
9–जुन्नारदेव 10–बरही

उक्त के अलावा वर्ष 2003–04 में स्वीकृत राशि रूपये 111.60 लाख केन्द्रांश तथा रूपये 74.40 लाख राज्यांश मुक्त होना शेष है। वर्ष 2004–05 में 25 नगरों की परियोजनायें तैयार कर केन्द्र शासन के अनुमोदनार्थ भेजी गयीं जिनमें से निम्न 18 परियोजनाओं को केन्द्र शासन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

1. जीरन, 2. बंडा, 3. देवेन्द्रनगर, 4. बेगमगंज, 5. सैलाना, 6. सिंगौली 7. महेश्वर
8. तराना , 9. डिकेन, 10. मूंदी, 11. ओंकारेश्वर, 12. हरपालपुर, 13. नसरूल्लागंज
14. रीवा, 15. मंडीदीप, 16. सोहागपुर, 17. कटंगी, 18. नैनपुर

उपरोक्त में से प्रथम 14 नगरों हेतु भारत सरकार द्वारा रूपये 375.00 लाख केन्द्रांश तथा पूर्व से प्रचलित 2 नगरों की परियोजनाओं हेतु केन्द्रांश रूपये 120.00 लाख, कुल केन्द्रांश रूपये 495.00 लाख राज्य शासन को उपलब्ध कराये गये हैं।

भाग –चार

न्यायालयीन कार्यों की स्थिति

विगत एक वर्ष की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित कुल 93 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये जिनमें से 9 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया ।

प्रशासकीय गतिविधियॉं

अ– विगत एक वर्ष की अवधि में राजपत्रित स्तर के 2 अधिकारियों तथा 7 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये।
ब– विगत एक वर्ष की अवधि में राजपत्रित पद पर 2 तथा अराजपत्रित वर्ग में 14 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई।

विधायी से संबंधित कार्यकलाप

विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है ।

इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है ।

भाग –5

विशिष्ट पहल

1. भोपाल विकास योजना–2005 का पुनर्विलोकन, मूल्यांकन कर उपान्तरण का कार्य सुदूर संवेदन आधुनिक तकनीकी संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से किये जाने हेतु अनुबंध किया गया। उक्त के अलावा 10 जिला मुख्यालय नगरो की विकास योजनायें वर्ष 2005–06 में तथा 9 जिला मुख्यालय नगरों की विकास योजनायें वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

2. संचालनालय तथा इसके कुछ अधिनस्थ कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया।

भाग – छः

प्रकाशन

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से कोई प्रकाशन नहीं किया जाता है, परन्तु नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

भाग – सात

राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन

राज्य महिला नीति के क्रियान्वयन हेतु श्रीमती रेखा शर्मा, अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को नोडल अधिकारी नियुक्त है। कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा–सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 84 महिलाएं कार्यरत है, जो कार्यरत पदों का लगभग 19 प्रतिशत है। राज्य महिला नीति के बिंदु क्रमांक 50 के अनुरूप नये आवासीय काम्पलेक्स में झूलाघर के लिये बुनियादी ढांचा, सुविधाओं के संबंध में मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा म.प्र. भूमि विकास नियम, 1984 में प्रावधान है तथा झूलाघर, सभी भूमि उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य है।

भाग – आठ

सारांश

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 141 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 82 नगरों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका है। 46 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें प्रदेश की लगभग 59 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का नियोजन निहित है। 6 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन भी किया गया है। इसके साथ ही बीना पेट्रोकेमिकल्स रीजन की प्रादेशिक योजना प्रकाशन हेतु तैयार है। छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना, जो केन्द्र प्रवर्तित योजना है, को भारत शासन द्वारा ऋण के स्थान पर अनुदान में परिवर्तित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश के 135 नगरों को सम्मिलित किया जा चुका है।

राजधानी परियोजना प्रथासन

भाग – 1

संरचना

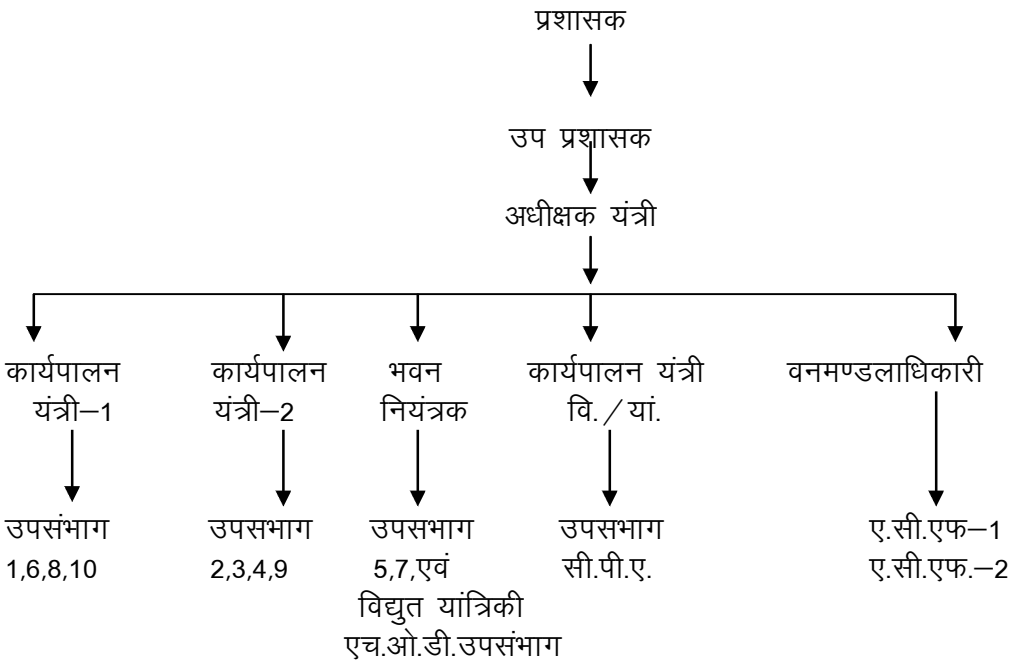

दायित्व

वर्ष 1956 में राज्य पुर्नगठन के उपरान्त जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजनधानी बनाया गया तो यह प्रतीत हुआ कि भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी बनने के साथ–साथ आगामी समय में प्रदेश की प्रशासकीय राजनीतिक सांस्कृतिक आगामी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बनने जा रही है, जिसके अनुक्रम में भोपाल नगर तथा उसके आस–पास के ग्रामों का शहरीकरण क्रमशः होना प्रारम्भा हुआ। उस समय की राजधानी की रूप रेखा उसके विकास एवं तात्कालिक जनसंख्या विकास हेतु राजधानी परियोजना की स्थापना की गयी। राजधानी परियोजना द्वारा तत्समय से ही उच्च गुणवत्ता का कार्य संपादित कराया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना होने के समय का भोपाल शहर आज जनसंख्या के अनुसार 10–11 गुना बढ़ चुका है और क्षेत्रफल/फैलाव में भी यह शहर पूर्व की अपेक्षा 12–14 गुना बढ़ चुका है। भोपाल क्रमशः महानगर के रूप में परिवर्तित हो गया है। भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना हुई तब से उसका आगे कार्य करना, राजधानी में विभिन्न आधार भूत/मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना विभिन्न कार्यो हेतु समन्वयक के रूप में कार्य करना तथा राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप शासकीय भवनों/कार्यालयों/आवासगृहों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण बाग–बगीचों का विकासा आदि कार्य उस समय जितना प्रारंभिक कार्य आवश्यक था, उसकी प्रासंकिता आवश्यकता आज 10–15 गुना बढ़ी ही है, भोपाल में राजधानी प्रशासन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पूर्व की अपेक्षा कई गुना अधिक आज भी है।

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत मुख्यतः तीन विभागों से संबंधित कार्य संपादित किये जा रहे है :–

1. **मण्डल कार्यालय :** मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण कार्य डिपाजिट मद के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्य संपादित किये जा रहे है। साथ ही परियोजना क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण शासकीय भवनों तथा मंत्रालय, सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवन, नई एवं पुरानी विधानसभा भवनों का रख–रखाव संबंधी कार्यो के साथ ही बाग–बगीचों का विकास एवं संधारण कार्य तथा मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विद्युतीकरण संबंधी अनेकों कार्य किये जा रहे है। इनके अन्तर्गत अक्षीक्षण यंत्री कार्यालय –4, कार्यपालन यंत्री संभागीय कार्यपालन एवं 11 उप संभागीय कार्यालय एवं अधीनस्थ अमला लोक निर्माण विभाग के मैन्यूअल अनुसार स्वीकृत होकर कार्यरत् है।

2. **वन मण्डल :** राजधानी परियोजना के अन्तर्गत वन मण्डल कार्यालय का गठन दि. 21.02. 1986 को निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया गया है। भोपाल शहर पहाड़ी एवं पथरीली होने के कारण यहॉ भूमि को बड़े ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर शोभायमान, फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया है और पर्यावरण महत्वा के पौधों का रोपण करके आस–पास के खुले एवं वीरान क्षेत्रों में हरा–भरा कर सौन्दर्यीकरण करना एवं उनका रख–रखाव करना भी मण्डल का प्रमुख दायित्व रहा है। अवांछनीय खरपतवार का उन्मूलन करना। शासकीय रिक्त भूमियों के अवैधा उत्खनन एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यकतानुसार फेन्सिंग तथा उपयुक्त भूमि पर पौधों का रोपण करना गंदे नालों के आस–पास वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना एवं भूमि के कटाव को भू–संरचना उपायों से रोकना।

3. **नजूल अधिकारी :** राजधानी परियोजना नजूल अधिकारी के माध्यम से राजधानी क्षेत्र की समस्त रिक्त शासकीय नजूल भूमियों का राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्य संपादित किये जा रहे है। रिक्त समस्त शासकीय नजूल भूमियों के मास्टर प्लान के अन्तर्गत भूमि उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न शासकीय/अर्धशासकीय एवं अशासकीय विभागों/संस्थाओं का समस्त जांच उपरान्त भूमि का आरक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर राजस्व विभागों द्वारा उसके आवंटन की कार्यवाही की जाती है, नजूल अधिकारी की सहायताा के लिए दो तहसीलदार एवं 6 नायब तहसीलदार मय अधीनस्थ अमले के मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के मेन्युअल अनुसार कार्यरत् है।

भाग – दो

बजट प्रावधान – लक्ष्य व्यय (योजनावार)

क्र.	शीर्ष / उपशिर्ष	वर्ष 2003–04		वर्ष 2004–05		वर्ष 2005–06	
		बजट प्रावधान लाखों में	व्यय 3/04 तक लाख में	बजट प्रावधान लाखों में	व्यय 12/04 तक लाख में	बजट प्रावधान लाखों में	व्यय लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21/4217 0.51 भूमि	––	––	1.01	1.11	2.00	2.00
2	3763 आवासीय भवन	19.39	19.58	60.00	0.69	90.00	90.00
3	284 गैर आवासीय भवन	31.61	22.48	150.00	44.92	200.00	200.00
4	4339 सड़क एवं पुल	411.18	406.16	399.99	262.50	950.00	950.00

5	21/1021 अन्य व्यय क्षेत्रों का सौदर्यीकरण	404.91	413.56	208.00	323.72	462.00	462.00
6	3414 मशीन एवं उपकरण	1.91	2.18	1.00	0.27	1.00	1.00
7	1555 अरिहायशी भवन (ए.आर.)	35.00	23.34	——	——	——	——
8	स्थापना व्यय	185.43	192.11	200.00	271.17	220.00	220.00
9	21/2217 आयोयजना (ए.आर.) विधानसभा	370.00	403.87	448.00	378.32	575.00	575.00
	21/2217 आयोजना/ 21/4217 आयोजना :– योग	1459.43	1483.28	1468.00	1282.70	2500.00	2500.00
	21/4217 आयोजनेत्तर 284 अरहवासी भवन 24 अनुरक्षण कार्य (ए. आर.)	200.00	209.55	199.99	206.82	300.00	300.00

भाग 3 ''अ''

राज्य योजनायें –
वर्ष 2003–2004

मांग संख्या 21 शीर्ष 4217 आयोजना के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन हेतु वर्ष 2003–2004 के लिये रूपये 1475.00 लाख का आवंटन प्रदान किया गया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करवाये गये/किये जा रहे हैं :–

1. हबीबगंज नाके से चेतक सेतु सुभाष नगर मार्ग का शेष निर्माण कार्य पूर्ण।
2. कोलार रोड जंक्शन से बैरागढ़ चीचली मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण। मजबूती करण का कार्य कि.मी. 1 से 3 तक पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
3. साकेत नगर से बाग सेवनियांकला माग्र का डब्ल्यू.बी.एम. स्तर तक कार्य पूर्ण।
4. एम.ए.सी.टी.चौराहे से भदभदा जंक्शन तक दो लेन सड़क का डब्ल्यू.बी.एम.स्तर तक कार्य पूर्ण। डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।
5. पुरानी जेल से शिवम् पैट्रोल पम्प तक दो लेन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण। सेन्टर वर्ज का कार्य किया जाना है।
6. राष्ट्रीय राज मार्ग 12 पर स्थित आर.आर.एल. से साकेत नगर तक प्रस्तावित 120 फीट मार्ग का निर्माण कार्य डब्ल्यू.बी.एम. स्तर तक पूर्ण। कि.मी. 0 से 500 मीटर तक का कार्य आर. आर..एल से अनापत्ति के कारण नहीं किया जा सका।
7. पुरानी जेल से पुलिस कन्ट्रोल रूम तक सड़क चौड़ीकरण डब्ल्यू.बी. एम.स्तर तक कार्य प्रगति पर है।
8. राजीव गॉधी चौक से इंदिरा मार्केट तक पार्किंग विकास कार्य लगभग पूर्ण।

9. मेन रोड क्रमांक–2 पर स्थित 6 नम्बर बस स्टाप से गुजरने वाली लिंक रोड का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण।
10. शाहपुरा बाबड़िया कलॉ मार्ग क्रं.3 के पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
11. वल्लभ भवन के पास सुरक्षा कर्मियों हेतु बेरेक्स निर्माण कार्य पूर्ण।
12. सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवन स्थित विद्युत कन्ट्रोल पैनल का विद्युतिकरण कार्य प्रगति पर है।
13. वल्लभ भवन के गेट क्रं.2 में एक लिफ्ट को बदलने का कार्य पूर्ण।
14. बल्लभ भवन में आगन्तुकों हेतु बस टर्मिनल एवं आटो पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
15. बगीचों के निर्माण एवं पार्कों का रख–रखाव।
16. वन मंडल कार्यालय, राजधानी परियोजना वन मंडल के परिक्षेत्र में नये पौधों का रोपण एवं रख रखाव

वर्ष 2004–2005

मांग संख्या 21 शीर्ष 4217 आयोजना के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन हेतु वर्ष 2004–05 के लिये रूपये 1468.00 लाख का आवंटन प्राप्त किया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये/किये जा रहे है ।

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से मिलने हेतु हबीबगंज नाके से चेतक सेतु, सुभाष नगर होते हुये सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण ।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 स्थित आर.आर.एल. से साकेत नगर तक प्रस्तावित 120 फीट मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण ।
3. कोलार जक्शन से बैरागढ़ चिचली तक का शेष चौड़ीकरण कार्य पूर्ण ।
4. कोलार मार्ग के पृथक 8 कि.मी. पर 3 कि.मी. तक पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर ।
5. मनीषा मार्केट से कोलार रोड़ का चौड़ीकरण कार्य पूर्ण ।
6. साकेत नगर से बाग सेवनिया तक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
7. बाग मुंगालिया मास्टर प्लान (बाग सेवनिया से बागमुंगालिया तक) सड़क निर्माण कार्य ।
8. मेनरोड क्र.3 के मार्ग पर एम.ए.सी.टी. चौराहे से भदभदा रोड जक्शन तक 2 लेन सड़क का निर्माण प्रगति पर ।
9. पुरानी जेल से शिवम् पेट्रोल पम्प तक 2 लेन मार्ग के सेन्ट्रल वर्ज निर्माण कार्य पूर्ण ।
10. रोशनपुरा चौराहे से एम.ए.सी.टी. चौराहे तक मार्ग का चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर ।
11. पुरानी जेल से पुलिस कंन्ट्रोल रूम तक सड़क चौडीकरण का कार्य प्रगति पर ।
12. शिवम् पेट्रोल पम्प से लिंग रोड क्र. 2 पर स्ट्रीट लाईट विद्युतियकरण कार्य पूर्ण ।
13. भोपाल रेल्वे ओवरब्रिज से भोपाल रायसेन व्हाया अशोका गार्डन तक सड़क कार्य प्रगति पर।
14. जेल रोड सेन्ट्रल स्कूल मार्ग से नया जिला न्यायालय के पीछे राज्य निर्वाचन आयोग भवन तक मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर ।
15. नवीन विधान सभा भवन निर्माण के अन्तर्गत लघु मूल कार्य प्रगति पर ।
16. मंत्रालय भवन में आगन्तुकों हेतु टर्मिनल एवं आटो पार्किग का कार्य प्रगति पर ।
17. सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवन स्थित विद्युत कन्ट्रोल पैनल का विद्युतियकरण कार्य प्रगति पर।
18. सतपुड़ा भवन स्थित विद्युत उपकेन्द्र के सुधार कार्य प्रगति पर ।
19. मंत्रालय वल्लभ भवन में एक लिफ्ट लगाने का कार्य पूर्ण ।
20. भोपाल में दो नये तरण तालों के अन्तर्गत बैरागढ़ स्विमिंग पुल का कार्य प्रगति पर।
21. उद्यान निर्माण एवं रखरखाव का कार्य प्रगति पर ।

22. शाहपुरा पार्क का विकास व रखरखाव कार्य प्रगति पर ।
23. भोपाल के खूले क्षेत्रों में फेन्सिंग एवं रखरखाव प्रगति पर ।
24. शाहपुरा केम्पीयन स्कूल के पास पार्क एवां विकास कार्य प्रगति पर ।
25. मेन रोड़ क्र. 1 को आदर्श मार्ग के रूप में विकसित करने का कार्य प्रगति पर ।
26. बाग सेवनिया में रेत के ट्रकों के लिये पार्किग स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण ।

वर्ष 2005–06
राज्य योजनायें वर्ष 2005–06

प्रशासन हेतु वर्ष 2005–06 के लिये रूपये 2500.00 लाख का आवंटन प्रदान किया गया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जावेगे।

संचालित कार्य

1. चेतक ब्रिज के सुभाष नगर तक एवं हबीबगंज नाके के चेतक ब्रिज तक स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 स्थित आर.आर.एल. से साकेत नगर तक प्रस्तावित 120 फुट मार्ग के निर्माण बावत्।
3. शाहपुरा क्षेत्र एवं बावडिया कला में सड़कों का निर्माण फेस–1 के अन्तर्गत।
4. कोलार रोड़ से मनीषा रोड़ चौराहे का उन्नयन।
5. कोलार मार्ग से पृथक 8 कि.मी. पर विद्युतीकरण कार्य।
6. मनीषा मार्केट से कोलार रोडा का चौडीकरण का कार्य।
7. साकेत नगर से बागसेवनिया होते हुये बागमुंगालिया तक सड़क का निर्माण।
8. भदभदा क्रांसिग से टी.टी.टी.आई. होते हुये गांधी भवन तक मार्ग का विद्युतीय व्यवस्था।
9. बागमुगालिया मास्टर प्लान बागसेवनिया तक सड़क निर्माण।
10. मेन रोड क्र.3 के मार्ग पर एम.ए.सी.टी. चौराहे से भदभदा रोड जक्शन तक दो लेन सडक का निर्माण कि.मी.4.00
11. वल्लभ भवन से पुरानी जेल शिवम् पेट्रोल पम्प तक दो लेन मार्ग का निर्माण।
12. रेल्वे कोच फेक्ट्री निशातपुरा के लिये पहुंच मार्ग का निर्माण।
13. रोशनपुरा चौराहे से एम.ए.सी.टी. चौराहे तक मार्ग का चौडीकरण।
14. पुरानी जेल से पुलिस कंट्रोल रूम तक सड़क का चौडीकरण।
15. राजीव गांधी चौराहे से इंदिरा मार्केट तक सड़क का चौडीकरण।
16. 6 नंबर बस स्टाप से गुजरने वाली लिंक रोड का चौडीकरण।
17. शाहपुरा बावडिया कला मार्ग क्र.3 पर पुलिया का निर्माण।
18. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल जेल रोड शुभंम पेट्रोल पम्प तथा रोड नं. 1 पर स्थित चौराहे तथा शुभम् पम्प के सामने निर्माण।
19. शाहपुरा पार्क का उन्नपन एवं विकास कार्य।
20. शुभंम पेट्रोल पम्प से लिंक रोड नं. 2 पर स्ट्रीट लाईट का विद्युतीकरण कार्य।
21. जेल रोड से सेन्ट्रल स्कूल मार्ग से नया जिला नयायालय के पिदे से राज्य निर्वाचन आयोग भवन तक का मार्ग निर्माण।
22. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में सीमेंन्ट क्रांकिट रोड का निर्माण।
23. कमला नेहरू स्कूल से प्रकाश स्वीमिंग पुल तक (प्रथम चरण) मुख्य मार्ग क्र. 1 चौडीकरण एवं विकास कार्य। (आदर्श मार्ग)
24. हबीबगंज के समीप होशंगाबाद रोड पर रेत ट्रक पार्किग का निर्माण।
25. शाहपुरा क्षेत्र में फेस–II के अन्तर्गत सड़को का निर्माण।

26. कोलार सड़क का उन्नयन कार्य।
27. साकेत नगर एम्स से बाग सेवनिया तक सड़क निर्माण।

नये प्रस्तावित कार्य –

28. जे.के.रोड को पूर्ण कर अयोध्या नगर से जोडने हेतु सड़क का निर्माण।
29. पुरानी जेल रोड पर स्थित शुभंम पेट्रोल पम्प से मसजिंद तक में ट्रांसफामर स्थापित करने बावत्।
30. कलीयासोत ब्रिज का विद्युतीय कार्य।
31. नये भोपाल में विभिन्न मार्गो की पूर्ण हो चुंकी स्ट्रिट लाईट के विद्युत बिलों के भुगतान एवं संधारण हेतु ।
32. चुना भट्टी से भदभदा रोड सडक का मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य।
33. बाग सेवनियाा में बाजार हॉट बनाने हेतु एवं भोपाल में विभिन्न स्थानों पर हाकर्स कॉर्नर का निर्माण ।
34. कोलार रोड से एन.एच. 12 को नहर के समानान्तर चार कि.मी.लम्बे मार्ग का निर्माण ।
35. मनीषा मार्केट से 1100 क्वाटर्स तक रोड का चौडीकरण एवं सम्पूर्ण मार्ग का डामरीकरण ।
36. कोलार रोड से भोपाल बायपास रोड को एन.एच.12 होते हुये 10.70 कि.मी.लम्बे मार्ग का निर्माण ।
37. गैस गोडाउन से विवेकानंद विद्यापीठ भेल क्षेत्र को जोडने वाले 900 मीटर मार्ग का चौडीकरण एवं मजबूतीकरण ।
38. एन.एच. 12 से सेन्ट्रल स्कूल नं. 3 को जोडने वाले 600 मीटर लम्बे मार्ग काा निर्माण ।
39. शाहपुरा मनीषा मार्केट के पास चौराहे का विकास कार्य ।
40. ग्राम कोकटा ट्रान्सपोर्ट नगर से रा.रा. मार्ग क्र.12 भोपाल नवीन रोड का निर्माण । (लिंक रोड)
41. सुभाष नगर रेल्वे क्रासिंग पर ओवज ब्रिज का निर्माण ।
42. त्रिलंगा से कलीयासोत नदी को पार कर मंदाकिनी कालोनी व सर्वधर्म सी सेक्टर तथा दानिश कुंज को जोडने वाले मार्ग का निर्माण ।
43. राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.12 होशंगाबाद रोड़ से बाग मुगालिया तक सड़क निर्माण कार्य ।
44. रायसेन रोड़, अशोका गार्डन से रेल्वे स्टेशन तक सड़क का निर्माण ।
45. हबीबगंज अन्डर ब्रिज से मिसरौद रोड़ का निर्माण ।

आवासीय भवन –

1. चार इमली क्षेत्र में 197 ई एवं 3 डी टाईपा आवास गृहों का निर्माण ।
2. शिवाजी नगर स्थित स्टोर केम्पस में डी.एवं ई. टाईप आवास गृहों का निर्माण ।
3. 100 जी, 100 एच. एवं 100 आई टाइप आवास गृहों का निर्माण ।

गैर आवासीय भवन संचालीत कार्य –

1. नवीन विधान सभा भवन का निर्माण कार्य ।
2. मंत्रालय भवन में आंगन्तुकों हेतु बस टर्मिनल एवं आटो पार्किग का निर्माण ।
3. प्रकाश स्विमिंग पुल का उन्नयन एवं विद्युतिय कार्य ।
4. विन्ध्यालय/सतपुडा भवन में पास आफीस/पार्किग एवं गार्ड रूम का निर्माण ।
5. भोपाल में तीन नये तरणतालों का निर्माण ।
   (अ) अरेरा कालोनी एकान्त पार्क के पास ।
   (ब) बैरागढ़ ।
6. राज्य मंत्रालय गेट क्र.3 के पास लिफ्ट बदलने का कार्य एवं ए.आर.डी.स्थापित करना ।

7. मंत्रालय वल्लभ भवन में एक नग लिफ्ट लगाने का कार्य ।
8. जवाहर चौक स्थित नजूल कार्यालय के शेड क्र.6 एवं 4 में फाल्म सिंलिग एवं पुताई इत्यादि का कार्य ।
9. मंत्रालय के विद्युत पैनल के सुधार एवं आइल बदलने बाबत् ।
10. सतपुडा/विन्ध्याचल भवन में सब स्टेशन हेतु केबल एवं पैनल बदलने एवं विभिन्न विद्युत कार्य बाबत् ।
11. 24 सुट रेस्ट हाउस विभिन्न विद्युतिकरण कार्य ।
12. मंत्रालय में स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में वातानुकुलन संयंत्र स्थापित करने बाबत् ।

नये कार्य –

13. मंत्रालय स्थित रूम क्र. 417 केबिनेट हॉल एवं हॉल क्र. 506 में अतिरिक्त वातानुकूलन संयंत्र की स्थापना करने बाबत् ।
14. वल्लभ भवन में विद्युत फिडर, केबल बदलने एवं बेरीयर पर स्ट्रीट लाईट लगाना ।
15. मंत्रालय/विभागाध्यक्ष भवनों की स्ट्रिट लाईट/हाई मास्ट लगाने बाबत् ।
16. विन्ध्यालय/सतपुडा भवन परिसर स्थित लाईट (स्ट्रीट लाईट) के नवीनीकरण का कार्य।
17. 24 सुटस विश्राम गृह में बोर अर्थिग एवं लाईटिंग कन्डक्टर एवं उनके पैनल सुधार कार्य।
18. 24 सुटस विश्राम गृह में 4 कक्षों में विन्डो टाईप वातानुकूलित संयंत्र लगाने बावत् ।
19. विन्ध्याचल/सतपुडा भवन में नयी अधिस्थापित ई.सी.ई. लिफ्टों में सर्वो कन्ट्रोल्ड आटोमेटीक स्अेबलाईजर लगाने एवां केबिल प्रदाय एवं अन्य विद्युतिय कार्य ।
20. विन्ध्याचल भवन के एच.टी.पैनल के मरम्मत हेतु ।
21. मंत्रालय भवन की 6 नग लिफ्ट लगाने बाबत् ।
22. सतपुडा भवन स्थित ए.सी.वी. बस कपलर बदलकर दो एम.वी.ए. स्ट्रॉस फारमर में सुधार कार्य बाबत् ।
23. विन्ध्यालय भवन स्थित तलों पर पैनल के नवीनीकरण कार्य ।
24. शाहपुरा (भरत नगर) में विश्राम घाट का निर्माण ।

संचालित कार्य –

1. उद्यान निर्माण एवं रखरखाव का कार्य
2. भोपाल के खूले क्षेत्रों में फिन्सिंग व रखरखाव ।
3. स्तपुडा भवन एवं चिनार पार्को के बीचा खूले स्थानों का विकास ।
4. स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे के स्मृति में एकान्त पार्क के पास नक्षत्र गार्डन का निर्माण।
5. संचालनालय ग्राम निवेश कार्यालय में लेण्ड स्केपिंग का कार्य ।
6. रायसेन रोड पुलिया से सोनिया गांधी नगर तक नाली का निर्माण ।
7. ई–7, अरेरा कालोनी, भरत नगर के पास उद्यान के निमार्ण का कार्य ।
8. अम्बेडकर जक्शन का रखरखाव ।
9. शाहपुरा लेक के बांध का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य ।
10. अरेरा कालोनी में ई–1,ई–2,ई–3 क खुले स्थलों में पार्क विकास एवं उन्नयन कार्य ।

पुरानी/नयी विधान सभा एवं विधायक विश्राम गृह का रखरखाव –

1. नवीन विधानसभा भवन का रखरखाव कार्य ।
2. विधायक विश्राम गृह का रखरखाव कार्य ।
3. पुरानी विधान सभा का रखरखाव का कार्य ।
4. पुरानी विधानसभा में कान्वोकेशन सेंटर का निर्माण ।

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना –

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत अरेरा कालोनी, पहाड़ी, भोपाल में जिला न्यायालय भवन का निर्माण कार्य लागत रूपये 1018.25 लाख का कार्य किया जा रहा है जिस पर अब तक कुल व्यय रूपये 1272.31 लाख किया गया है ।

वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 के कुल रूपये 510.26 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध कुल व्यय रूपये 528.10 लाख किया गया ।
जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है ।

मांग संख्या 67/4059 लोक निर्माण कार्यो पर पंजीयगत परिव्यय (0701) केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (2450)

क्र.	शीर्ष /उपशीर्ष	वर्ष 2002–03		वर्ष 2003–04		वर्ष 2004–05		योग		टीप
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय 12/04 तक	आवंटन	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	67/4059 भोपाल में जिला न्यायालय भवन का निर्माण	229.50	258.53	160.42	153.91	120.34	115.66	510.26	528.10	

भाग 3 ''स''

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं – निरंक

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं : निरंक

भाग 3 ''ई''

अन्य योजनाओं के अन्तर्गत राजधानी परियोजना मंडल में कोई कार्य नहीं चल रहे है ।

भाग–4

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. विभागीय पदोन्नति :

वर्ष 2004–05 में फरवरी 2005 तक राजधानी परियोजना प्रशासन मण्डल में किसी को भी पदोन्नत किया नहीं गया है।

2. नियुक्ति :

वर्ष 2004–05 में राजधानी परियोजना मण्डल, राजधानी परियोजना प्रशासन में किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है ।

विभागीय जॉच

दिनांक 21.07.2003 को प्रकाश तरूण पुष्कर में हुई दुर्घटना के कारण कार्यरत एक प्रशिक्षक 2 जीवन रक्षक एवं 1 बिल क्लर्क को निलंबित किय गया था। निलंबित कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी कर दिये गये थे। आरोप पत्र की जांच कर जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आधार पर निलंबन समाप्त कर सेवा में पुनः बहाल किया गया है।

भाग – 5

अभिनव योजना

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत प्रकाश स्विमिंग पुल में बच्चों के लिये अतिरिक्त स्विमिंग पुल का निर्माण एवं शहर में दो स्विमिंग पुल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें बैरागढ़ स्विमिंग पुल का कार्य एवं पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भाग – 6

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कोई प्रकाशन ।

महिला नीति

महिला नीति के अन्तर्गत राजधानी परियोजना मण्डल, राजधानी परियोजना प्रशासन में कार्यरत महिलाओं के लिये विश्राम अवकाश में विश्राम कल आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं पर रोकथाम तथा यौन उत्पीड़न आदि शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु महिला कर्मचारियों की अध्यक्षता में ही एक समिति का गठन किया गया है ।

भाग – 7

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्व में मंत्रालय वल्लभ भवन सतपुड़ा/विन्ध्यालय भवन विधान सभा भवन, मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी, शासकीय गीतांजली महाविद्यालय, संस्कृति भवन अति महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है एवं इसका संरक्षण संबंधी कार्य भी किया जा रहा है । इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के शासकीय लगभग 6000 आवास गृहों का निर्माण कार्य की राजधानी परियोजना द्वारा कराया गया है एवं अनेक भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, इसके साथ ही राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर के पार्को का विकास किया गया है तथा एकान्त पार्क (गुरू गोविन्द सिंह पार्क), चिनार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, शाहपुरा के किनारे पार्क, पांच नम्बर का जवाहर बाल उद्यान, रविन्द्र पार्क (स्वराज्य पार्क) इत्यादि एवं इन पार्को का संधारण की राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

मांग संख्या 21/4217 मांग संख्या 21/2217 एवं मांग संख्या 21/4217 क्षेत्रवार
सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत राज्य योजनाऍ सम्बन्धी विगत तीन वर्षो का

आवंटन एवं व्यय की स्थिति का पत्रक

क्र.	शीर्ष / उपशीर्ष	वर्ष 2002–03		वर्ष 2003–04		वर्ष 2004–05		योग	
		आवंटन लाख में	व्यय लाख में	आवंटन लाख में	व्यय लाख में	आवंटन लाख में	व्यय लाख में 12 / 04 तक	आवंटन लाख में	व्यय लाख में
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	21 / 4217								
1	0.51 भूमि	1.00	1.33	–	–	1.01	1.11	2.01	2.44
2	3763 आवासीय भवन	143.00	18.83	19.39	19.58	60.00	0.69	222.39	39.10
3	284 गैर आवासीय भवन	246.06	70.17	31.61	22.48	150.00	44.92	427.67	137.57
4	4339 सड़क एवं पुल	175.00	301.34	411.18	406.16	199.99	262.50	986.17	970.00
5	1021 अन्य व्यय क्षेत्रों का सौदर्यीकरण	208.00	380.64	404.91	413.56	208.00	323.72	820.91	1117.92
6	3414 मशीन एवं उपकरण	1.00	4.63	1.91	2.18	1.00	0.27	3.91	7.08
7	1555 अरिहायशी भवन (ए.आर.)	–	–	35.00	23.34	–	–	35.00	23.34
8	284 अरिहाशी भवन का अनुरक्षण कार्य (ए. आर.)	50.00	42.46	–	–	–	–	50.00	42.42
9	21 / 2217 आयोजन (ए.आर.)	448.06	445.46	370.00	403.87	448.00	378.32	1266.06	1227.65
	योग 21 / 4217–2217	**1272.12**	**1264.82**	**1274.00**	**1291.17**	**1268.00**	**1011.53**	**3814.12**	**3567.52**

विभिन्न न्यायालय में चल रहे न्यायालय प्रकरणों की संक्षेपिका फरवरी 2005

क्र.	न्यायालय का नाम	कुल प्रकरणों की संख्या	प्रकरण जिनमें प्रभारी अधिकारी नियुक्ति किये है	प्रकरण जिनमें प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं किये गये है	प्रकरणों की संख्या जिनमें वादोत्तर प्रस्तुत किया गया है	प्रकरण की संख्या जिनमें वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने है	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतरिम आदेश पारित किया गया है	प्रकरण जिनका अंतिम निराकरण हुआ है	शेष बचे न्यायालय प्रकरण जिनमें निर्णय अपेक्षित है
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	उच्च न्यायालय नई दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–
2	म.प्र.प्रशासनिक अधिकरण	3	3	–	3	–	–	–	3
3	उच्च न्यायालय जबलपुर	25	25	–	24	1	1	–	24
4	सहायक श्रम न्यायालय	9	9	–	8	1	–	–	9
5	श्रम न्यायालय	35	35	–	32	3	–	–	35
6	जिला न्यायालय	11	11	–	11	–	1	1	10
7	औद्योगिक न्यायालय (उत्पादन)	2	2	–	2	–	–	1	1
8	मध्यस्थम अधिकरण	3	3	–	3	–	–	–	3

भाग – दो

बजट प्रावधान – लक्ष्य व्यय (योजनावार) राजधानी परियोजना मण्डल

क्र.	शीर्ष / उपशीर्ष	वर्ष 2003–04		वर्ष 2004–05		वर्ष 2005–06	
		बजट प्रावधान लाखों में	व्यय 3/04 तक लाख में	बजट प्रावधान लाखों में	व्यय 12/04 तक लाख में	बजट प्रावधान लाखों में	व्यय लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21/4217 0.51 भूमि	––	––	1.01	1.11	2.00	2.00
2	3763 आवासीय भवन	19.39	19.58	60.00	0.69	90.00	90.00
3	284 गैर आवासीय भवन	31.61	22.48	150.00	44.92	200.00	200.00
4	4339 सड़क एवं पुल	411.18	406.16	399.99	262.50	950.00	950.00
5	21/1021 अन्य व्यय क्षेत्रों का सौदर्यीकरण	404.91	413.56	208.00	323.72	462.00	462.00
6	3414 मशीन एवं उपकरण	1.91	2.18	1.00	0.27	1.00	1.00
7	1555 अरिहायशी भवन (ए. आर.)	35.00	23.34	––	––	––	––
8	स्थापना व्यय	185.43	192.11	200.00	271.17	220.00	220.00
9	21/2217 आयोयजना (ए. आर.) विधानसभा	370.00	403.87	448.00	378.32	575.00	575.00
	21/2217 आयोजना/ 21/4217 आयोजना :– योग	**1459.43**	**1483.28**	**1468.00**	**1282.70**	**2500.00**	**2500.00**
	21/4217 आयोजनेत्तर 284 अरहवासी भवन 24 अनुरक्षण कार्य (ए.आर.)	**200.00**	**209.55**	**199.99**	**206.82**	**300.00**	**300.00**

मांग संख्या 21/4217 मांग संख्या 21/2217 एवं मांग संख्या 21/4217 क्षेत्रवार

क्र.	शीर्ष/उपशीर्ष	वर्ष 2002–03		वर्ष 2003–04		वर्ष 2004–05		योग		
		आवंटन लाख में	व्यय लाख में	आवंटन लाख में	व्यय लाख में	आवंटन लाख में	व्यय लाख में 12/04 तक	आवंटन लाख में	व्यय लाख में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	21/4217									
1	0.51 भूमि	1.00	1.33	–	–	1.01	1.11	2.01	2.44	
2	3763 आवासीय भवन	143.00	18.83	19.39	19.58	60.00	0.69	222.39	39.10	
3	284 गैर आवासीय भवन	246.06	70.17	31.61	22.48	150.00	44.92	427.67	137.57	
4	4339 सड़क एवं पुल	175.00	301.34	411.18	406.16	199.99	262.50	986.17	970.00	
5	1021 अन्य व्यय क्षेत्रों का सौदर्यीकरण	208.00	380.64	404.91	413.56	208.00	323.72	820.91	1117.92	
6	3414 मशीन एवं उपकरण	1.00	4.63	1.91	2.18	1.00	0.27	3.91	7.08	
7	1555 अरिहायशी भवन (ए.आर.)	–	–	35.00	23.34	–	–	35.00	23.34	
8	284 अरिहाशी भवन का अनुरक्षण कार्य (ए.आर.)	50.00	42.46	–	–	–	–	50.00	42.42	
9	21/2217 आयोजन (ए.आर.)	448.06	445.46	370.00	403.87	448.00	378.32	1266.06	1227.65	
	योग 21/4217–2217	1272.12	1264.82	1274.00	1291.17	1268.00	1011.53	3814.12	3567.52	

एम.पी.हाउसिंग बोर्ड

प्रधान कार्यालय : मदर टेरेसा मार्ग : पर्यावास भवन : भोपाल

भाग–1

संरचना –

अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र नाथ (आई. ए. एस.)

आयुक्त श्री जे. एस. माथुर (आई. ए. एस.)

अपर आयुक्त(एन.) श्री आर. के. नवानी

अपर आयुक्त(एस.) श्री ए. के. शुक्ला

अधीनस्थ कार्यालय उपायुक्त कार्यालय (आठ) संभागीय कार्यालय (तीस)

विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण :– उपरोक्तानुसार

मण्डल के दायित्व

विभिन्न श्रेणियों के आवासीय भवनों का निर्माण भूखंडों का विकास व्यवसायिक संपत्तियों का निर्माण तथा निक्षेप कार्य। उक्त कार्यों से संबंधित गुणात्मक सुधार हेतु शोध एवं विकास करना।

मण्डल से संबंधित सामान्य जानकारी एवं प्रमुख विथेषताएं

निर्मित संपत्तियों को सामान्य शर्तो पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराना एवं आसान किश्तों पर पुर्नभुगतान की सुविधा प्रदान करना। निर्मित भवनों एवं भूखंडों की उपलब्धियां।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

(1) स्थापना

मध्यप्रदेश में एम.पी.हाउसिंग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई तथा नियमितिकरण वर्ष 1972 में हुआ । बोर्ड की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर अनिवार्य नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई है। आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये बोर्ड वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में सहायता प्राप्त करता है। ऋणों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा बोर्ड को गारंटी दी जाती है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी बोर्ड की विभिन्न आवासीय योजनाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नागरिकों को आवासीय सुविधा के साथ साथ बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य डिपाजिट कार्य के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण माप दण्डों के अनुसार बोर्ड समस्त आवासीय

योजनाओं में सभी वर्गो के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाता है। कमजोर वर्ग की योजनाओं में पांच प्रतिशत का अध्यक्षीय अंश आरक्षित है।

(2) निर्माण एवं विकास कार्य

बोर्ड की स्थापना से 31 मार्च 2004 तक बोर्ड द्वारा विभिन्न आय वर्ग की श्रेणियों के लिये 1.26 लाख आवासगृह तथा 1.11 लाख भूखंड हितग्राहियों के लिये निर्मित एवं विकसित किये गये हैं। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स,शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन आदि के लिये भी 3800 भवनों को निर्मित कराया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 2003–2004 में शासन द्वारा बोर्ड के लिये भूखंड एवं भवन के लिये क्रमशः 2500 एवं 2000 का लक्ष्य एम.ओ.यू. के अन्तर्गत निर्धारित किया गया जिसके विरूद्ध 1726 भूखंड एवं 2006 भवनों को विकसित एवं निर्मित किया गया है। जिन पर रू0. 104.88 करोड. का व्यय हुआ है।

आवास मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता है। इस अहम मानवीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवास तथा विकास के व्यवस्थित क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र शासन की आवास नीति के अनुरूप मध्यप्रदेश द्वारा भी 1995 में आवास नीति लागू की गई। इस आवास नीति में राज्य सरकार द्वारा अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निजी विकास संस्थाओं/निजी निवेशकर्ताओं हेतु सहयोगात्मक वातावरण के निर्माण करने का प्रयास किया गया है जिससे निर्माण कार्यों में संलग्न संस्थाएँ प्रभावी बन सकें तथा आवास समस्या के समाधान हेतु त्वरित होकर एक अहम भूमिका निभाने में सहभागी हो सके।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 6 करोड़ आंकी गई है जिसके अन्तर्गत लगभग 140 लाख परिवार शामिल हैं। इनमें से 104 लाख परिवार ग्रामीण क्षेत्र में एवं 36 लाख परिवार शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। उन परिवारों के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए किये गये प्रयासों के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में क्रमशः 81 लाख एंव 28 लाख आवास उपलब्ध है। इस दृष्टि से देखा जाये तो पूरे प्रदेश में 31 लाख आवासों की कमी आज भी विद्यमान है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की समस्याओं को चिन्हित कर उसका प्रभावी निराकरण करना, स्वेच्छिक तथा स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना तथा आवास निर्माण की कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में प्रक्रियाओं एवं नियमों के सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य लेकर आवास नीति 1995 को पुनः पुनरीक्षित करते हुए आवास नीति 2004 का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

आवास निर्माण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी कर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में भी प्रयास प्रारंभ किये गये हैं तथा इस संबंध में कुछ परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रारंभ हो गया है। आवास एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा योजनाओं के वित्तीय पोषण हेतु हुडको, एन.एच.बी. एवं एच.डी.एफ.सी आदि संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। यह ऋण राज्य शासन की गारंटी के विरूद्ध दिया जाता है। ऋण दिये जाने की प्रक्रिया का और अधिक सरलीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

'वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना' हेतु जो सीलिंग सीमा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है उसके अन्तर्गत आज के परिप्रेक्ष्य में भवन सामग्री की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए इस सीमा को क्रमशः रू. 65,000/– रू. 55,000/– एवं रू. 45,000/– पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि भवनों का निर्माण आसानी से तथा अधिक सफलता से संपन्न कराये जा सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों द्वारा इन भवनों के खरीदने में 50 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने में कठिनाई का अनुभव किया गया है इस बारे में केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि यदि अनुदान की दर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत की जाती है तो निश्चित रूप से हितग्राहियों के लिए यह बहुत लाभदायक होगा तभी अधिक से अधिक लोग भवनों को लेने में आगे आयेंगे।

प्रदेश के बड़े शहरों में जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए आवासीय समस्या के निराकरण हेतु संभागीय स्तर पर ''सेटेलाइट टाउन'' निर्मित किये जाने की योजना पर भी राज्य शासन द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित हैं जिनका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी भूमि का उपयोग आवास समस्या हल करने के लिए उपयोग में लाने बावत् राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रिडिन्सीफिकेशन) योजना तैयार की गई है। इस प्रकार जो योजना तैयार की जा रही है उसमें प्रथमतः भोपाल में एक सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की अवधारणा पर परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, बायोटेक्नॉलाजी/आई.टी. पार्क आदि के समायोजन के साथ व्यवसायिक तथा आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

मध्यप्रदेश में विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं को भवन निर्माण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निमिर्तीकेन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में म.प्र. गृह निर्माण मण्डल की सहवर्ती संस्था म.प्र.आवास विकास संस्थान द्वारा 18 निर्मिती केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन निर्मिती केन्द्रों में उत्पादित ''लागत प्रभावी'' भवन सामग्री मुख्यतः मण्डल संचालित योजनाओं में की जा रही है तथा केन्द्रीय, प्रदेश के अन्य विभाग तथा जनता को उनकी मांग के अनुरूप सामग्री का विक्रय भी किया जा रहा है। भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश ईटों तथा उर्जा अवरोधी सामग्री का भी उपयोग किया जा रहा है, इस संबंध में निरन्तर अनुसंधान भी चल रहे हैं। उर्जा खपत एवं प्रदूषण को कम करने के लिए कम उर्जा खपत वाली निर्माण तकनीकी एवं सामग्रियों के उपयोग बावत् भी प्रदेश अग्रसर है। अनेक वैकल्पिक नूतन निर्माण सामग्रियों तथा निर्माण प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अनुसंधान बावत् केन्द्र सरकार से विशेष अनुदान दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं कमजोर आय वर्ग के लोगों को उचित दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से व प्रदेश की आवास समस्या के समाधान हेतु मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल की स्थापना की गई है।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल की गतिविधियॉं

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रदेश में क्रियान्वित की गई विभिन्न गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) भवन निर्माण :

क्रमांक	विवरण	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05 (प्रस्ता.)/9/04 तक
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	50	417	264	400/180
2.	एल.आई.जी.	1142	532	560	600/576
3.	एम.आई.जी.	473	846	718	600/220
4.	एच.आई.जी.	506	423	464	400/149

(2) भूखण्ड विकास :

क्रमांक	विवरण	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05 (प्रस्ता.)/9/04 तक
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	775	707	298	300/72
2.	एल.आई.जी.	1255	414	739	400/125
3.	एम.आई.जी.	938	716	482	400/173
4.	एच.आई.जी.	372	271	207	300/101

(3) भू–अर्जन :

क्रमांक	विवरण	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05 (प्रस्ता.)/9/04 तक
1.	भू–अर्जन (हैक्टेयर)	113.39	49.708	40.402	60.00/32.647

(4) टर्न ओव्हर :

क्रमांक	विवरण	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05 (प्रस्ता.)/9/04 तक
1.	निर्माण कार्य एवं विकास कार्य पर वार्षिक व्यय	87.99	94.04	104.88	100.00/48.866

(5) स्वीकृत परियोजनाएँ :

क्रमांक	विवरण	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05 (प्रस्तावित)
1.	मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें	2880.57	15214.51	14919.46	3243.41
2.	उपरोक्त परियोजनाओं में से वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत परियोजनायें	6861.99	9356.59	7141.11	1765.91 **(10000.00)**
3	उपरोक्त परियोजनाओं में से वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	7353.45	3515.05	4582.60	10000.00

(6) प्रशासनिक व्यय :

क्रमांक	विवरण	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05 (प्रस्तावित)
1.	प्रशाासनिक व्यय	2515.41	2593.36	2779.14	2500.00

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

2.1 **शासकीय बजटः–** वर्ष 2004–05 में मांग संख्या 25 के अंतर्गत एम.पी.हाउसिंग बोर्ड के लिये रूपये 10.00 लाख का बजट प्रावधान अप्रेल–04 से जुलाई–04 तक राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसके अंतर्गत कमजोर आय वर्ग के आवास हेतु अनुदान एवं जनवरी 2005 तक कोई राशि अवमुक्त नहीं हुई। मांग संख्या 84 के अंतर्गत राजस्व विभाग से रूपये 130.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है दिनांक 31.1.2005 तक आहरण नहीं हुआ है। जो मण्डल द्वारा प्रदेश के नवगठित सात जिलों में बनाए गए शासकीय भवनों के निर्माण हुडको ऋण के प्रतिपूर्ति में व्यय किये जावेंगे। वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये राज्य शासन से गारंटी प्राप्त होती है। आलोच्य वर्ष में कुल रूपये 90.00 लाख की राशि गारंटी फीस के रूप में भुगतान करने का प्रस्ताव है। प्रावधानित गारंटी फीस के विरूद्ध रूपये 85.61 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

2.2 **मण्डल का आंतरिक बजटः–** वर्ष 2004–05 में निर्माण एवं विकास कार्यो के लिये रूपये 12496.11 लाख का मण्डल के बजट में प्रावधान अनुमोदित है। इसके विरूद्ध संभावित लगभग रूपये 6217.16 लाख का व्यय 12/04 तक हो चुका है।

योजनावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	योजना	प्रावधान (रूपये लाख में)
1.	सामान्य	628.05
2.	स्वयं वित्तीय	986.63
3.	हुडका	7634.64
4.	एच.डी.एफ.सी.	2281.79
5.	एन.एच.बी.	235.00
6.	अन्य	730.00
	योगः–	**12496.11**

भूमि अधिग्रहण हेतु रूपये 3345.48 लाख का बजट प्रावधान अनुमोदित है। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त निक्षेप कार्यो के लिए रूपये 11135.62 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। जिसके विरूद्ध लगभग रूपये 1549.88 लाख का व्यय 12/04 तक है। ऋणों के भुगतान के अंतर्गत इस वर्ष ऋण एवं ब्याज के रूप में राज्य शासन एवं वित्तीय संस्थाओं को रूपये 8615.15 लाख का पुनर्भुगतान का प्रावधान रखा गया है। जिसमें ब्याज राशि रूपये 2902.61 लाख का भुगतान भी सम्मिलित है। आलोच्य अवधि में मण्डल को रूपये 40137.63 लाख की राशि निम्न साधनों से प्राप्त होना प्रस्तावित हैः–

क्रमांक	स्त्रोत	प्रस्तावित प्राप्तियां(रू0लाख में)
	डिवेन्चर	—
	वित्तीय संस्थायें	5017.78
	अन्य प्राप्तियां	282.15
	संपत्ति प्रबंधन	20525.79
	निक्षेप कार्य	10816.74
	विविध	3495.17
	योगः	**40137.63**

.

अन्य योजनाएं

3.4 **आंतरिक एवं वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त योजनाए :–** वर्ष 2003–2004 में अब तक विभिन्न वित्तीय संस्थाअें से 18 योजनायें लागत रूपये 71.41 करोड़ के लिये रूपये 58.62 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। वित्तीय संस्थावार विवरण निम्नानुसार है तथा वर्ष 2004–05 का योजनावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (रू. लाख में)	स्वीकृत ऋण (रू. लाख में)
		हुडको योजना		
1	2001–2002	11	4851.31	3532.08
2	2002–2003	8	1739.29	1388.53
3	2003–2004	10	4989.77	4238.42
4	2004–2005	5	933.10	831.34
	योग (हुडको)	34	12513.47	9990.37
		एच.डी.एफ.सी.		
1	2001–2002	3	1100.00	825.00
2	2002–2003	6	4687.00	3210.00
3	2003–2004	8	2151.34	1613.88
4	2004–2005	2	832.81	259.67
	योग(एच.डी.एफ.सी.)	19	8771.15	5938.55
		एन.एच.बी.		
14	2001–2002			
	2002–2003	3	3409.80	2570.95
	2003–2004		—	—
	2004–2005	3	2134.01	1679.83
	योग (एन.एच.बी.)	6	55.23.81	4250.78

भाग – 3

मंडल की योजनायें

वर्ष 2005–2006 हेतु मंडल द्वारा 2000 भवन तथा 1500 भूखंड निर्मित/ विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवासीय भूखण्ड एवं भवन निर्माण के अतिरिक्त विभिन्न शासकीय विभागों एवं अर्ध शासकीय उपक्रमों के लिए निक्षेप कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली

मण्डल को देश एवं प्रदेश के बाहर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लगभग 40.00 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत किये गये थे। इन कार्यो में से 25.00 करोड़ के कार्य निष्पादित किये जा चुके हैं एवं शेष 15.00 करोड़ के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

2. पुलिस आधुनिकीकरण

इस योजना के अन्तर्गत म.प्र.गृह निर्माण मण्डल को लगभग 35.00 करोड़ के विभिन्न कार्य सौंपे गये थे। इन कार्यो में से 30.00 करोड़ के कार्य मण्डल द्वारा पूर्ण किये जा चुके हैं एवं शेष 5.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं, जो कि मार्च 2005 तक पूर्ण होना सम्भावित हैं।

3. आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के निक्षेप कार्य

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न आवासीय होस्टल भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत लगभग 9.00 करोड़ की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई थी। इसके अन्तर्गत रूपये 3.50 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष कार्य प्रारम्भ किया जा रहे हैं।

4. तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्माण कार्य

तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राघौगढ़, बड़वानी, छिन्दवाड़ा, भिण्ड एवं कटनी में शासकीय पालीटेक्निक भवनों के निर्माण कार्य की लगभग रूपये 8.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यो में से लगभग 2.00 करोड़ के कार्य सम्पादित किये जा चुके हैं। शेष निर्माण कार्यो में से लगभग रूपये 2.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं तथा शेष निर्माण कार्य हेतु विभाग से राशि प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य की कार्यवाही की जा सकेगी।

5. इसरो

अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत इसरों द्वारा म.प्र.गृह निर्माण मण्डल को अयोध्या भोपाल में लगभग 10.00 करोड़ के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके अन्तर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र एवं आवासीय भवनों का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित था। उक्त कार्यो के अन्तर्गत लगभग सभी कार्य पूर्णता की ओर हैं एवं मण्डल द्वारा इन निर्माण कार्यो पर रूपये 7.00 करोड़ का व्यय किया गया है तथा शेष कार्य मार्च 2005 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

नवीन परियोजनायें

(1) रिवेयरा टाउन

म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा कुककुट प्रक्षेत्र, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल में लगभग 20.00 करोड़ की रिवेयरा टाउन परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत निविदायें दिनांक 13.1.05 को आमंत्रित की गई हैं।

(2) भेल एम.ओ.यू.

भेल एम.ओ.यू. के अन्तर्गत मण्डल को प्राप्त भूमि में से मण्डल द्वारा विभिन्न प्रकार के 269 भवनों का निर्माण कार्य रूपये 737.00 लाख की लागत से प्रारम्भ किया जा रहा है। इसमें से लगभग 150 भवनों का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। शेष भवनों के निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं।

(3) वाल्मिकी अम्बेडकर आवासीय योजना

बोर्ड द्वारा वाल्मीकि अम्बेडकर आवासीय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन्द्रीय शासन द्वारा पोषित इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी वाले हितग्राहियो को आवास सुलभ करने हेतु 50 प्रतिशत राशि के बराबर अनुदान प्रावधानित है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप मे सुलभ होगी। उक्त योजना के तहत बाग सेवनिया भोपाल मे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) की भूमि पर विकसित 2200 भूखंडों पर भवन निर्माण की योजना प्रस्तावित है। इन प्रस्तावित भवनों का आवंटन भेल क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी वासियों को किया जावेगा। योजना की अनुमानित लागत 500 लाख है जिसके अन्तर्गत 850 भवन निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। 693 भवनों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तथा 110 भवनों के निर्माण की निविदायें आमंत्रित की जा रही है।

क्रियान्वित की जा रही वृहद् परियोजनाएँ

1. प्लेटिनम पार्क/प्लेटिनम प्लाजा

साऊथ टी.टी. नगर माता मन्दिर के पास म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा राशि रू. 36.64 करोड़ की लागत से एक आवासीय सह व्यवसायिक परिसर 'प्लेटिनम पार्क/प्लेटिनम प्लाजा' का निर्माण किया गया है तथा यह परियोजना माह मार्च 2005 तक पूर्ण होना है। इस परियोजना के अन्तर्गत 145 प्रकोष्ठ भवन, 92 दुकाने और 42 कार्यालयीन कक्ष निर्मित किये जा रहे हैं।

2. सेन्टर पाइन्ट

साऊथ टी.टी. नगर में म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा लगभग रूपये 7.00 करोड़ की लागत से व्यवसायिक परिसर 'सेन्टर पाइन्ट' का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

3. मेट्रो प्लाजा

इसी प्रकार मण्डल द्वारा बिट्ठन मार्केट, भोपाल में लगभग 7.00 करोड़ की लागत से व्यवसायिक परिसर 'मेट्रो प्लाजा' का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसका विधिवत लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 8.12.04 को किया जा चुका है।

4. जयेन्द्रगंज ग्वालियर

जयेन्द्रगंज ग्वालियर में मंत्रिमण्डल के निर्णय अनुसार 'राजीव प्लाजा' व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत रूपये 657.00 लाख है। इसमें 78 दुकाने, 4 शोरूम तथा 18 कार्यालयीन कक्ष/शोरूम एवं बेसमेंट में पार्किंग का प्रावधान करते हुए स्कूल परिसर का कार्य किया जा रहा है।

5. जबलपुर में तहसील कार्यालय

जबलपुर में तहसील कार्यालय का निर्माण ढ़ाई एकड़ भूमि पर 'सत्यमेव जयते' परिसर के नाम से नवीन तहसील कार्यालय भवन, 88 फ्लेट, 69 एडवोकेट चेम्बर, कार्पोरेट कार्यालय एवं कृषि कार्यालय का कार्य रू. 1035.00 लाख की राशि से किया जा रहा है।

6. केन्द्रीय जेल, इन्दौर

इन्दौर में देवी अहिल्या बाई मार्ग स्थित पुराने जेल के शेडों को तोड़कर 29.86 एकड़ जमीन पर मण्डल द्वारा लगभग 500 डुप्लेक्स भवन/फ्लेट एवं व्यवसायिक परिसर का निर्माण फारच्यून सिटी के नाम से किया जा रहा है। यह योजना 10386.00 लाख की राशि से क्रियान्वित की जा रही है। भूमि का भू परिवर्तन हो चुका है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा। जेल परिसर की वाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा लगभग 3.00 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

प्रस्तावित प्रमुख योजनायें

1. साऊथ टी.टी. नगर में सरदार पटेल स्कूल एवं उसके आसपास के क्षेत्र में हेबीटेड सेन्टर का निर्माण प्रस्तावित है। यह परियोजना हुडको एवं गृह निर्माण मण्डल के मध्य संयुक्त उपक्रम स्थापित कर तीन चरणों में क्रियान्वित की जायेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत रूपये 90.00 करोड़ है। प्रथम चरण में लगभग 16.00 करोड़ रूपये के कार्य किये जायेंगे।

2. इसी क्षेत्र में जवाहर चौक के निकटवर्ती क्षेत्रों में सेन्टर विजनेस डिस्ट्रीक्ट का विकास किया जावेगा, जिसमें वाणिज्यिक आवासीय, स्वास्थय, शिक्षा एवं आमोद प्रमोद की सुविधायें उपलब्ध होंगी। शासन को प्राथमिकी परिकल्पना प्रस्तुत की जा चुकी है।

3. भोपाल में ही केरवा बांध के मार्ग पर पशु चिकित्सा विभाग के पास उपलब्ध अनुपयोगी 300 एकड़ भूमि पर ''पुरूषोत्तम नगर'' विकसित करना प्रस्तावित है।

4. बालमपुर में गोकुल ग्राम योजना के शुभारम्भ पर दिनांक 13.12.04 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि म.प्र.पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल में 150 सीटेड ''तारा मण्डल'' के लिए भवन निर्मित करायेगा। इस योजना की लागत लगभग रूपये 9.00 करोड़ है, जिसमें भवन निर्माण की लागत लगभग रूपये 2.50 करोड़ है। प्रस्ताव तैयार कर शासन/म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम को प्रेषित किया गया है।

5. म.प्र. शासन द्वारा तीन नवीन जिलों का गठन किया गया है। म..प्र.शासन, राजस्व विभाग को तीन नवीन जिले अर्थात बुरहानपुर, अशोकनगर एवं अनूपपुर में जिला कार्यालय परिसर

एवं प्रत्येक स्थान पर 57 आवासगृहों के निर्माण कार्य हेतु रूपये 21.00 करोड़ के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। स्वीकृति अपेक्षित है।

6. भोपाल के अयोध्या उपनगर में वाणिज्यिक परिसर का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें दुकाने, कार्यालयीन भवन आदि प्रस्तावित हैं। इस परियोजना की लागत लगभग रूपये 4.00 करोड़ है।

7. जी.टी.बी. काम्पलेक्स, भोपाल में व्यवसायिक परिसर का निर्माण रूपये 3.00 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जाना प्रस्तावित है।

8. अयोध्या उप नगर में आवासहीन लोगों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सस्ती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथमतः 100 भूखण्ड एवं आगे चलकर लगभग 1100 भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे।

9. गृह निर्माण मण्डल द्वारा रायसेन, बेगमगंज तथा सागर में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भूमियों का परीक्षण किया जा रहा है एवं भूमियों के चयन पश्चात भू–अर्जन की कार्यवाही कर आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जावेगी।

भाग – 4

सामान्य प्रशासनिक विषय

4.1 न्यायालयीन प्रकरण :– वर्ष 2003 की अवधि में कुल 406 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये हैं, जिनमें से 92 प्रकरणों का निराकारण हो चुका है। ठीक इसी तरह वर्ष 2004 की अवधि में कुल 406 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये हैं, जिनमें से 92 प्रकरणों का निराकारण हो चुका है। जो 22.66 प्रतिशत है। न्यायालाय वार दर्ज प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	न्यायालय	दर्ज प्रकरण		निर्णित प्रकरण	
		2003	2004	2003	2004
1	सर्वोच्च न्यायालय	13	4	8	2
2	मध्यस्थम अधिकरण	11	3	6	2
3	राज्य उपभोक्ता आयोग	90	42	12	36
4	राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग	20	9	2	14
5	उच्च न्यायालय जबलपुर	110	56	35	16
6	उच्च न्यायालय ग्वालियर	28	16	2	–
7	उच्च न्यायालय इन्दौर	34	15	1	1
8	जिला उपभोक्ता फोरम	50	24	23	16
9	जिला न्यायालय	21	–	–	–
10	श्रम न्यायालय	6	–	–	–
11	औद्योगिक न्यायालय	6	–	1	–
12	अन्य न्यायालय	17	–	2	–
	योग	**406**	**169**	**92**	**87**

प्रशासनिक शाखा से संबंधित वांछित जानकारी निम्न प्रकार हैः–

जांचः– बोर्ड का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है इसके अंतर्गत सम्पत्ति निर्माण एवं विक्रय तथ अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आधार पर उक्त अवधि में जांच प्रकरण प्रस्तावित किये गये हैं। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 26 प्रकरण जनवरी 2004 तक दर्ज किये गये थे, वर्ष 01.04.2004 से 31.01.2005 तक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के बिरूद्ध चार और मंडल के अधिकारियों/कर्मचारियों के बिरूद्ध चार प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। जिनमें से 16 निर्णित किये गये तथा 5 एवं 5 क्रमशः अप्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं निर्णय अपेक्षित स्थितियों में है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में 33 प्रकरण दर्ज हुये थे। जिसमें से 10 निर्णित हो चुके हैं 3 पर निर्णय अपेक्षित हैं तथा शेष 16 प्रकरणों से संबंधित जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

आई.एस.ओ.–9001 :–मण्डल द्वारा आवासीय भवनों की गुणवत्ता के साथ–साथ समय से पूर्ण करने तथा लागत में कमी करने एवं उपभोक्ताओं के संतुष्टि के उद्देश्य से आई.एस.ओ.–9001ः 2001 को प्रभावशील बनाने का निर्णय वर्ष 2003 में लिया गया। इसके प्रथम चरण में मण्डल द्वारा भोपाल में कार्यरत संभाग क्रमांक 3,5 एवं 6 का चयन किया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्टीय उत्पादकता संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के सलाहकार के रूप में नामजद किया गया। उनके मार्गदर्शन में आई.एस.ओ.–9001ः 2001 के प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रयास किये गये और चयनित संभागों का आंतरिक एवं बाहय अंकेक्षण कराया गया इसके आधार पर बोर्ड को वर्ष 2004 में आई. एस.ओ.–9001 प्रमाण पत्र दिया गया है। इस प्रयोग से भवनों की गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पादकता एवं अन्य स्तरों पर सुधार परिलक्षित होंगे। चूंकि यह तकनीकी सामान्य यांत्रिकी तकनीकी से भिन्न है। अतः इस तकनीकी को अगले 2 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड के समस्त श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी छोड़कर) को उनके व्यक्तित्व विकास, कार्यक्षमता एवं सकारात्मक सोच के संबंध में विभागीय प्रशिक्षण शिविर मुख्यालय एवं वृत्त स्तरों पर आयोजित किये जा रहे हैं।

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :– उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदाय करने के उद्देश्य से मण्डल मुख्यालय स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का प्रादुर्भाव जनवरी 2003 में किया गया। इस प्रकोष्ठ में प्रदेश के हितग्राहियों की भवनों के निर्माण, संधारण, संपत्ति प्रबंधन संबंधी आदि शिकायतेां का निराकरण किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रकरणों का निराकरण प्राक्रमिकता के आधार पर समय सीमा में करने हेतु प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर वस्तु स्थिति ज्ञात की जाती है, तथा मैदानी अधिकारियों (संबंधित उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री) से चर्चा कर समस्या का निदान किया जाता है। वर्ष 2004 में कुल लगभग 300 प्रकरण पंजीकृत किये गये थे , जिनमे से 166 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जो 55.30 प्रतिशत है।

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :– एम. पी. हाउसिंग बोर्ड द्वारा आई. एस. ओ. 9001 की क्वालिटी मेनेजमेंट सिस्टम मंडल में प्रभावशील की है। निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता बनाये रखने औरएम. पी. हाउसिंग बोर्ड की छबि को उन्नत करने हेतु आवश्यक है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तन–मन से लगन पूर्वक पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें। कर्मचारियों में किसी प्रकार का अयंतोष व्याप्त न हो, इसलिये यह सुनिश्चित किया गया कि कर्मचारियों की समस्या का निराकरण त्वरित गति से किया जाय। इस कार्य को सम्पादन करने हेतु **''कर्मचारी समस्या निवारण प्रकोष्ठ''** का गठन अक्टूबर 2003 में किया गया। इस प्रकोष्ठ में अक्टूबर 2003 से जुलाई 2004 तक 57 प्रकरण प्राप्त हुये थे, जिनका निराकरण प्रकोष्ठ द्वारा 13.7.2004 को आयोजित बैठक में सभी प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

(1) **विभागीय पदोन्नति एवं क्रमोन्नति :–** वर्ष 2004–05 में किसी भी संवर्ग में कोई विभागीय पदोन्नतियां नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त तृतीय श्रेणी के 101 कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी के 44 कर्मचारियों को क्रमोन्नति प्रदान करते हुये तृतीय श्रेणी के 98 कर्मचारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

(2) **नियुक्तियां :–**

(अ) माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार 03 कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी एवं 01 कर्मचारी को तृतीय श्रेणी पद पर कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति प्रदान की गई है।

(ब) कोटर्मिनस आधार पर 06 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई है।

(3) **स्थानांतरण :–** वर्ष 2004–05 में निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये है।

(अ) प्रथम श्रेणी	–	09
(ब) दितीय श्रेणी	–	13
(स) तृतीय श्रेणी	–	16
(द) चतुर्थ श्रेणी	–	00
कुल :–	–	**38**

मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ
भाग–1

संरचनाः मान्नीय मंत्री जी, म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग संघ के पदेन अध्यक्ष है। प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग संघ के पदेन उपाध्यक्ष तथा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संघ के पदेन कार्यपालन संचालक है।

अधीनस्थ कार्यालय : निरंक

संघ के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओ का विवरण :

प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित –06 विकास प्राधिकरण – भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर जबलपुर , 02–विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण – पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट तथा 156–स्थानीय संस्थाऐं – नगर निगम, नगर पालिकाऐं व नगर पंचायतें संघ की सदस्य संस्थाऐं है ! इस प्रकार वर्तमान में 164 संस्थाऐं संघ की सदस्य संस्थाऐं है ।

संघ के दायित्व

1. नगरीय विकास संस्थाओं की योजनाओं के नियोजन एवं वास्तुविदीय कार्य।
2. आई.डी.एस.एम.टी. व अन्य स्ववित्तीय योजनाओं का सर्वेक्षण , तकनीकी परीक्षण, व विस्तृत वास्तुविदीय कार्य।
3. विकास संस्थाओं को तकनीकी, प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन व अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण/सेमिनार का आयोजन
4. राज्य शासन द्वारा सौपे गये कार्यो का संपादन।

संघ से संबंधित जानकारी

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है। संघ का पंजीयन 1980 में म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया गया है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताऐं

भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। प्राधिकरणसंघ द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण संघ द्वारा अधिकतर तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस ' किया जा रहा है।

भाग–दो

बजट सिंहावलोकन, आय के स्त्रोत

संघ की आय के मुख्य स्त्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/ तकनीकी परीक्षण/ सर्वेक्षण कार्यो से प्राप्त शुल्क ही है। शासन से वर्तमान में संघ को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एव अंकेक्षण

वर्ष 2003–2004 के वास्तविक आय–व्यय क्रमशः रूपये 114.78 लाख तथा रू.104.71 लाख अनुमानित था जिसके विरूद्ध वास्तविक आय व्यय क्रमशः रू. 78.86 लाख व 75.14 लाख रहा । वर्ष–2004–2005 के प्रस्तावित आय–व्यय क्रमशः रू. 174.55 लाख तथा रू. 106.55 लाख अनुमानित है।

प्राधिकरण संघ के वर्ष 2003–2004 तक के आय–व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है ।

संसदीय कार्य, विधि विषयक कार्य एवं न्यायलयीन कार्य – निरंक

स्वीकृत सेटअप

प्राधिकरण संघ के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 79 पद स्वीकृत है। इनमे से 24 कर्मचारी तकनीकी संवर्ग तथा 55 गैर तकनीकी संवर्ग के है सभी अधिकारी/कर्मचारी नियमित सेवा में है।

भाग – तीन

(अ,ब) राज्य योजनाऐं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा 1995–96 से अभीतक कुल 95 नगरों की लागत रू. 14017.65 लाख की योजनाऐं तैयार कर स्वीकृति हेतु केन्द्र शासन की ओर भेजी गई है इनमें से 90 नगरों की योजनाऐं केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत कर 72 नगरों की योजनाओं के क्रिन्यान्वयन हेतु रूपये 2495.15 लाख केन्द्रांश एवं रू. 1663.00 लाख राज्यांश राशि सहित कुल अनुदान राशि रू. 4158.13 लाख नगरीय निकायों को मुक्त किये जा चुके है । इसके अतिरिक्त 17 नगरों के लिये केन्द्र शासन द्वारा केन्द्रांश रू. 516.00 लाख मुक्त किये गये है । राज्य शासन द्वारा इन नगरों को केन्द्रांश रू.516.00 लाख तथा अनुपातिक राज्यांश रू. 344.00 लाख सहित कुल 860.00 लाख नगरीय निकायों को मुक्त किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त 2001–02, 2002–03, 2003–04 में स्वीकृत नगरीय निकायो को सीयूआईएसएस मद में अनुदान राशि रू. 151.00 लाख (केन्द्रांश रू.90.60 लाख + राज्यांश रू. 60.40 लाख) भी नगरीय निकायों को मुक्त किये जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलन में है ।

कुल स्वीकृत 90 नगरों में से 72 नगरों की योजनाओं में क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें से 36 नगरों द्वारा रू. 1576.16 लाख व्यय किये जा चुके है । शेष नगरों में राज्य

शासन से राशि विलंब से प्राप्त होने , भूमि प्राप्त होने में कठिनाई तथा निर्वाचन अवधि में प्रभावशील आचार सहिंता के कारण क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं आ सकी है ।

केन्द्र शासन से स्वीकृत 4 नगरों क्रमशः मण्डीदीप , सोहागपुर, कंटगी, व नैनपुर की योजनाओं हेतु राशि मुक्त किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में केन्द्र शासन के पास 7 नगरों क्रमशः अंजड़, नलखेड़ा , मझौली, दमोह, खिरकिया, गुड़, पनागर, व गोहद की योजनाऐं स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ।

वर्ष 2004–05 में कार्यालय द्वारा जनवरी 2005 तक 25 नगरों की योजनाऐं तैयार की जा चुकी है जिनमें से 18 नगरों क्रमशः महेश्वर, देवेन्द्रनगर, बण्डा, जीरन, सैलाना, बेगमगंज, सिगौली, मुंदी, डीकेन, तराना, औकारेश्वर, हरपालपुर, नसरूल्लागंज, रीवा, मण्डीदीप, सोहागपुर, कंटगी, व नैनपुर की योजनाऐं स्वीकृत की जा चुकी है तथा उपरोक्तानुसार सात योजनाऐं स्वीकृति हेतु लंबित है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष निर्धारित लक्ष्य के अनुसार म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा वर्ष 2004–05 में आई.डी.एस.एम.टी.योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों के योजना घटकों का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया गया, इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक बस स्टैण्ड, आवासीय, उद्यान, कम्यूनिटी हॉल, स्टेडियम, आफिस काम्पलेक्स, सब्जी मार्केट जैसे अन्य विकास कार्य शामिल है ।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाऐं : निरंक

(द) विदेश सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं : निरंक

(ई) अन्य योजनाऐं :

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा वर्ष 2004–05 में कृषि उपज मण्डी भोपाल की रू.450.03 लाख की योजना का वास्तुविदीय कार्य किया गया, इसके अतिरिक्त प्रदेश की कई अन्य मण्डी समितियों की योजनाओं का नियोजन /वास्तुविदीय कार्य किया जा रहा है । भोपाल नगर निगम की कोकता में प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर की योजना का सर्वेक्षण एवं सर्वे ले आउट तैयार करने तथा म.प्र.गृह निर्माण मण्डल की विभिन्न योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य किया गया , साथ ही हरदा, नौगाव, जुन्नारदेव (जिला छिन्दवाड़ा) की इन्डोर स्टेडियम की योजना व नगरीय निकायों की अन्य योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जा रहा है ।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

(1) म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा प्रदेश के 50 नगरीय निकायो के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये विकास योजना (मास्टर प्लान) के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है ।

जॉच समितिया, किए गए अध्ययन आदि अंकित किये जाए : निरंक

भाग – पॉच

अभिनव योजना : प्रदेश के 50 नगरों की विकास योजनाऐं निजी नगर नियोजकों के माध्यम से तैयार करने का कार्य संभावित है । इन 50 नगरों पर होने वाले संभावित व्यय रू. 459.50 लाख अनुमानित है ।

भाग – छः

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा सदस्य संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से एक छमाही पत्रिका का प्रकाशन करना प्रस्तावित है ।

भाग – सात

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संघ द्वारा अमल किया जा रहा है । प्राधिकरण संघ में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है । उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है । प्राधिकरण संघ में महिला उत्पीडन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। संघ में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक महिला अधिकारी श्रीमती वर्षा जैन सहायक वास्तुविद को नामांकित किया है । वर्तमान में कार्यालय में कुल– 12 महिला कर्मी है ।

भाग– आठ

सारांश

आगामी वर्ष की योजनाऐं व कार्यक्रम

मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के पास वर्तमान में लगभग 31 नगरों क्रमशः कोटर, तलैन, पीथमपुर, बोडा, पचौर, नीमच, मौ, सरदारपुर, बरेली, उज्जैन, हरदा, मल्हारगढ़, डिडौरी, डोगरपारासिया, सिरमौर, सिवनी, धार, गाडरवारा, रेहटी, राजनगर, बागली, सतवास, अनुपपुर, भैसदेही, सबलगढ़, केलारस, बुंधनी, पचमढ़ी पिपरिया, उचेहरा, नेपानगर, विजयराघोगढ़, के आई. डी.एस.एम.टी. योजना तैयार करने के प्रस्ताव है । वर्ष 2005–06 में लगभग 25 नगरों की योजनाऐं स्वीकृति हेतु केन्द्र शासन को भेजा जाना प्रस्तावित है । आगामी वर्ष में अभीतक स्वीकृत 90 नगरों में से अधिकांश शेष योजना घटकों के विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया जाना प्रस्तावित है तथा नये स्वीकृत नगरों के प्रथम चरण के योजना घटकों के विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किये जावेगें । साथ ही पूर्व में स्वीकृत नगरों – सोनकच्छ,, नौगॉव, खजुराहो, धनपुरी ,नागौद , राजपुर, बडवानी, जावद, व चौरई नगरों की विकास निवेश योजना तैयार की जा रही है इन योजनाओं को वर्ष 2005 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

मध्य प्रदेथ राज्य कर्मचारी आवास निगम

भाग–एक

संरचना

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमाँक–44) के अधीन किया गया है जिसका पंजीयन क्रमाँक 18851 दिनांक 01 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एकमात्र कार्यालय /मुख्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग हैं तथा अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग पदेन प्रबंध संचालक होते हैं। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य प्रमुख सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं। वर्तमान में निगम कार्यालय में 5 तृतीय श्रेणी एवं 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं।

अधीनस्थ कार्यालय

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं :–
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अन्तर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

निगम के दायित्व :–
राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

निगम से सम्बंधित सामान्य जानकारी :–

(1) निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

(2) वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्हलपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राशि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

(3) सामान्य रूप से एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू–खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं :–
निगम द्वारा प्रदेश के सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा सुलभ कराने का कार्य किया जाता है।

महत्वूर्ण सांख्यकी

क्रमाँक	उपलब्धियाँ	हितग्राहियों की संख्या
01.	निर्मित आवास उपलब्ध कराना	192
02.	विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराना	2,475

भाग–दो

बजट :–निगम एक स्ववित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्त्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भू–खण्डों/भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं हितग्राहियों को दिये गये ऋण आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।

मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995–96 से एक निश्चित राशि धनवेष्ठन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्य प्रदश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये कोई राशि इस निगम को धनवेष्ठन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 100.00 लाख धनवेष्ठन हेतु तथा निगम के स्थापना व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु भी प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि इस निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

निगम के वित्तीय वर्ष 2002–2003 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार आय रूपए 55,37,574.08 पैसे मात्र रही तथा व्यय रूपए 50,31,981.21 पैसे मात्र रहा।

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) राज्य योजनाएं

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अन्तर्गत जनवरी, 2005 तक मन्दसौर, नीमच, धार, कटनी, झाबुआ एवं रतलाम में लगभग रूपए 1,218.40 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के विकास का कार्य गतिशील है तथा निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 748 तथा इस वर्ष 317 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है तथा शेष भू–खण्डों के आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में वर्ष 2001 से जनवरी, 2005 तक निगम द्वारा प्रदेश के 07 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 1,338 आवासीय भू–खण्डों की

लगभग रूपए 712.92 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भू–खण्डों के आवंटन हेतु विज्ञापन जारी कर, इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

(ब) **केन्द्र प्रवर्तित योजना :–** निरंक।

(स) **विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :–** निरंक।

(द) **विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :–** निरंक।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) जाँच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों, नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

(ब) मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

(स) जनवरी, 2004 से जनवरी, 2005 तक मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 02 तारांकित प्रश्न, 03 अतारांकित प्रश्न तथा 00 राज्य सभा प्रश्न प्राप्त हुये। निगम द्वारा इन प्राप्त प्रश्नों के सम्बंध में वाँछित जानकारी समय सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(द) इस निगम द्वारा मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से प्राप्त विधान सभा से सम्बंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।

(इ) वर्ष 2004–2005 के अन्तर्गत जनवरी, 2005 तक इस निगम के विरूद्ध 05 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हुये। निगम द्वारा इन प्रकरणों में समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही की गई।

(ई) अन्य विधायी कार्यों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

भाग–पाँच

अभिनव योजना निरंक।

भाग–छः

इस निगम द्वारा कोई प्रशासन नहीं प्रकाशित किये जाते हैं। अतः जानकारी निरंक है।

भाग–सात

महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी

निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2001 तक 185 तथा विगत तीन वर्षों में 118 एवं वर्ष 2004–2005 में 75 इस प्रकार कुल 378 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू–खण्डों/भवनों का आवंटन किया गया है।

भाग–आठ

सारांश :–इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल में विभिन्न श्रेणी के 192 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच, धार, कटनी, झाबुआ एवं रतलाम में विभिन्न श्रेणी के 2,475 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम द्वारा झाबुआ, दमोह, बड़वानी, राजगढ़ (ब्यावरा), शाजापुर, पन्ना एवं छतरपुर में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित हैं। आगामी वर्षों में भी निगम द्वारा विभिन्न सम्भाग आयुक्त/जिला कलेक्टर्स के प्रस्ताव अनुसार आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भाग–एक

संरचना

मध्य प्रदेश शासन द्वारा सितम्बर 1974 में राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण की दृष्टि से केन्द्रीय अधिनियम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया । राज्य में कार्यरत् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है । अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुये पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जनचेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा संपादित किये जाते हैं ।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के तहत् प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करता है :–

1. जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गतः–

    4.1 परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 1989
    4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
    4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हस्तन) नियम, 1998
    4.4 पुनःचक्रित प्लास्टिक (विनिर्माण और उपयोग) नियम,1999
    4.5 नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2000
    4.6 बैटरी (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2001

बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में स्थित है । पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय अनुसंधान केन्द्र, दस क्षेत्रीय कार्यालय, एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला, चार उप क्षेत्रीय कार्यालय, दो मॉनिटरिंग सेन्टर एवं तीन एकल खिड़की कार्यालय कार्यरत हैं ।

क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य दायित्व

- उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण ।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्त्राव एवं उत्सर्जन की मानिटरिंग ।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मानिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जॉच कार्य।

- प्राकृतिक जल स्त्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मानिटरिंग ।
- पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु मानिटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग ।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना तथा सम्मति का नवीनीकरण करना ।
- वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति /सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना। प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण कर प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराना ।
- क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्त्रोतों, नदियों आदि में घरेलू जल–मल से जल गुणवत्ता प्रभावित होने पर इसके नियंत्रण हेतु योजना बनाना ।
- जल उपकर अधिनियम 1977 के प्रावधानों के तहत जल उपयोग संबंधी जानकारी मुख्यालय भेजना ।
- पर्यावरण जन चेतना हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

भाग दो

बजट प्रावधान एवं आय

वर्ष 2003–2004 में बोर्ड को विभिन्न स्त्रोतों से कुल प्राप्ति रूपये 1301.33 लाख आंकी गयी है । जिसमें राज्य शासन से प्राप्त राशि 146.20 लाख, केन्द्र शासन से रूपये 279.03 लाख (जिसमें जल उपकर राशि के अंश अंतर्गत 254.73 लाख रूपये सम्मिलित हैं)

वर्ष 2003–2004 में राज्य शासन के बजट में रूपये 268.00 लाख का प्रावधान किया गया था, लेकिन राज्य शासन से रूपये 146.29 लाख की राशि प्राप्त हुई है । वर्ष 2004–2005 में प्रस्तावित योजनाओं के लिये रूपये 251.00लाख का प्रावधान किया गया है ।

प्रस्तावित योजनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र.	योजना	बजट आवंटन लाख रूपये
1.	मेलों के समय विशिष्ठ प्रदूषण की रोकथाम	8.50
2.	शहरी जल–मल व्यवस्था से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम	–
3.	बड़ी नदियों के प्रवाह, जल निकाय एवं उद्गम स्थलों की निगरानी	6.00
4.	वायु प्रदूषित क्षेत्रों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का आकलन	6.00
5.	बोर्ड का संगठनात्मक सुधार	6.00
6.	शोध एवं विकास संस्थान	6.00
7.	वाहन एवं ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन एवं निगरानी	4.00
8.	इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर	5.00
9.	खतरनाक अपशिष्ठ डिस्पोजल साईट का पर्यावरणीय सुधार	3.50
10.	पर्यावरण पुरस्कार	5.00
11.	सिंहस्थ 2004	1.00
12.	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना)	200.00
13.	**कुल योग**	**251.00**

उपरोक्त के विरूद्ध बोर्ड को जनवरी 2005 तक रूपये 111.67 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है ।

भाग तीन

अ राज्य योजनायें

प्रदेश में विकास को पर्यावरणीय अधिनियमों के परिपेक्ष्य में संतुलित रखने के अभिप्राय से पर्यावरण नीति बनाई गई है तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की महत्वपूर्ण गतिविधियों में औद्यौगिक प्रदूषण नियंत्रण, घरेलू प्रदूषण नियंत्रण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण मापन, जल स्त्रोतों की गुणवत्ता मापन व निगरानी, जोनिंग एटलस, परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन, नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सतत कार्यवाही की जा रही है ।

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों /योजनाओं के अंतर्गत संपादित प्रमुख गतिविधियां एवं उपलब्धियों की अद्यतन जानकारी नीचे दी गई हैं :–

औद्यौगिक प्रदूषण नियंत्रण

प्रदेश को औद्यौगिक प्रदूषण के खतरे से बचाने के उद्वेश्य से विशेष कदम उठाते हुये राज्य में आनेवाले सभी नये उद्योगों को पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने के उपरांत ही उत्पादन की अनुमति दी गई । आनेवाले सभी उद्योगों को अधिकाधिक वृक्षारोपण करना अनिवार्य शर्त के रूप में निर्देशित किया गया व इस वर्ष दिनांक 1.4.2004 से 31.12.2004 तक लगभग पचास हजार वृक्षों का रोपण प्रश्नाधीन अवधि में किया गया । पूर्व से स्थापित सभी जल/ वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में प्रदूषणरोधी व्यवस्था लागू कराने के साथ–साथ 29 वृहद एवं मध्यम श्रेणी के व 17 लघु श्रेणी के उद्योगों द्वारा जल उपचार संयंत्र तथा 24 वृहद एवं मध्यम श्रेणी के व 46 लघु श्रेणी के उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषणरोधी उपकरण लगाये गये। अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुमति हेतु प्रकरण भारत सरकार को पर्यावरण आंकलन अधिसूचना के अनुसार लोक सुनवाई के पश्चात् अग्रेषित किये जाते हैं ।

लघु उद्योगों को राज्य द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आर्थिक सहायता

छोटे एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर उद्योगों के दूषित जल उपचार हेतु संयुक्त दूषित जल उपचार संयंत्र योजना के अंतर्गत भोपाल के गोविन्दपुरा औद्यौगिक क्षेत्र के लघु उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल को संयुक्त रूप से उपचारित करने के उद्वेश्य से शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया । उपरोक्त योजना में राज्य शासन के 25 प्रतिशत, केन्द्र शासन के 25 प्रतिशत, हितग्राहियों के 10 प्रतिशत व बैंकों से 40 प्रतिशत ऋण की आर्थिक व्यवस्था के साथ संयुक्त दूषित जल शोधन संयंत्र का कार्य पूर्ण किया गया ।

घरेलू प्रदूषण नियंत्रण

नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं निपटान करने का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का है इस हेतु सुविधायें स्थापित करना तथा नगरीय ठोस अपशिष्ठ (हथालन तथा प्रबंधन) नियम, 2000 के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त करने का दायित्व भी संबंधित नगर निकाय का है। वर्तमान तक 02 नगर निगमों द्वारा बायो फर्टिलाईजर प्लांट की स्थापना कर ली गई है। 32 नगर निकायों ने अपशिष्ठ के निपटान की सुविधा स्थापित करने हेतु परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं । 280 नगर निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ठ के निपटान हेतु स्थल चिन्हित किये गये हैं । दिनांक 31.12.2004

तक उक्त नियम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा 230 नगरीय निकायों को प्राधिकार जारी किया जा चुका है ।

वांछित कार्यवाही नहीं करने के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा आवश्यक समझाईश एवं निर्देश जारी किये गये हैं । इस हेतु दिनांक 8.10.1997 को समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन भी कराया गया है । समय–समय पर जल अधिनियम की धारा 20 एवं 33 क तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 एवं 19 के अन्तर्गत दिनांक 9.11.1997, 20.2.2002एवं 21.11.2003के माध्यम से नोटिस जारी किये गये हैं । दिनांक 5.1.2004 को बोर्ड कार्यालय में तत्कालीन आवास एवं पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में स्थित सभी नगर निगमों के आयुक्तों की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें संबंधितों को घरेलू दूषित जल एवं नगरीय अपशिष्ठों के उचित प्रबंधन हेतु निर्देश दिये गये थे ।

परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन

परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 व संशोधित नियम, 2000 एवम् 2003 के अनुसार प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ठ उत्पन्न करने वाले उद्योगों का पता लगाने, उत्पन्न होने वाले अपशिष्ठों की श्रेणी, वार्षिक मात्रा एवं अपशिष्ठों के उचित प्रबंधन एवं अपवहन की कार्यवाही की जा रही है । इस नियम के अन्तर्गत अपशिष्ठ उत्पन्न करने वाले 771 उद्योगों को प्राधिकार दिया जा चुका है । प्रदेश में स्थित उद्योगों द्वारा जनित खतरनाक अपशिष्ठों के सुरक्षित हथालन व निष्पादन हेतु राज्य शासन द्वारा 3 अपवहन स्थलों (जबलपुर, राजगढ़ एवं इन्दौर जिलों में स्थित) को चिन्हित कर अधिसूचित किया गया था तथा इन्दौर स्थल को विकसित करने की कार्यवाही की जा रही थी । इस हेतु एक कार्य योजना भारत सरकार, पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय को भेजी गई थी, परन्तु मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह भूमि जेल विभाग को आवंटित कर दी गई । मध्य प्रदेश शासन की मदद एवं मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से धार जिला के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में स्थल विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

इमरजेंसी रिस्पोंस सेंटर (ई.आर.सी.)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं अन्य संबंधित आपात परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेन्सियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेंसी रिस्पोंस सेंटर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है । जिसका संचालन मध्यप्रदेश राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है । मध्य प्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इस केन्द्र को ''नोडल एजेन्सी'' धोषित किया है । वर्तमान तक कुल 245 उद्योगों द्वारा इस केन्द्र की सदस्यता प्राप्त की गई है । ई.आर.सी. के कार्यक्षेत्र की सीमा सिर्फ मध्यप्रदेश राज्य तक सीमित नहीं है, अतः इसके द्वारा पूर्व में आपदा की स्थिति में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों को भी तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया है ।

इस केन्द्र के द्वारा विभिन्न रसायनों की जानकारी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य सी.ए.एस. संख्या, आर.टी.ई.सी.एस. संख्या, प्रचलित रसायनिक नामों आदि के आधार पर तैयार की गई है । रसायनों की पहचान हेतु कास इन्डेकिसिंग की व्यवस्था भी की गई है, इस केन्द्र द्वारा केप्ट सिस्टम भी तैयार किया गया है जिसके द्वारा रसायनों की गुणधर्मता ज्ञात की जा सकती है । रसायनिक दुर्घटनाओं के दौरान आवश्यक बचाव संबंधी जानकारी मेडिकल एड, एन्टीडॉट, दुर्घटना के प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी (एम.एस.डी.एस., आई.सी.एस.सी. आदि) भी इस केन्द्र द्वारा

तैयार की गई है । रसायनिक दुर्घटनाओं के समय प्रशासन एवं जन सामान्य को सुरक्षित क्षेत्र की जानकारी दिये जाने संबंधी तंत्र की जानकारी भी इस केन्द्र में उपलब्ध है, जिससे प्रभावितों को सुरक्षित क्षेत्र में विस्थापन (Isolation distance) के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा सकता है ।

ई.आर.सी. के द्वारा रिजनल रजिस्टर ऑफ पोटेन्शियली टाक्सिक केमिकल्स (आर.आर.पी.टी.सी.), स्टेट क्राइसिस ग्रुप से समन्वय आदि का कार्य भी देखा जाता है ।

सुनामी त्रासदी में ई.आर.सी. का सहयोग – विगत माह दिसम्बर 2004 में देश के दक्षिणी भाग में सुनामी लहरों के कारण हुई भीषण मानवीय त्रासदी के दौरान इस केन्द्र के द्वारा सहायतार्थ त्वरित कार्यवाही की गई । इस दौरान ई.आर.सी. द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र, नई दिल्ली, सेन्ट्रल क्राइसिस ग्रुप एलर्ट सिस्टम नई दिल्ली, दक्षिणी प्रांतों के राज्य आपदा समूह (स्टेट क्राइसिस ग्रुप) एवं जिला आपदा समूहों (डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप) से सतत् संपर्क रखा एवं संबंधित ऐजेन्सियों को संभावित रसायनिक दुर्घटनाओं एवं महामारी की समस्या से निपटने हेतु सचेत कर मार्गदर्शन दिया गया, प्रभावित क्षेत्र में महामारी (हैजा, मलेरिया, डैंगु आदि) रोकने हेतु आवश्यक रसायनों की जानकारी एवं महामारी की दशा में उपयोगी एन्टीडॉट संबंधित जानकारी भी इस केन्द्र द्वारा समस्त संबंधित ऐजेन्सियों को प्रेषित की गई ताकि इनकी व्यवस्था जरूरत पड़ने से पूर्व ही की जा सके जिससे संभावित नुकसान को कम किया जा सके । उक्त महत्वपूर्ण जानकारी ई.आर.सी. की बेव–साइट www.erc-india.org एवं www.mppcb.org पर दिनांक 29.12.2004 को दर्शित कर दी गई थी । अन्य संबंधित जानकारी भी सहायतार्थ बेव–साइट पर उपलब्ध करवाई गई जो कि सर्व सामान्य द्वारा देखी जा सकती है । जानकारी के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ई. आर.सी. द्वारा प्रेस एवं विभिन्न अखवारों के माध्यम से भी जानकारी जन–सामान्य एवं सहायता ऐजेन्सियों तक पहुँचाई गई ।

अन्तर्राष्ट्रीय ओशनोग्राफिक कमीशन एवं यूनेस्को द्वारा संचालित अन्तर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केन्द्र के संचालक श्री लारा कॉग एवं सूचना केन्द्र के अध्यक्षीय कार्यालय से सुनामी त्रासदी के संबंध में एवं भविष्य की योजना के संबंध मे ई.आर.सी. को प्राप्त पत्रों से शासन को अवगत कराया गया ।

जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 1998 को जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998 प्रकाशित किये गये हैं जो उन सभी व्यक्तियों पर लागू हैं जो किसी भी रूप में जीव चिकित्सा अपशिष्ठि का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन (डिस्पोजल) करते हैं । इन अपशिष्ठों को 10 श्रेणियों में बांटा गया है तथा उपचार की विभिन्न पद्धतियॉ जैसे इन्सीरिनेशन, आटो क्लेविंग, माइक्रोवेविंग, रसायनिक उपचार, कटिंग श्रेडिंग तथा भूमि मे ं गहरा गाढ़ना आदि विकल्प उल्लेखित हैं ।

स्वास्थ्य सेवायें अति आवश्यक होने के कारण अधिकांश चिकित्सालय व निजी नर्सिंग होम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं एवं इनके कचरे के अपवहन व डिस्पोजल की पृथक से व्यवस्था न होने के कारण पूर्व में इनका अपवहन व डिस्पोजल नगरीय ठोस अपशिष्ठों के साथ किया जाता था । जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम लागू होने के उपरांत इन संस्थानों से उत्पन्न अपशिष्ठों के समुचित प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तर पर समन्वित प्रयास जैसे – चिकित्सालय में कार्यरत् स्टाफ को समुचित प्रशिक्षण ताकि वे विभिन्न श्रेणी की अपशिष्ठों को नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पृथक–पृथक डस्टबिन में रख सकें, प्रत्येक नगर में जीव चिकित्सा अपशिष्ठ के उपचार हेतु

संयुक्त उपचार व्यवस्था तथा उपचारित अपशिष्ठों के डिस्पोजल हेतु डम्पिंग साईट हेतु स्थलों का चयन व विकास इत्यादि । इस हेतु स्थानीय प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग होम एसोसियेशन इत्यादि के साथ बैठकें आयोजित कर समन्वित उपचार व्यवस्था की स्थापना हेतु प्रयास किये गये तथा वर्ष 1998 से निरंतर सभी चिकित्सा संस्थानों अथवा इनके स्थानीय संगठनों व संबंधित शासकीय विभागों/चिकित्सालयों का पत्राचार, बैठकें इत्यादि आयोजित कर नियमों से अवगत कराया गया तथा अधिकांश चिकित्सालयों में स्टाफ को अपशिष्ठों को पृथक्करण व सुरक्षित एकत्रीकरण से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया । इन प्रयासों के फलस्वरूप दिसम्बर 2004 की स्थिति में मध्यप्रदेश में विभिन्न बिस्तर क्षमता के अस्पतालों एवं अस्पतालों की संख्या निम्नानुसार है:–

1.	500 बिस्तर क्षमता से अधिक के अस्पताल	–	6
2	200 से 500 बिस्तर क्षमता के अस्पताल	–	27
3	50 से 200 बिस्तर क्षमता से अधिक के अस्पताल	–	147
4	50 बिस्तर से कम क्षमता के अस्पताल	–	1302

जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों के अनुसार पॉच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भस्मक विधि पर आधारित अपशिष्ठ निपटान व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है । उपरोक्त नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थापित अस्पतालों में भी भस्मक स्थापित किए गये हैं । इस प्रकार कुल 31 अस्पतालों द्वारा स्वयं के भस्मक की स्थापना की गई है तथा इनमें से 4 अस्पतालों, जे.ए. अस्पताल ग्वालियर, नेताजी सुभाष अस्पताल जबलपुर, जिला चिकित्सालय सतना तथा पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल भोपाल द्वारा अपने भस्मक में नगर के अन्य अस्पतालों को व्यावसायिक शर्तो पर अपशिष्ठ दहन की सुविधा दी गई है ।

निजी क्षेत्र के उद्यामियों द्वारा भी व्यावसयिक शर्तो पर भस्मक पद्धति पर आधारित संयंत्र स्थापित कर जीव चिकित्सा अपशिष्ठ को संयुक्त उपचार की निम्नानुसार व्यवस्था की गई है जहॉ अस्पतालों से कचरा एकत्र कर उपचार स्थल तक परिवहन किया जाना है एवं उसका विनष्टिकरण किया जाता है :–

- इन्दौर नगर – 1
- भोपाल नगर – 1
- जबलपुर नगर – 1

5 लाख से कम आबादी के नगरों में डीप बरियल (गहरा गाढ़ना) पद्धति पर आधारित उपचार व्यवस्था की जाने की नियमों में अनुमति है । निजी क्षेत्र के उद्यमियों/संस्थाओं द्वारा निम्न 3 नगरों में यह सुविधा प्रारंभ की गई है जिसका उपयोग नगर एवं आसपास के चिकित्सा संस्थान करते हैं:–

- छिंदवाड़ा
- होशंगाबाद
- धार

नियम की धारा – 14 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय संस्था नगर निगम, नगर पालिका, आदि का यह दायित्व है कि वे अपने क्षेत्रों में संयुक्त अपशिष्ठ निपटान/भस्मक व्यवस्था स्थापित करें । अभी

तक किसी भी स्थानीय संस्था द्वारा यह कार्य नहीं किया गया है एवं निजी क्षेत्रों द्वारा ही इस कार्य में रूचि ली जा रही है । स्थानीय संस्थाओं से उचित कार्यवाही अपेक्षित है ।

जल, वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

प्रदेश की पर्यावरण स्वच्छता बनाये रखने के लिये बोर्ड के द्वारा विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों की जांच हेतु जल, वायु, ध्वनि एवं वाहन मापन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये :–

1. प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख नदियों,उसकी सहायक नदियों,झीलो,बॉधो, तालाबों एवं नालों से वर्ष 2003–2004 में कुल 2798 तथा 2004–2005 में नवम्बर तक 1406 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये । विश्लेषण परिणामों के आधार पर भारतीय मानक आई.एस.2296 के आधार पर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण किया गया है ।

2. औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग एवं उद्योगो के चिमनियों के उत्सर्जन व परिवेशिय वायु की निगरानी

औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की निगरानी के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों से वर्ष 2003–2004 में कुल 4146 तथा 2004–2005 में नवम्बर तक 2137 औद्योगिक दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये ।

चिमनियों के उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के तहत चिमनियों से वर्ष 2003–2004 में 416 व वर्ष 2004–2005 में माह नवम्बर तक 263 एवं परिवेशीय वायु के 1595 एवं नवम्बर 2004 तक 888 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये। विश्लेषण परिणामों के निर्धारित मानकों से अधिक होने पर बोर्ड द्वारा उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है ।

3. वाहन उत्सर्ज्रन मापन

बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख नगरों में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वाहन उत्सर्जन मापन का कार्य किया जाता है । वर्ष 2003–2004 में कुल 7608 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया, जिसमें से 1686 वाहन निर्धारित मानको से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। वर्ष 2004–2005 में माह दिसबंर तक 5087 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया। जिसमे से 951 वाहन निर्धारित मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। जिसकी जानकारी परिवहन आयुक्त को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है ।

4. ध्वनि स्तर मापन

बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख नगरों के आवासीय, वाणिज्यिक,शांत तथा औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है । वर्ष 2003–2004 में प्रदेश में कुल 3201 ध्वनि स्तर मापन किये गये । जिसमे से 46.51 प्रतिशत ध्वनि स्तर के आंकडे निर्धारित

मानको से अधिक पाये गये। वर्ष 2004–2005 में माह दिसबंर तक 2931 ध्वनि स्तर मापन कार्य किया गया। जिसमे से 44.76 प्रतिशत ध्वनि स्तर के आंकड़े निर्धारित मानक से अधिक पाये गये। इसकी जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है ।

5. मेलों के अवसर पर प्रदूषण की निगरानी

प्रदेश में आयोजित होने वाले धार्मिक एवं व्यवसायिक मेलों के अवसर पर बोर्ड जनसामान्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक विषयक चेतना जागृत करने के उददेश्य से प्रर्दशनियों का अयोजन कर प्रदूषण के कारण पर्यावरण संरक्षण में जन योगदान आदि विषयों का प्रचार–प्रसार विभिन्न पोस्टर्स, फोटोग्राफ मॉडल आदि के माध्यम से करता है। इस अवसर पर जल स्त्रोतों की सतत निगरानी,वायु गुणवत्ता व ध्वनि स्तर का मापन किया जाता है । वर्ष 2004–2005 की अवधि में कुल 16 मेलों का आयोजन होना है ।

6. सिंहस्थ 2004

प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर उज्जैन मे क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होता है। इस दौरान लाखो की तादाद मे श्रद्वालुओं के आने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये आक्सीजन डोजिग के माध्यम से जल को शुद्व रखने हेतु सिंहस्थ 2004 के लिये प्रदूषण मापन एवं नियंत्रण कार्य योजना तैयार की गई, जो कि निम्नानुसार है :–

1. जल गुणवत्ता मापन
2. वायु गुणवत्ता मापन
3. ध्वनि स्तर मापन
4. जनजागृति / प्रचार प्रसार / प्रर्दशनी
    1. प्रदर्शनी
    2. होर्डिंग्स

वर्ष 2004 में सिंहस्थ मेला दिनांक 5 अप्रैल से प्रथम शाही स्नान के साथ आरंभ होकर 4 मई 2004 को शाही स्नान पर समाप्त हुआ । मेले के दौरान लगभग 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी सिंहस्थ में सम्मिलित हुए मेले के दौरान बोर्ड द्वारा क्षिप्रा नदी पर निर्मित विभिन्न स्नान घाटों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किये गये । चक्रतीर्थ एवं सिद्धवट स्नानघाट को छोड़कर शेष घाटों पर नदी जल गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप थी । मेले के दौरान नदी के जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा को स्नान के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु जिला प्रशासन द्वारा निरंतर 2 से 3 एम.जी.डी. स्वच्छ जल प्रतिदिन छोड़ा गया एवं पर्व तथा शाही स्नान के दिवसों पर नदी का 10 प्रतिशत जल परिवर्तित किया गया । रामघाट पर नदी के जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा को निर्धारित मानकों तक बनाये रखने हेतु बोर्ड द्वारा 5 स्प्लेश एवं 24 स्टेटिक एरिएटर्स, मय विद्युत लिकप्रूफ के स्थापित कर आक्सीजन डोजिंग का कार्य किया गया ।

मेले के दौरान यातायात तथा श्रद्धालुओं के आगमन के कारण होने वाले वायु गुणवत्ता परिवर्तन का सतत परिवेशीय वायु मापन किया गया । इस हेतु मेला स्थल के विभिन्न चयनित बिन्दुओं चामुण्डा माता चौराहा, क्षत्री चौक, मंगल नाथ एवं प्रदर्शनी स्थल पर मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना कर परिवेशीय वायु मापन का कार्य किया गया । मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर मेला अवधि में चामुण्डा माता चौराहा एवं मंगल नाथ क्षेत्र की वायु गुणवत्ता अधिक प्रभावित रही ।

मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण के स्तर का मापन मुख्य मेला (संवेदनशील) क्षेत्र में किया गया। मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर मेला अवधि में ध्वनि का स्तर मंगल नाथ क्षेत्र में सायं 6 से 9 बजे की अवधि में अधिक रहा ।

"प्रदूषण की रोकथाम एवं स्वच्छ पर्यावरण की जीवन के लिए आवश्यकता" विषय पर जन जागरूकता के बारे में बोर्ड द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था । प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण के रूप में स्वच्छ पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत नियंत्रण के उपाय, प्रभाव एवं होने वाली बीमारियों तथा पोलीथीन की थैलियों के उपयोग के दुष्परिणामों, जैविक चिकित्सा अपशिष्ठ के स्त्रोत एवं उनके डिस्पोजल की विधियों पर आधारित पोस्टर्स लगाये गये थे । इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के दूषित जल उपचार संयंत्र एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के चलित मॉडल भी प्रदर्शनी स्थल पर रखे गये थे । उज्जैन शहर में आने वाले प्रमुख सड़क मार्गो (कुल सात स्थल) पर जन–जागृति एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत होर्डिंग्स स्थापित किये गये थे ।

ब केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्र शासन द्वारा भी जल, वायु गुणवत्ता मापन हेतु योजनायें प्रायोजित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(1) राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)

योजना के अंतर्गत राज्य के 5 शहरों में 12 स्थानों जिसमें आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित है, पर सप्ताह में दो बार वायु मानिटरिंग का कार्य किया जाता है । इस दौरान सल्फर डाई आक्साईड ,नाइट्रोजन के ऑक्साईड, सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर एवं रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर का परीक्षण परिवेशीय वायु मे किया जाता है। एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये नमूनो की संख्या निमनानुसार है :–

क्रमांक	पैरामीटर	नमूनो की संख्या 2003–2004	नमूनो की संख्या दिसंबर 2004 तक
1.	So_2	5084	4119
2.	No_x	5115	4112
3.	RSPM	2820	2132
4.	SPM	2820	2132

(2) विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)

यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ करने, जल गुणवत्ता संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता बढाने तथा चुने हुये खतरनाक पदार्थो का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है ।

योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 सेम्पलिंग स्थानों से वर्ष 2003–2004 मे कुल 28 नमूने तथा अप्रेल 2004 से दिसम्बर 2004 तक 26 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया । प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये । विश्लेषण परिणामों के आधार पर केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रदूषण स्तर का आंकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है ।

(3) भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स)

यह योजना केन्द्रीय बोर्ड की सहायता से राज्य के प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उददेश्य से प्रारंभ की गई थी । जिसके अंतर्गत वर्ष 2003–2004 में 43 सेंपलिंग स्थानो से 287 नमुने तथा अप्रैल 2004 से दिसम्बर 2004 तक 254 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रदूषण स्तर का आंकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है ।

पर्यावरण नियोजन एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधित प्रचलित परियोजनायें

1. जोनिंग एटलसः–

जोनिंग एटलस परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जमर्न टेक्नीकल को–ऑपरेशन के तकनीकी मार्गदर्शन में संभावित औद्यौगिक क्षेत्रों के निर्धारण हेतु जिलेवार जोनिंग एटलस का कार्य किया जा रहा है ।
इस परियोजना के अंतर्गत छिंदवाडा, सागर, रायसेन, इन्दौर व धार जिलों के जोनिंग एटलस पूर्ण किये गये हैं । जिनके आधार पर आगामी चरण के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है ।
इसके अतिरिक्त गत वर्ष तैयार किये गये निम्न प्रतिवेदनों पर अन्तिम रूप देकर प्रारूप आगामी कार्यवाही हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये :

- पचमढ़ी की जैव विविधता पर पर्यावरण प्रबंधन योजना (पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल की सहायता से)
- लाईम – स्टोन बेल्ट, सतना का पर्यावरणीय प्रतिवेदन (सेन्ट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन संस्थान, रांची की सहायता से)
- अमरकंटक हेतु जैव सूचना तंत्र (पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल की सहायता से)
- इन्दौर शहर की पर्यावरणीय प्रबंधन योजना ।
- इन्दौर शहर का पर्यावरणीय सूचना तंत्र (अर्बन एन्विस) जन–सामान्य हेतु इन्दौर का पर्यावरण प्रतिवेदन ।

वर्ष 2004–2005 में सम्पादित किये जा रहे विभिन्न कार्य निम्नानुसार हैं :–

1 मध्यप्रदेश राज्य पर्यावरण एटलस तैयार करना ।
2 इको सिटी प्रोजेक्ट – उज्जैन के अन्तर्गत नगर निगम उज्जैन की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का सम्पादन ।
3 छिंदवाड़ा, सागर, इन्दौर, धार एवं रायसेन जिले के जिलेवार पर्यावरण एटलस तैयार करना ।
4 छिंदवाड़ा, सागर, इन्दौर, धार एवं रायसेन जिलों के जोनिंग एटलस के उन्नयन का कार्य ।

जल उपकर

जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 के अंतर्गत गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जा रही जल खपत पर जल उपकर अधिरोपित होता है ।

नीचे दी गई तालिका में तीन वर्षो में जल उपकर के निर्धारण, वसूली तथा आय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है :–

(लाख रूपयों में)

वर्ष	निर्धारित उद्योगों की संख्या	निर्धारित स्थानीय संस्थाओं की संख्या	निर्धारित उपकर की राशि	एकत्रित उपकर/अर्थात केन्द्र शासन को भेजी गई राशि	केन्द्र शासन से प्राप्त राशि
2002-03	813	303	331-60	208-09	95-78
2003-04	818	300	371-14	224-56	254-72
2004 - 2005 [upto Dcember]	586	276	319-14	274-90	202-34

पर्यावरणीय अनुसंधान

बोर्ड के अनुसंधान केन्द्र द्वारा वर्ष 2004–05 में भोपाल क्षेत्र की परिवेशीय वायु के सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर विशेषतः रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर में भारी धातुओं एवं हायड्रोकार्बन की उपस्थिति पर अध्ययन, ताप विद्युत गृह (सारणी) से उत्पन्न उडन राख का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, बडा तालाब भोपाल के जल में ए.ओ.एक्स. (विशेषतः ट्राय हेलोमिथेन) फारमेशन पोटेन्शियल, आर्गेनिक कार्बन एवं क्लोरोफिल के को–रिलेशन पर अध्ययन एवं मंडीदीप क्षेत्र के भू–जल में प्रदूषण की जांच संबंधित योजनाओं पर अध्ययन कार्य किया जा रहा है ।

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

देश की नदियों के शुद्धीकरण के लिये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ''राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना'' का कार्य प्रारम्भ किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सात नदियों के किनारे बसे ग्यारह नगरों के क्रमशः क्षिप्रा (उज्जैन), खान (इन्दौर), ताप्ती (बुरहानपुर), चम्बल (नागदा), नर्मदा (जबलपुर), बेतवा (भोपाल,विदिशा,मण्डीदीप), एवं वैनगंगा (सिवनी, छपारा, केवलारी) में दूषित जल–मल से नदी में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित तथा शुद्धीकरण करने का प्रावधान है ।

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा इस योजना के तहत् प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। केन्द्र शासन द्वारा इन योजनाओं हेतु 101.19 करोड रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है । अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन,सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं भूमि के अधिग्रहण संबंधी योजनायें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,अल्प लागत स्वच्छता,शवदाह गृह एवं ठोस अपशिष्ठों के प्रबंधन संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं संबंधित नगर निगम/नगर पालिकाओं द्वारा, नदी तटाग्र विकास योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग द्वारा एवं वनीकरण योजनाओं का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जा रहा ।

मध्य प्रदेश में योजनान्तर्गत कुल 76 कार्य कराये जाना थे जिसमें से सभी कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है । जिनमें से रूपये 74. 16 करोड़ लागत की कुल 59 योजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसके विरूद्व भारत शासन से 56.85 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है । स्वीकृत 59 योजनाओं में से 48 योजनायें पूर्ण हो चुकीं है, जिन पर दिसम्बर 2004 तक 58.19 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है तथा शेष 11 योजनाओं पर कार्य चल रहा है

प्रदेश की इस महत्वकांक्षी योजना के समस्त अवयवों का कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना में शामिल नदियों की गुणवत्ता में सुधार होगा ।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

वर्तमान उच्च तकनीकी युग में समय के साथ गति बनाये रखकर पर्यावरण एवं इससे जुड़े हुये सभी क्षेत्रों को समय पर अविल्मब सुविधा एवं मार्गदर्शन देने हेतु प्रदूषण नियिंत्रण बोर्ड द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आई.टी) की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत बोर्ड की समस्त जानकारी वेब साईट 'www.mppcb.org पर उपलब्ध है जो कि पारदर्शिता की ओर जन–सामान्य हेतु लिया गया कदम है । उक्त वेब साईट को वर्ष 1999 में कमीशन्ड किया गया था जिस पर बोर्ड के विभिन्न कार्यो की जानकारी, पर्यावरण संबंधित विभिन्न नियम, विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर संबंधित जानकारी, उद्योगों के बारे में अद्यतन जानकारी आदि प्रस्तुत की है जो कि उद्योगपतियों, शासकीय संस्थाओं, शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थाओं, एन.जी.ओ. एवं जन–सामान्य के लिये उपयोगी साबित हो रही है ।

बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों एवं बोर्ड मुख्यालय के मध्य जानकारियों के आदान–प्रदान हेतु इन्टरनेट का प्रयोग किया जा रहा है जिससे जानकारी का प्रवाह अविलम्ब हो सके । बोर्ड मुख्यालय की समस्त शाखाऍ आपस में लेन (लोकल एरिया नेटवर्क) तकनीक से जुड़ा हुआ है । बोर्ड के दैनांदिनी कार्यो के कम्प्यूटरीकरण हेतु विश्व सहायतित योजना के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु कस्टमाईज साफ्टवेयर का निर्माण किया गया है जो कि भविष्य में एक ''कागज विहीन'' कार्यालय बनाये जाने की दिशा में पहल है । इस साफ्ट वेयर के उपयोग से जहॉ एक ओर विभिन्न जानकारियों को शीघ्र प्राप्त किया सकेगा वहीं दैनांदिनी कार्यो के निपटारे में भी गति आयेगी ।

भाग चार

न्यायालयीन प्रकरण

वर्ष 2004–2005 में दिसम्बर 2004 तक 22 दोषी उद्योग/संस्थानों के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायालय में वाद दायर किया गया ।

सामान्य प्रशासनिक विषय

1 **विभागीय पदोन्नति :–** वर्ष 2004–2005 में विभिन्न रिक्त पदों पर पदोन्नति का लाभ देने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2 **नियुक्ति :–** वर्ष 2004–2005 में बोर्ड में किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की गई ।

3 **क्रमोन्नति :–** बोर्ड में कार्यरत तृतीय श्रेणी के 13 कर्मचारियों को, चतुर्थ श्रेणी के 6 प्रयोगशाला परिचारक तथा 27 भृत्य/चौकीदारों को शासन के क्रमोन्नति नियमों के अनुसार क्रमोन्नति दी गई है ।

4 **विभागीय जांच :–** वर्ष 2004–2005 में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच संस्थापित नहीं की गई है ।

5 **न्यायालयीन प्रकरणः–** विचाराधीन वर्ष 2004–2005 में माह जनवरी 2005 तक प्रशासन/स्थापना से संबंधित निम्न न्यायालयीन प्रकरण कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा दायर किये गये :–

क्रम	प्रकरण के विवरण	प्रकरण क्र.	वर्तमान स्थिति
1	श्री मनोज कुमार जैन विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य	1086/04	मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य	1085/04	मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन
3	डॉ0 पी.सी.सेट विरूद्ध म.प्र. शासन वअन्य	3209/04	मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन
4	श्री ब्रिजेन्द्र सिंह विरूद्ध म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य	10269/04	मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन
5	श्री बी.एन.खरे विरूद्ध म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य	944/04	मा.उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में विचाराधीन

भाग पांच

अभिनव योजना निरंक

भाग छः

प्रकाशन

बोर्ड द्वारा समय समय पर विभिन्न ब्रोशर, पेम्पलेट आदि प्रकाशन कर उसमें पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुंचाने वाली तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिये वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है।

भाग सात

राज्य की महिला नीति

राज्य की महिला नीति व कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु श्रीमती रीता कोरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

भाग आठ

सारांश

बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तन्त्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर उनका विश्लेशण करना है । वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों एवं ध्वनि प्रदूषण की भी जांच की जाती है। प्रदेश में स्थापित उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के निर्देश भी दिये जाते हैं । इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना आवश्यक है ।

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

भाग – एक

संरचना

मध्यप्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) की स्थापना पर्यावरण क्षेत्र में राज्य सरकार की परामर्शदात्री संस्था के रूप में 5 जून, 1981 को की गयी। एप्को सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है। जिसके अध्यक्ष, महामहिम राज्यपाल तथा उपाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश हैं। आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत पर्यावरण नीति के क्रियान्वयन में संस्था एक परामर्शी की भूमिका निभाती है। संस्था का प्रबंधन शासी परिषद द्वारा किया जाता है। जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण एवं महानिदेशक एप्को तथा राज्य शासन के वित्त एवं वन विभागों के सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, भारत शासन के प्रतिनिधि, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कुलपति, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल एवं एक विख्यात पर्यावरणविद् शासी परिषद के सदस्य होते हैं। कार्यपालन संचालक, एप्को इसके सदस्य सचिव हैं।

महानिदेशक – **श्री सत्यप्रकाश**
कार्यपालन संचालक – **श्री जे. एस. माथुर**

उद्देश्य

1 राज्य की पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार करना,

2 प्रदेश में पर्यावरण के प्रति जनजागृति पैदा करना,

3 राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण में राज्य शासन को परामर्श

4 भवन निर्माण आकल्पन करना,

5 जैव विविधता से संपन्न क्षेत्रों की पहचान कर परियोजना दस्तावेज तैयार करना

अधीनस्थ कार्यालय

संगठन का मुख्यालय भोपाल में है। इसकी एक मात्र शाखा विशेषतौर पर पर्यावरण के ग्रामीण पहलुओं पर कार्य करने के उद्देश्य से एप्को – ग्रामीण के नाम से अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर, रीवा में स्थित है।

भाग – 2

वजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

मांग संख्या–21 शीर्ष–2217

22–17–शहरी विकास (आयोजना)

05	अन्य शहरी विकास योजनाएं	वजट राशि 2004–2005	माह जनवरी 2005 तक प्राप्त राशि
191	स्थानीय निकायों आदि को अनुदान	–	–
513	पर्यावरणीय अनुसंधान प्रतिरक्षण, शिक्षण	36.00	36.00
2538	पर्यावरणीय सुधार प्रबंधन के लिये इंदिरा गांधी फैलोशिप	1.00	0.00
1444	जल प्रदाय निकायों का पर्यावरण सुधार	19.92	19.92
2532	नगर वानिकी / पर्यावरण	0.25	0.25
	योग – सामान्य योजना मांग संख्या –21–2217	57.17	56.17
मांग संख्या 73 शीर्ष 2217 भोज वेटलैण्ड संरक्षण के लिये अनुदान 14 आर्थिक सहायता / सहायक अनुदान		2500.00	1291.67
	कुल योग मांग संख्या 21–73	2614.34	1404.01

भाग – 3

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

एप्को आवास एवं पर्यावरण विभाग की एक स्वशासी सलाहकारी संस्था है। संस्था द्वारा पर्यावरणीय शोध तथा योजना एवं आकल्पन संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। इस हेतु संगठन को राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा कार्यों के संचालन हेतु नियमित रूप से धन राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है अपितु आर्थिक सहयोग के रूप में गतिविधि आधारित आंशिक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस अनुदान राशि एवं परामर्शी सेवा द्वारा स्वअर्जित राशि से संचालित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

राज्य एवं केन्द्रीय योजनाएं

सिंहस्थ 2004 परियोजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) भोपाल को सिंहस्थ–2004 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित अध्ययन और विस्तृत परियोजना प्रस्ताव बनाने का दायित्व सौंपा गया। सिंहस्थ परियोजना एप्को के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है जिसमें उत्कृष्ट स्तर का तकनीकी वैज्ञानिक व वास्तुविदीय कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया गया। इसके लिए शासन द्वारा स्वीकृत शुल्क रू. 100.00 लाख में से रू. 100.00 लाख एप्को को प्राप्त हो चुके हैं। एप्को द्वारा सप्त सागरों का पर्यावरणीय अध्ययन, उज्जैन शहर का भूजल संवर्धन, उज्जैन शहर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पंचकोशी मार्ग में यात्रियों हेतु पड़ाव व अन्य सुविधाओं का

विकास, मेला क्षेत्र का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय चेतना व सामुदायिक जागृति, अवयवों पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने का कार्य किया गया है।

प्रदेश के पर्यटन विकास हेतु रूपांकन सेवाएं

म.प्र. पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटन कुटीर, मार्ग सुविधाएं इत्यादि की 12 योजनाओं हेतु वास्तुविद्‌ीय रूपांकन का कार्य एप्को द्वारा किया जा रहा है। इनमें से खलघाट, मण्डला, ओंकारेश्वर, पचमढ़ी, पेंच, चंदेरी तथा झाबुआ की इकाईयों का निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है जबकि शेष का आकल्पन / निर्माण कार्य प्रगति पर है। निगम द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत भी 16 स्थानों पर पर्यटन विकास केन्द्र के निर्माण हेतु भी वास्तुविदीय सलाहकारी सेवाएं प्रदान की जा रही है। इनमें से पेंच, बांधवगढ़, सतना तथा मैहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि शेष स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। निगम की उपर्युक्त सभी योजनाओं की कुल लागत लगभग रूपये 20.00 करोड़ है।

भोपाल में राष्ट्रीय स्तर पर पुरातत्व संग्रहालय

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पुरातत्वीय सम्पदा का अपूर्व भण्डार बिखरा हुआ है। इसे एक स्थान पर सुनियोजित एवं सुरक्षित तरीके से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा भोपाल में एक राष्ट्रीय स्तर के पुरातत्व संग्रहालय के निर्माण का निर्णय लिया गया है। संग्रहालय भवन के वास्तुविदीय रूपांकन हेतु सलाहकारी सेवाएं एप्को द्वारा दी जा रही है। निर्माण हेतु क्रियान्वयन संस्था राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा आमंत्रित निविदाओं के आधार पर चयनित संस्था द्वारा निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा। योजना की लागत लगभग रू. 12.77 करोड़ है।

मिन्टो हाल (पुरानी विधानसभा) को संगोष्ठी केन्द्र हेतु विकसित करना

मिन्टो हाल भवन एवं उसके आसपास के क्षेत्र का भोपाल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा इसे एक धरोहर के रूप में संजोये जाने का प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया है। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन की तरह एक राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी केन्द्र विकसित करने हेतु एप्को द्वारा राष्ट्र स्तरीय वास्तुविदीय प्रतियोगिता आयोजित की गयी है। प्रतियोगिता के माध्यम से तीन प्रविष्टियों को पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की प्रबंधन कार्य योजना

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मानव एवं बायोस्फियर रिजर्व कार्यक्रम के अन्तर्गत पचमढ़ी क्षेत्र को 3 मार्च ,1999 में बायोस्फियर रिजर्व (जैव मण्डलीय संरक्षित क्षेत्र) घोषित किया गया है। क्षेत्र के प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार करने एवं शासन के शीर्ष स्तर पर विभिन्न विभागों, स्वंयसेवी एवं अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित करने हेतु एप्को को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। इस योजना में वार्षिक आधार पर प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर भारत शासन को भेजा जाता है। इसके आधार पर भारत शासन द्वारा अनुदान के रूप में योजना के क्रियान्वय हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2003–04 में पूर्व में स्वीकृत राशि के विरूद्ध रू. 47.10 लाख प्राप्त हुये। वर्ष 2004–05 में कुल रू. 58.24 लाख की स्वीकृति प्रदान कर रू. 46.59 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

योजनान्तर्गत कई उप योजनायें जैसे– इको डव्हलपमेंट, नेचर, ट्रेल एवं ट्रेकिंग रूट की स्थापना, औषधीय एवं मूल्यवान प्रजातियों के संरक्षण हेतु बढ़ावा देना, हैबिटेट के सुधार हेतु बढ़ावा देना, बायोगैस संयंत्र स्थापना को बढ़ावा देना, उद्यानिकी से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना, हेल्थ केम्प इत्यादि का आयोजन शामिल है। इन योजनाओं में से ज्यादातर योजनाऐं जनभागीदारी के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं । बायोस्फियर क्षेत्र में स्थित स्कूलों एवं स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से जनसाधारण में जैव विविधिता संरक्षण हेतु जनजागरण अभियान संचालित किये जा रहे हैं।

पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व हेतु एफ्को को लीड/समन्वयक संस्था के रूप में पहचान

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत शासन द्वारा पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व हेतु लीड/ समन्वयक संस्था के रूप में वर्ष 1999 में मान्यता दी गई है । इस हेतु भारत शासन द्वारा दो वर्षो में निम्नानुसार राशि प्रदान की गई हैः–

वर्ष 2003–04 रू. 2.05 लाख
वर्ष 2004–05 रू. 2.75 लाख

योजना अन्तर्गत पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र में हुए शोध कार्यो को संकलित कर उन्हें बायोस्फियर रिजर्व इन्फॉरमेशन सर्विस के रूप में प्रति वर्ष 2 बुलेटिन प्रकाशित किया जा रहें है। जिससे शोध से सम्बन्धित जानकारियों का लाभ वैज्ञानिकों एवं समस्त सम्बन्धित संस्थाओं को मिल सके। अभी तक कुल 3 (5 संख्या) बुलेटिन प्रकाशित किये जा चुके हैं। वर्ष 2004 – 2005 हेतु एक बुलेटिन का प्रारूप तैयार है। इस योजना के अन्तर्गत जैवविविधता पर सम्पन्न सेमिनार की प्रोसीडिंग का प्रकाशन किया गया है। इसके अतिरिक्त पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व को यूनेस्को से मान्यता हेतु आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। इसका प्रारूप तैयार है। शासन के अनुमोदन के पश्चात इसे भारत शासन को भेजा जावेगा।

पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व के पारम्परिक ज्ञान का दस्तावेज अध्ययन

पचमढ़ी क्षेत्र में स्थानीय रहवासियों द्वारा सदियों से अपनाये गये पारम्परिक ज्ञान को संग्रहित करने के उद्देश्य से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा फरवरी 2001 में रु. 3.72 लाख की 2 वर्षीय शोध परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह अध्ययन बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के सामाजिक विभाग के सहयोग से ली गई है। रिपोर्ट बनाने का कार्य अन्तिम चरण में है।

पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व के पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का अध्ययन

विश्व बैंक के पर्यावरणीय प्रबन्धन क्षमता विकास परियोजना के जोनिंग एटलस कार्यक्रम के अन्तर्गत पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के जैवविविधता संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सहयोग से अध्ययन का कार्य, योजना तैयार कर, प्रारूप सम्बन्धित संस्थाओं को अनुमोदन हेतु प्रदान की गई है । इस योजना के अंतर्गत भूमि उपयोग, वन आवरण आच्छादन, जलाऊ लकड़ी की मांग एवं उपलब्धता, जानवरों के चराई के कारण हो रहे दुष्प्रभाव, बंजर भूमि का पुनरूद्धार, प्राकृतिक संसाधनों, भूमि कटाव इत्यादि का अध्ययन कर इन्हें मानचित्रों पर दर्शा कर इनके प्रबंधन हेतु योजना तैयार की गयी है। इसके प्रकाशन का कार्य

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात किया जावेगा।

माही योजना, जिला धार, झाबुआ

माही सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले गांवों का सर्वेक्षण तथा उनकी पुनर्बसाहट योजना तैयार करने का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा एप्को को सौंपा गया है। एप्को को इस सलाहकारी कार्य हेतु रू. 12.05 लाख फीस विभिन्न चरणों में प्राप्त होगी।

माही परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः दो बांध बनाये जा रहे हैं।

1. उप बांध
2. मुख्य बांध

उप बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाले 5 गांवों का सर्वेक्षण किया जाकर उनकी पुनर्बसाहट योजना मय प्रतिवेदन के जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत की जा चुकी है। वर्तमान में मुख्य बांध के अन्तर्गत आने वाले 5 गांवों का सर्वेक्षण किया जाकर उनकी पुनर्बसाहद योजना मय प्रतिवेदन के जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत की जा रही है।

राज्य का पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन

राज्य पर्यावरण नीति के अनुसार राज्य का पर्यावरण वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार करना एप्को का ध्वज वाहक कार्य है। अब तक ऐसे 4 वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार किये जा चुके हैं । पांचवां पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। एप्को के आयामी वैज्ञानिक दल द्वारा तैयार किये जाने वाले इस वृहद अध्ययन में राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के वस्तुस्थिति का सूचीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। पांचवीं पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भारत शासन से भी करीब 12.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन का प्रारूप इस हेतु भारत शासन द्वारा नामित संस्था डव्हलपमेंट आल्टरनेटिव को प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

जनसहभागिता से झीलों एवं अन्य जलाशयों का संरक्षण एवं संवर्धन

जल के परम्परागत स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा कई अभियान एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। प्रदेश का पंच ज अभियान तो जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रम को समग्रता प्रदान करता है। प्रदेश की विकन्द्रीकृत पंचायत राज व्यवस्था एवं पंच ज अभियान के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए संगठन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहभागिता के माध्यम से जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा हैं।

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना–सागर, शिवपुरी झील

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के समान शहरी तालाबों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए तालाबों के संरक्षण, शुद्धिकरण, सौंदर्यीकरण के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत शासन द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) को स्वीकृति दी गई है।

पूर्व में एप्को द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत देश के चुने गये तालाबों की सूची में मध्यप्रदेश में सागर तालाब एवं शिवपुरी तालाबों को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्वीकृति के लिए राज्य शासन द्वारा तालाब के संरक्षण, उन्नयन हेतु एक बैंक बिल विस्तृत योजना प्रतिवेदन जिसमें वास्तविक व्यय का आंकलन, योजना क्रियान्वयन के पश्चात आपरेशन व मेन्टीनेंस (ओ. एण्ड एम.) का प्लान और उसे क्रियान्वित करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों का विस्तृत विवरण भी सम्मिलित होना चाहिए।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करना मूलतः अध्ययन आधारित सलाहकारी सेवा होती है। राज्य शासन के निर्देशानुसार एप्को द्वारा सागर तालाब हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन देकर निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं जिसके आधार पर सलाहकारी संस्था का चयन कर कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। इस कार्य के लिए कुल रू. 22.00 लाख का व्यय अनुमानित है। सागर तालाब का अंतिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्राप्त हो चुका है जो तकनीकी अनुमोदन समिति के अनुमोदन के पश्चात ही स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा जायेगा।

सागर तालाब की तरह ही शिवपुरी तालाबों के लिए भी एप्को द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने का कार्य किया जा रहा है, जो प्रगति पर है।

शासन द्वारा सागर एवं शिवपुरी तालाबों के संरक्षण हेतु वर्ष 2003–04 के बजट में रू. 22.00 लाख का प्रावधान किया गया है तथा शिवपुरी तालाबों के लिए रू. 20.00 लाख का प्रावधान 2005–06 में किया गया है।

अमरकंटक क्षेत्र के बायोस्फियर रिजर्व हेतु नोटिफिकेशन

एप्को के अमरकंटक क्षेत्र को बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र घोषित कराने के प्रस्ताव पर राज्य शासन व भारत शासन ने भी सहमति प्रदान की है। प्रस्तावित बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र का 32 प्रतिशत क्षेत्र मध्य प्रदेश में एवं 68 प्रतिशत क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में है। नोटिफिकेशन के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य बन जाने से भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की सहमति चाही है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से इस हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व का पर्यावरणीय सूचना तंत्र का अध्ययन

विश्व बैंक के पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता विकास परियेाजना के जोनिंग एटलस कार्यक्रम के अंतर्गत अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र के जैव विविधता के संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से पर्यावरण सूचना तंत्र का प्रतिवेदन तैयार कर

सम्बन्धित संस्थाओं को दिया गया है। इसके प्रकाशन का कार्य म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात किया जावेगा।

एकान्त पार्क का वानस्पतिक उद्यान के रूप में विकास

जैव विविधता के एक्स–सीट्यू संरक्षण हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कुल रू. 9.45 की स्वीकृति प्रदान कर, अभी तक कुल राशि रू. 8.50 लाख एप्को को उपलब्ध कराई गयी है। योजना का कियान्वयन राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में पाये जाने वाले औषधीय एवं लुप्त प्राय प्रजातियों का रोपण, फेन्सिंग की मरम्मत, सिचाई हेतु पानी की सुविधा, चेक डैम का निर्माण का कार्य लिया गया है। उपलब्ध पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

देश की नदियों के संरक्षण, शुद्धीकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु **भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय** द्वारा नदी संरक्षण योजना प्रारम्भ की गयी है। राष्ट्रीय स्तर की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकांश राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। परन्तु इसके लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) राज्य शासन को अपने संसाधनों से तैयार कर प्रस्तुत करनी होती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में मण्डलेश्वर/ महेश्वर, ओंकारेश्वर, होशंगाबाद, गंजबासौदा, नेपानगर, चित्रकूट, सीहोर, राजगढ़, मंदसौर, रीवा एवं शहडोल 11 शहरों और उनसे प्रभावित होने वाली नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, मंदाकिनी, पार्वती, नेवाज, सोन, शिवना एवं बेहर 9 नदियों को शामिल किया गया है। इन 11 नगरों में उपरोक्त कार्य हेतु लगभग **रू. 250 करोड़ की राशि भारत सरकार से प्राप्त** होने की संभावना है।

इस परियोजना में जल–मल निकासी तंत्र, कम लागत की स्वच्छता, शवदाह, नान पाइंट प्रदूषण के स्रोत, घाट निर्माण, सौन्दर्यीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र का ट्रीटमेंट एवं वृक्षारोपण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन विकास एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल है। एप्को द्वारा इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन देकर निविदाएं आमंत्रित की गयी थी जिसके आधार पर सलाहकारी संस्थाओं का चयन कर कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है। इस कार्य के लिए कुल 350.00 लाख का व्यय अनुमानित है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु प्रथम चरण में राज्य शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में रू. 100.00 लाख राशि का प्रावधान म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बजट में किया गया है तथा शेष राशि रू. 250.00 लाख वर्ष 2004–05 की योजना में प्रावधानित करने हेतु भेजा गया, जिसमें से राज्य योजना मण्डल द्वारा रू. 200.00 लाख स्वीकार कर लिया गया है।

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

जिस प्रकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना ली गयी है उसी मार्गदर्शिका के अनुसार ही राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना भी ली गयी है। सागर तालाब, सागर की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु सलाहकार से करारनामा हो चुका है। इस कार्य के लिए राज्य शासन से रू. 18.00 लाख की राशि भी चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो गयी है।

इको सिटी परियोजना

उज्जैन शहर में महाकाल मन्दिर के चारों ओर लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के पर्यावरणीय उन्नयन का कार्य की परियोजना हेतु केन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः यातायात एवं परिवहन उन्नयन, भू–दृश्यीकरण, जल–मल निकासी प्रबंधन व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किये गये हैं। योजना की कुल लागत रू. 1170.29 लाख अनुमानित है। योजना के प्रथम चरण में रू. 449.45 लाख तथा द्वितीय चरण में रू. 720.84 लाख का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम द्वारा प्रथम चरण के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य एप्को को सौंपा गया था। एप्को द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर नगर निगम, उज्जैन को सौंपे जा चुके हैं। इस परियोजना को तैयार करने हेतु एप्को को कुल रूपये 10.97 लाख शुल्क के रूप में प्राप्त होने थे। इसमें से रू.4. 11 लाख एप्को को प्राप्त हो चुके हैं जबकि शेष रू. 6.85 लाख की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया जारी है।

राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। वर्ष 1993–94 से एप्को मध्यप्रदेश के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत पर्यावरण के क्षेत्र में रूचि रखने वाली शासकीय/अशासकीय एवं स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता रहती है। वर्ष 2004–2005 के अभियान का विषय ''ठोस अपशिष्ट प्रबंधन '' निश्चित किया गया है। इस वर्ष 1327 प्रतिभागियों के आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से चयनित संस्थाओं को रू. 5000/– से रू 20,000/– तक का अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु एप्को को भारत शासन से पिछले वर्ष रू. 31.86 लाख का अनुदान स्वीकृत हुआ था, तथा इस वर्ष की राशि का निर्धारण शीघ्र किया जावेगा। इसके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 6 आंचलिक पर्यावरणीय जागरूकता उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन एप्को द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय हरित कोर योजना

विद्यालयों में पर्यावरण चेतना जाग्रत करने हेतु भारत सरकार की राष्ट्रीय हरित कोर योजना के अंतर्गत विद्यालयों में पर्यावरणीय विषयों पर रूचि रखने वाले छात्र/ छात्राओं के लिए इको–क्लब का गठन किया जा चुका है। योजनान्तर्गत विद्यालय का शिक्षक ही क्लब का संयोजक होगा। प्रदेश के लगभग 45 जिलों के विद्यालयों के संयोजकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं अनुदान राशि रू. 1000.00 प्रति विद्यालय भी मुक्त की जा चुकी है। प्रत्येक जिले में दो मास्टर ट्रेनर्स का चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 नवीन जिलों अशोक नगर, अनूपपुर एवं बुरहानपुर में भी यह योजना इस वर्ष से प्रारंभ की जा रही है।

प्रथिक्षण कार्यक्रम

एप्को द्वारा समय समय पर विभिन्न स्तर के पर्यावरण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2002–2003 के दौरान कुल 35 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष अभी तक 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इंदिरा गांधी फेलोशिप

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त मध्यप्रदेश के रहने वाले 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को यह फेलोशिप पर्यावरणीय मुद्दों पर शोध कार्य करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 1986 से प्रारम्भ की गयी है। डॉ. रजनीश श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, एम ए एन आई टी भोपाल को प्रदान की गयी फेलोशिप के अंतर्गत अध्ययन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस वर्ष की फेलोशिप हेतु आवेदन आमंत्रण विज्ञापन के माध्यम से 3 बार किया गया, किन्तु उपयुक्त आवेदक न मिलने के कारण फैलोशिप प्रदान नहीं की जा सकी।

बेवसाइट

संस्था की बेवसाइट www.epcobpl.org 5 जून 2000 से प्रारंभ की जा चुकी है। इस बेवसाइट में पर्यावरण संबंधी जानकारी के अतिरिक्त संस्था के कार्यकलापों की जानकारी भी उपलब्ध है।

पर्यावरणीय सूचना केन्द्र का विकास

संगठन द्वारा पर्यावरणीय विषयों पर उपलब्ध सूचनाओं को व्यवस्थित कर पर्यावरणीय सूचना केन्द्र का विकास किया गया है। इस सूचना केन्द्र में उत्कृष्ट पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, रिपोर्ट का लगभग 5000 प्रलेखों का संकलन है। पुस्तकालय का उपयोग संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शोधार्थी भी करते हैं।

स विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं

इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना के अन्तर्गत पर्यावरणीय संस्था के रूप में उपयोजनाओं का पर्यावरण आंकलन

गरीबों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय प्राप्ति के साधनों का विकास करना योजना का उद्देश्य है। पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बगैर योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण आंकलन व पर्यावरण प्रबंधन हेतु विश्व बैंक द्वारा एप्को को पर्यावरणीय संस्था के रूप में चयनित कर योजनान्तर्गत (योजना अवधि 5 वर्ष) चयन किये गये 14 जिलों में चलायी जाने वाली उपयोजनाओं के पर्यावरण आंकलन व प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है जिसके तहत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं।

1 **प्रशिक्षण –** योजना के प्रारंभ में विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की मार्गदर्शिका निर्धारित करना, प्रारूप तैयार कर प्रशिक्षण देना है। विस्तृत प्रशिक्षण एवं मध्यावधि पुनर्प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है।

2 **निरीक्षण–** क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने के उपरांत पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु उठाए गए कदमों का निरीक्षण करना, साथ ही एप्को द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर संस्था को प्रस्तुत करना है। जिसके अन्तर्गत पर्यावरण प्रबंधन हेतु उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का आंकलन किया जाता है तीन मानिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

3 **पर्यावरणीय मार्गदर्शिका तैयार करना–** गरीबी हटाओ योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले 14 जिलों का पर्यावरणीय प्रोफाइल तैयार करना, साथ ही स्थान विशेष से संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में विशेषज्ञ के रूप में उचित दिशा निर्देश प्रदान करना है। प्रथम प्रतिवेदन के साथ जिला पर्यावरण प्रोफाइल दे दी गयी है तथा सभी रिपोर्ट में विशेष सलाह शामिल की जाती है।

परियोजना का कार्य 5 वर्ष का है जो अगस्त 2006 तक पूर्ण होगा। योजना की कुल लागत रू. 45.00 लाख है (यात्रा एवं दैनिक भत्ता छोड़कर)। अभी तक योजनान्तर्गत रू. 24.00 लाख की राशि संगठन को प्राप्त हो चुकी है। यह एक विशुद्ध सलाहकारी कार्य है इससे संगठन को लगभग रू. 35.00 लाख की बचत होने की संभावना है।

द विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं एवं परियोजनाएं

संगठन द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में द्विपक्षीय कार्यक्रमों (Bilateral Programmes) के माध्यम से परियोजना प्राप्त करने की संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से प्रयास आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। द्विपक्षीय बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने की पहली शर्त को पूर्ण करने के लिये एप्को में Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) का पंजीयन प्राप्त किया गया तथा इसके अन्तर्गत एक पृथक बचत खाता बैंक में खोला गया। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर लघु व मध्यम अवधि के प्रस्ताव तैयार कर अनुदान देने वाली विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रेषित किये गये। इस तारतम्य में छत जल संचय विषय के शिक्षण व सम्प्रेषण विषय पर एक लघु प्रस्ताव **'सीडा'** द्वारा स्वीकृत किया गया तथा दूसरा मध्यम अवधि का प्रस्ताव जो संगठन के संरचनात्मक सुधार व सुदृढ़ीकरण से संबंधित है, को डी.एफ.आई. डी. को प्रेषित किया गया है।

(1) एप्को के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण हेतु डी.एफ.आई.डी. से सहायता हेतु प्रस्ताव

पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के क्षेत्र में एप्को की भूमिका को सुनिश्चित करने एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित और संतुलित उपयोग के आधार पर प्रदेश की विकास योजनाओं में पर्यावरणीय संरक्षण की अनिवार्यताओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य से संगठन द्वारा एक परियोजना ब्रिटेन सरकार के विभाग डी.एफ.आई.डी. को प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना से एप्को की वर्तमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। पर्यावरण एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी अमले की क्षमताओं का विकास किया जायेगा।

परियोजना हेतु डी.एफ.आई.डी. द्वारा लगभग 7.00 करोड़ की अनुदान राशि परियोजना शुरू होने के दिन से 2 वर्ष हेतु दी जायेगी। इस परियोजना को मध्यप्रदेश के बाह्य पोषित परियोजना हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा एवं केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भी अनुशंसित किया गया है एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया गया है।

डी.एफ.आई.डी. द्वारा परियोजना को प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति दिये जाने संबंधी पत्र भी केन्द्र सरकार को लिखा गया है। डी.एफ.आई.डी. के इस आशय के पत्र के संदर्भ में केन्द्र शासन के वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है जिसके पूर्ण होते ही परियोजना का कार्य शुरू हो जायेगा।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय – निरंक

भाग – पांच

अभिनव योजना – निरंक

भाग – छः

प्रकाशन

पर्यावरण के क्षेत्र में जन साधारण में चेतना जागृत करने के उद्देश्य से मासिक पत्रिका पर्यावरण टुडे, का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका में पर्यावरण संरक्षण एवं उन्नयन से संबंधित तकनीकी शोध पत्र, लोक रूचि आलेख, स्थायी स्तम्भ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण से संबंधित रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं।

भाग – सात

राज्य महिला नीति एवं कार्ययोजना

राज्य महिला नीति की कार्य योजना के पालन में राज्य की महिला आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर संगठन द्वारा अमल किया जा रहा है। संगठन में कार्यरत महिलाओं के लिए समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गयी है। उनके बैठने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है। संगठन द्वारा महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है। संगठन की महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, राज्य महिला नीति के तहत समिति का गठन किया गया है। एक महिला अधिकारी श्रीमती साधना तिवारी, वरिष्ठ शोध अधिकारी को समिति का नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

भाग – आठ

सारांश

राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण एवं इसके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में योगदान देते हुए संगठन को राज्य के राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान हेतु नोडल ऐजेन्सी चुना गया है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना के पूर्ण होने पर इस महत्वपूर्ण जैव–विविधता क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो सकेगा।

म.प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण

भाग –एक

संरचना

मुख्य कार्यपालन अधिकारी	–	**श्री जे. एस. माथुर**
अधीनस्थ कार्यालय	–	**निरंक**

भाग – दो

भोपाल के बडे तथा छोटे तालाबों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉऑपरेशन (जे.बी.आई.सी.) की सहायता से भोज वेटलैण्ड परियोजना वर्ष 1995 से दिनांक 12 जून 2004 तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की गई।

भोज वेटलैण्ड परियोजना के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्य किये गयेः–

1. तालाबों में डिसिल्टिंग तथा ड्रेजिंग कार्य

परियोजना के अंतर्गत बड़े तालाब में डिसिल्टिंग का कार्य कर लगभग 27.5 लाख घनमीटर गाद निकाली गई। इस कार्य से जहां बड़े तालाब में मिलने वाले मुहाने पर जमा भूमि का रूप ले रही गाद को हटाकर जलआवक स्रोत सुलभ किया गया वहीं तालाब की जलसंग्रहण क्षमता को भी बढ़ाया गया। छोटे तालाब से लगभग 80,000 घनमीटर गाद, वर्ष 1997 में ड्रेजिंग के द्वारा निकाली गई।

2. भदभदा स्थित स्पिल चैनल का गहरीकरण तथा चौड़ीकरण

परियोजना के अंतर्गत स्पिल चैनल के गहरीकरण तथा चौड़ीकरण का कार्य वर्ष 1999 में सम्पन्न किया गया। 4.41 कि.मी. लंबाई की स्पिल चैनल को 9.87 लाख घनमीटर मिट्टी निकालकर चौड़ा तथा गहरा किया गया जिससे जलप्रवाह सुगम होने के साथ कमला पार्क पर स्थित बांध को, दबाव से बचाया जा सका।

3. तकिया टापू का पुनरूद्धार

बड़े तालाब में स्थित तकिया टापू के कटाव तथा गाद के जमाव को रोक कर टापू का वर्ष 1998 में पुनरूद्धार पूर्ण किया गया।

4. जलग्रहण क्षेत्रा का उपचार – चैक डेम, सिल्ट ट्रे, टो–वाल तथा केसकेडिंग का निर्माण

तालाबों में मिलने वाले नालों से बहकर आने वाली गाद के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से छोटे तालाब के जलग्रहण क्षेत्र में 1 हाई लेवल तथा 2 लो–लेवल गेबियन का निर्माण किया गया तथा बड़े तालाब में मिलने वाले समस्त नालों पर 13, हाई लेवल गेबियन स्ट्रकचर, 62 लो–लेवल गेबियन स्ट्रकचर तथा 2 सिल्ट ट्रेप का निर्माण किया गया ।

5. जलग्रहण क्षेत्र का उपचार – वृक्षारोपण द्वारा बफर ज़ोन का निर्माण

बड़े तालाब के पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी तटों पर सघन वृक्षारोपण किया गया है जिससे तालाब में बहकर आने वाली मिट्टी को रोका जा सके। उक्त कार्य के अंतर्गत 936 हेक्टेयर भूमि पर 16.3

लाख पौधों का रोपण किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 2 लाख पौधे सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वितरित किये गये।

6. रेतघाट–लालघाटी लिंक रोड

तालाब के किनारों तथा तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन के अंतर्गत, तालाब के पूर्वोत्तरी सघन नगरीय क्षेत्र के तट पर रेतघाट से लालघाटी तक 4.9 कि.मी. लंबा 4 लेन मार्ग निर्मित किया गया जिसमें तालाब के ऊपर 437 मी. लंबा पुल भी सम्मिलित है। इस मार्ग से जहां तालाब और सघन नगरीय क्षेत्रों के बीच एक भौतिक अवरोधक बफर तैयार हुआ वहीं पुराने भोपाल के अंदरूनी मार्गों पर यातायात का दबाव कम हुआ।

7. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित 18 वार्डों का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगर निगम भोपाल की प्रबंधन अधोसंरचना को सुदृढ़ कर किया गया। इस सुदृढ़ीकरण में नगर निगम को अनेक उपकरण तथा वाहन, परियोजना द्वारा प्रदाय किये गये।

8. मत्स्य पालन द्वारा जलीय वनस्पतियों पर जैविक नियंत्रण

झील की जलगुणवत्ता में सुधार के लिये मत्स्य पालन द्वारा जलीय वनस्पतियों पर जैविक नियंत्रण एक प्रभावी तरीका है। उक्त कार्य के लिये छोटे और बड़े तालाबों में लगभग 36 लाख मत्स्य बीजों का संचय किया जा चुका है। जिनमें ग्रासकॉर्प, कॉमनकार्प, कतला, रोहू तथा मृगल मछलियां शामिल हैं। इस कार्य द्वारा जहां जलगुणवत्ता में सुधार आयेगा वहीं स्थानीय मछुआरों को रोज़गार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

9. डिवीडिंग (खरपतवार निकासी)

तालाबों में प्रदूषण तथा गाद के कारण उत्पन्न खरपतवार की निकासी के उद्देश्य से क्रियान्वित गयी इस योजना से लगभग 362 हेक्टेयर से बेशरम, 380 हेक्टेयर से साइप्रस रॉयली तथा साइप्रस रोटांडा, लगभग 26280 टन जलकुंभी, 222 हेक्टेयर से एक्वेटिका तथा लगभग 72934 टन डूबी हुई जलीय वनस्पति निकाली गई ।

10. तैरते फव्वारों की स्थापना

पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर जलगुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से तालाबों में तैरते फव्वारों की स्थापना की गई । प्रथम चरण में छोटे तालाब में तीन विभिन्न प्रकार के फव्वारे स्थापित किये गये तथा उनके वैज्ञानिक आंकलन तथा मूल्यांकन के आधार पर द्वितीय चरण में बड़े तालाब में नौ तथा छोटे तालाब में तीन और फव्वारे स्थापित किये गये ।

11. लेक व्यू प्रोमिनॉड

बड़े तालाब के दक्षिणी किनारे पर वर्धमान पार्क से वन विहार तक लेक व्यू प्रोमिनॉड के निर्माण का उद्देश्य भूमि अतिक्रमण रोकना, मिट्टी का कटाव तथा ठोस अपशिष्ट को तालाब में जाने से रोकना है। लगभग 3.5 कि.मी. लंबे इस पैदल पथ Paved walkway (प्रॉमिनॉड) का निर्माण किया गया है।

12.छोटे तालाब के चारों ओर मेहराबदार दीवार

छोटे तालाब के चारों ओर लगभग 5.5 कि.मी. लंबी मेहराबदार दीवार बनाने का कार्य परियोजनान्तर्गत नगर निगम के माध्यम से कराया गया।

13. बड़े तालाब के किनारे निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र के सर्वेक्षण तथा दस्तावेजीकरण

बड़े तालाब के किनारे निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र के सर्वेक्षण तथा दस्तावेजीकरण का कार्य नगर निगम भोपाल के माध्यम से करा कर दस्तावेज तैयार किया गया ।

14. जलगुणवत्ता अध्ययन/आंकलन

जलगुणवत्ता के अध्ययन एवं आंकलन हेतु परियोजना द्वारा वर्ष 1999 में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला स्थापित की गई जो कि निरंतर रूप से जलगुणवत्ता का अध्ययन तथा आंकलन करती है।

15. पर्यावरणीय जागरूकता तथा जनभागीदारी अभियान

पर्यावरणीय जागरूकता तथा विशेष रूप से तालाबों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने और परियोजना के कार्यों से जनता को अवगत कराने हेतु जनभागीदारी से, स्वंयसेवी संस्थाओं और स्कूलों/महाविद्यालयों के साथ एक निरंतर अभियान चलाया गया ।

16. जल–मल निकासी (सीवरेज) प्रणाली तथा मालाकृत नालियों का निर्माण

इस उपयोजना के अंतर्गत जलग्रहण क्षेत्र के 23 वार्डों में लगभग 61 कि.मी. भूमिगत पाइप लाईन, लगभग 24 कि.मी. पंपिंग मेन, 8 नये पंपगृहों का तथा 4 सीवरेज उपचार संयंत्रों का निर्माण तथा 2 पंपगृहों का उन्नयन किया गया ।

17. धोबीघाट से प्रदूषण की रोकथाम

धोबीघाट से छोटे तालाब में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु, धोबीघाटों को तालाब के नीचे, केवड़े वाले बाग तथा रोशनबाग में पुनर्वासित किया गया। इन पुनर्वास स्थलों पर सुव्यवस्थित घाट, पूर्ण विकसित प्लाट, धोने के लिये स्वच्छ पानी की व्यवस्था का निर्माण किया गया है। रिक्त कराये गये पुराने धोबीघाट स्थल पर पार्क निर्माण किया गया ।

18. भदभदा पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण

भदभदा स्थित पुराने पुल पर यातायात दबाव कम करने के लिए एक 4 लेन, 174 मी. लंबे उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया।

19. इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना

भोज वेटलैण्ड परियोजना की विभिन्न गतिविधियों तथा जल संरक्षण के प्रति जनता में जागरुकता लाने के उद्देश्य वन विहार रोड पर भोज वेटलैण्ड संग्रहालय / अध्ययन केन्द्र/ (इंटरप्रिटेशन सेंटर) का निर्माण किया गया । इंटरप्रिटेशन सेंटर की प्रदर्शन सामग्री का निर्माण सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एडूकेशन, अहमदाबाद तथा भवन का निर्माण राजधानी परियोजना प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित किया गया

20. कमला पार्क पर बने बॉध का सुदृढ़ीकरण एवं बड़े तालाब से होने वाले रिसाव का नियंत्रण

ग्यारहवीं शताब्दी में बना कमला पार्क बॉध, समय के साथ–साथ बडे तालाब की तरफ बॉध के हिस्से में दरारें एवं बॉध के पत्थर खिसकने से बॉध कमजोर हो रहा था। इसके साथ बडे तालाब से छोटे तालाब की ओर जाने वाली टनल की दरारों से रिसाव में वृद्धि हो गयी थी। कमला पार्क पर बने 370 मीटर लंबे बॉध को सुदृढ. करने के लिए फुटपाथ एवं काल्क्रीटिंग का कार्य किया गया । बड़े तालाब की टनल से होने वाले रिसाव को रोकने के लिए ग्राउटिंग एवं रिसाव को नियंत्रित करने के लिए टनल के प्रवेश एवं निकास द्वार पर गेट लगाने का कार्य किया गया ।

उपरोक्त कार्यों के अलावा भोज वेटलैण्ड परियोजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु प्रेमपुरा घाट का निर्माण किया गया, जिससे तालाब का मुख्य जल क्षेत्र दुष्प्रभावित नहीं हो तथा मूर्ति विसर्जन से एकत्रित होने वाली मिट्टी की निकासी की जा सके। छोटे एवं बड़े तालाब के विभिन्न स्थानों पर मूर्ति विसर्जन किया जाता था, जिससे तालाबों में मिट्टी के जमाव के साथ–साथ मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक तत्वों से जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। अतः वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में परियोजना अंतर्गत भदभदा स्पिल चैनल पर घाटों का निर्माण किया गया। जिला प्रशासन ने सर्वदलों, उत्सव समितियों एवं शांति समिति के प्रतिनिधियों से आपसी चर्चा कर आम सहमति द्वारा शीतलदास की बगिया पर विसर्जन पूर्णत प्रतिबंधित कर प्रेमपुरा घाट एवं खटलापुरा पर प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जनमानस को प्रेरित किया जिसके परिणाम स्वरूप समस्त गणेश एवं दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नवनिर्मित प्रेमपुरा घाट पर सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

भोज वेटलैण्ड परियोजना पर 12 जून 2004 तक लगभग रु. 218.61 करोड़ तथा 541.19 मिलियन येन व्यय किया गया । भोज वैटलैण्ड परियोजना का कार्यकाल समाप्त होने पर परियोजना के अंतगर्त निर्मित समस्त सीवेज पम्प गृहों एवं सीवेज उपचार संयत्रों के संचालन एवं संधारण का कार्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल को सौंपा गया है, शेष सभी परिसंपत्तियां संधारण हेतु नगर निगम को सौंपी गई हैं।

भोज वेटलैण्ड परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि भोपाल तालाब का पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन का कार्य एक ही बार का प्रयास नहीं हो सकता है। अतः परियोजना के अंतर्गत किये गये कार्यो को उत्प्रेरक के रूप में लेते हुए संरक्षण कार्यों को निरंतर क्रियाशील रखने तथा परियोजना क्रियान्वयन के अनुभव को प्रदेश स्तर पर अन्य जल संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य से **म. प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण** की स्थापना एक समिति के रूप में, म. प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत 20 मई 2004 को पंजीकृत की गई। जिसकी स्वीकृति दिनांक 26.05.04 को मंत्रीपरिषद की बैठक में प्रदान की गई।

म. प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :

- जल संसाधनों का स्वपोषी पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन करना।
- जल संसाधनों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करना।
- जल संसाधनों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता पैदा करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, प्राधिकरण प्रदेश में संवेदनशील वेटलैण्ड का चयन, जल संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए प्रस्ताव निर्माण एवं क्रियान्वयन, पारिस्थितिकीय योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार करना, जल गुणवत्ता आंकलन करना, स्थानीय नीति विकसित करना, स्थानीय निकायों को सहयोग प्रदान करना आदि भी प्राधिकरण के कार्य होंगे। प्राधिकरण वैधानिक गतिविधियों में जल संसाधनों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित कर संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्य शासन को सुझाव एवं अनुशंसा प्रदान करेगा। प्राधिकरण सलाहकारिता गतिविधियों में राज्य शासन को जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शिका एवं नीति तैयार करने में सहयोग प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश, देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। जल संसाधनों के पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए शोध अध्ययन भी करेगा।

मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण जे.बी.आई.सी. के वित्तीय सहयोग से भोज वेटलैण्ड परियोजना अंतर्गत किये गये कार्यों के रख रखाव, परियोजना समाप्ति उपरांत भोपाल के बड़े एवं छोटे तालाब के संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्य तथा म. प्र. के अन्य जलाशयों के संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्यों हेतु निम्नलिखित कार्यों को क्रियान्वित करेगाः

1. तालाबों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु उचित तकनीक का उपयोग।
2. जी.आई.एस. एवं सेटेलाईट तकनीक द्वारा तालाबों के प्रबंधन हेतु अध्ययन।
3. तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र से मृदा क्षरण रोकने हेतु प्रबंधन कार्य।
4. तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु रसायनिक उर्वरक के उपयोग से तालाबों के प्रदूषण को कम करने हेतु जैविक खेती को प्रोत्साहन।
5. भोपाल एवं प्रदेश के अन्य तालाबों की जलगुणवत्ता आंकलन ।
6. पर्यावरण जागरूकता एवं जनभागीदारी कार्यक्रम।
7. भोज वेटलैण्ड परियोजना के अंतर्गत स्थापित इंटरप्रिटेशन सेंटर (अध्ययन केन्द्र) का संचालन, रखरखाव एवं उन्नयन।
8. मछुआरों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान हेतु मछली पालन की उचित तकनीकों को बढ़ावा।
9. जलाशयों के प्रबंधन हेतु प्रदेश एवं अन्य स्थानों पर किये जा रहे कार्यों/ अध्ययन के ऑकडों को इकट्ठा/ विश्लेषण करना तथा अन्य संस्थाओं केच बीच समन्वय स्थापित करना।

म.प्र. तालाब, झील तथा अन्य जलस्रोतों का संरक्षण विधेयक तैयार कर विभाग के माध्यम से विधि विभाग को भेजा गया था। जिसका अनुमोदन विधि विभाग द्वारा कर दिया गय है। उक्त विधेयक को विधानसभा के अगले सत्र में पेश करने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर की जा रही है। विधेयक पास होने के उपरांत प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो जायेगा जिसके फलस्वरूप और अधिक बजट की आवश्यकता पड़ेगी।

मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) एवं राष्ट्रीय वेटलैण्ड संरक्षण योजना (एन.डब्ल्यू.सी.पी.) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्रदेश के 6 तालाबों जैसे गोविन्दगढ़ तालाब रीवा, यशवंत सागर तालाब इंदौर, संग्राम सागर तालाब जबलपुर, शिवपुरी तालाब शिवपुरी, बारना जलाशय रायसेन, महेन्द्र सागर तालाब टीकमगढ़ के लिए संरक्षण एवं प्रबंधन पर परियोजना प्रस्ताव तैयार कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन को भेजा गया है। वर्ष 2005–06 में प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति उपरांत उक्त तालाबों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं प्रबंधन कार्य योजना तैयार की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य तालाबों तिगरा जलाशय ग्वालियर, पुरैना तालाब दमोह, उंडेसा तालाब उज्जैन, परशुराम तालाब नरसिंहगढ़ आदि के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने की योजना है। इसके अतिरिक्त जल संसाधनों के सरंक्षण एवं प्रबंधन के कार्यों के लिए प्राधिकरण सलाहकारिता योजनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल

(आवास एवं पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

भाग – एक

संरचना

आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना, 19 नवम्बर 1987 को आवास एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत की गयी थी । वर्ष 1995 में इसे मध्यप्रदेश सोसायटी एक्ट 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। मध्यप्रदेश के मान्नीय मुख्य मंत्री, संस्थान की साधारण सभा के सभापति एवं माननीय पर्यावरण मंत्री उप–सभापति हैं । संस्थान के प्रबंधन एवं कार्यकलापो के संचालन हेतु कार्यकारिणी परिषद गठित है। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग, कार्यकारणी परिषद् के अध्यक्ष एवं कार्यपालन संचालक आपदा प्रबंध संस्थान, सदस्य सचिव है ।

अधीनस्थ कार्यालय

संस्थान का मुख्यालय पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल में स्थित है। संस्थान के अंन्तर्गत अन्य कोई भी अधीनस्थ कार्यालय कार्यरत नही है ।

दायित्व

संस्थान द्वारा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है :–

1. प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं के रोकथाम, इनके प्रभावों के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
2. प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु विशिष्ट परामर्श सेवा उपलब्ध कराना।
3. प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं के रोकथाम, निरोध उनके प्रभावों के न्यूनीकरण के लिये जन सामान्य हेतु जनजागृति कार्यक्रम आयोजित करना ।
4. प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदा प्रबंधन के विषयों पर सूचनाओं का संकलन, प्रलेखन एवं शोध कार्य सम्पादित करना ।

सामान्य जानकारी एंव प्रमुख विशेषताएं

संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इनसे जनसामान्य पर होने वाली क्षति के न्यूनीकरण हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताओं का विकास एवं प्रसार करना है। संस्थान, प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं से संबंधित विषयों पर शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी संस्थानों के अमले में आपदाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन की क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, साथ ही जनसामान्य हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जन–जागृति कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है । इसके अतिरिक्त देश एवं प्रदेश के खतरनाक उधोगों, आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंधन में संलग्न शासन के विभिन्न

विभागों, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थानों को आपदा प्रबंधन विषय पर परामर्श सेवा एवं सलाहकारिता सेवा प्रदान करता है।

अपनी स्थापना के सत्रह बर्षों के उपरान्त, संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवा प्रदान करने वाली एक उत्कृष्ठ संस्था के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुकी है। संस्थान द्वारा विगत बर्षों के दौरान, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उपयोग में आने वाले विशिष्ट, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर हासिल किए गए हैं एवं विश्व के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क के द्वारा तकनीकी क्षमता में वृद्धि की गयी है ।

संस्थान की इस विशिष्ट तकनीकी योग्यता का लाभ देश के प्रमुख औधोगिक प्रतिष्ठान और आपदा प्रबंधन में संलग्न विभिन्न संस्थान आदि ले रहे है। संस्थान, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी इस विशिष्ट तकनीकी क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करते हुये, भविष्य में उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपने को स्थापित करने हेतु अग्रसर है ।

संस्थान द्वारा संपादित किये जाने वाले प्रमुख गतिविधियों का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

प्रथिक्षण कार्यक्रम

प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इसके प्रभावों को कम करने हेतु विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, संस्थान की प्रमुख गतिविधि है । इसके तहत संस्थान द्वारा स्थापना के समय से ही समस्त प्रासंगिक विषयों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । इस गतिविधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के आपदा प्रबंधन से जुडे विभिन्न विभागाों, खतरनाक उधोगों, स्वंय सेवी संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

परामर्थ सेवा

दक्ष तकनीकी अमले की नियुक्ति, विशिष्ट वैज्ञानिक उपकरणो एवं सॉफ्टवेयर की उपलब्धि, संकाय सदस्यो का देश एवं विदेश के विशिष्ट संस्थानों में प्रशिक्षण आदि से संस्थान द्वारा खतरनाक उद्धोगो के सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित निम्न विषयों पर परामर्श सेवा देने की क्षमता विकसित की गयी है :–

1. प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं हेतु आपतकालीन कार्य योजना
2. खतरनाक औधोगिक क्षेत्रो का ऑन साइट एवं ऑफ साइट प्लान
3. प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं के खतरो का विशलेषण
4. हेजार्ड आईडेन्टीफिकेसन एन्ड रिस्क ऐसेसमेन्ट
5. खतरनाक उधोगों का सेफ्टी ऑडिट

इस गतिविधि के अंतर्गत देश एवं प्रदेश के खतरनाक उधोगों, प्राकृतिक आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंधन मे संलग्न शाासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों आदि को परामर्श सेवा उपलब्ध कराया जाता है ।

जनजागृति कार्यक्रम

यदि जनसामान्य आपदा बचाव से संबंधित पहलुओं की जानकारी रखता है तो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या औधोगिक आपदा के समय वह उससे बचाव के प्राथमिकी उपायों का कारगर ढंग से अनुसरण कर, संभावित हानि को कम कर सकता है । इस गतिविधि के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गो जैसे विधार्थी, औधोगिक क्षेत्रो में रहने वाले जन सामान्य, ग्रामीण समुदाय, नीति निर्धारक, स्वयंसेवी संगठनो आदि हेतु प्रदेश के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रो में जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ।

सूचना एवं प्रलेखन

इस गतिविधि के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं तथा इनके रोकथाम व सुचारू प्रबंधन से संबंधित पहलुओं पर उपलब्ध सूचनाओं का संकलन एवं प्रचार प्रसार किया जाता है । आपदा प्रबंधन पर जन चेतना हेतु समुचित उपयोगी सामग्री का विकास एवं विभिन्न गतिविधियों व माध्यमों से उक्त सामग्री का लोकहित हेतु वितरण एवं प्रसारण किया जाता है।

संस्थान ने अपनी वेबसाइट को अधतन कर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयो पर उपलब्ध नवीन सूचनाओं, प्रलेखों, दिशानिर्देशों, संपर्क सूत्रों की सुगमता सुनिश्चित की है । संस्थान द्वारा प्रकासित न्यूजलेटर के माध्यम से संस्थान की गतिविधियों व बहुउपयोगी सूचनाओं का प्रकाशन सतत् रूप से किया जा रहा है ।

भाग : दो

बजट प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2004–2005 में राज्य योजना बजट में संस्थान को राज्य शासन से रूपये 25.00 का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है । संस्थान द्वारा वार्षिक योजना वर्ष 2005–2006 हेतु राशि रूपये 62.00 लाख का प्रस्ताव किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

विवरण	राशि लाख में
प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.00
जनजाग्रति कार्यक्रम	2.00
स्थापना व्यय	56.00
पुस्तकालय	2.00
कुल योजना प्रावधान	**62.00**

भाग तीन

राज्य योजनाएं

राज्य योजना के अन्तर्गत संस्थान निम्न कार्य निष्पादित करता है :–

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान द्वारा वर्ष 2004–2005 के दौरान आपदा प्रबधन एवं इससें जुडे विभिन्न विषयों पर वर्तमान में कुल 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके है तथा मार्च 2005 तक शेष 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश शासन के राजस्व, गृह (पुलिस, होमगार्ड) नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण, वाणिज्य एवं उधोग, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों के, मिडल स्तर एवं कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वंय सेवी संगठनों को आपदा प्रबधन से सम्बन्धित विषयो पर प्रशिक्षित किया गया ।

उपरोक्त प्रशिक्षण कायक्रमों के अंतर्गत संस्थान द्वारा उद्योगों के प्रतिनिधियों, केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों, औधोगिक स्वास्थ एवं सरुक्षा से जुड़े शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों हेतु भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वर्ष 2004–05 के दौरान 15 जनवरी 2005 तक आयोजित किए गये 20 प्रशिक्षण कार्यक्रमो का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष 2004–2005 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रं.	विषय	अवधि	प्रतिभागियो का विवरण
1	आपदा प्रबंधन एवं आपतकालीन बचाव योजना	26–30 अप्रेल 2004	ओ.एन.जी.सी, गोवा के सुरक्षा अधिकारियों हेतु
2	बाढ़ आपदा प्रबंधन	29 जुन 2004	चम्बल संभाग के जिला अधिकारी
3	बाढ़ आपदा प्रबंधन	05 जुलाई 2004	रीवा संभाग के जिला अधिकारी
4	बाढ़ आपदा प्रबंधन	06 अगस्त 2004	होशंगाबाद संभाग के जिला अधिकारी
5	आपदा प्रबंधन	17–20 अगस्त 2004	मध्यप्रदेश शासन के पुलिस अधिकारी एवं एस.ए.एफ बटालियन मध्यप्रदेश
6	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण	18–20 अगस्त 04	तमिलनाडू प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिको हेतु ।
7	आपदा प्रबंधन	20 सितम्बर 2004	बालभवन के छात्रों हेतु ।
8	आपदा प्रबंधन	21–24 सितम्बर 04	मध्यप्रदेश शासन के होमगार्ड के अधिकारी
9	आपदा प्रबंधन	23 सितम्बर 2004	केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों हेतु।
10	रासायनिक दुर्घटनाओं का प्रबंधन	28–30 सितम्बर 04	खतरनराक उद्योगों के सुरक्षा अधिकारी, शासन के स्वास्थ एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी, प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के वैज्ञानिक।
11	आपदा प्रबंधन	05–07 अक्टुबर 04	चिकित्सा अधिकारियों के लिये
12	आपदा प्रबंधन	19–21 अक्टुबर 04	अभियांत्रिकी विभाग के अभियंन्ताओ हेतु
13	आपदाओं के दौरान तत्काल खोज, राहत एवं बचाव	29 नवम्बर 2004	स्वास्थ सेवा कर्मी, आपातकालीन पुलिस बल के अमले
14	आपदा प्रबंधन	01–02 दिसम्बर 04	मध्यप्रदेश स्काउट एवं गाइड अधिकारियों के लिये

15	खतरनाक रसायनों के भण्डारण में खतरो की पहचान एवं उनका विश्लेषण ।	6–10 दिसम्बर 04	खतरनराक उद्योगों के सुरक्षा अधिकारी, शासन के स्वास्थ एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी, प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के वैज्ञानिक।
16	आपदा प्रबंधन	16 दिसम्बर 04	रायसेन के जिला अधिकारी
17	आपदा प्रबंधन	17दिसम्बर 04	रायसेन जिले में शैक्षणिक संगठनों के लिये
18	आपदा पूर्व तैयारी	27–28 दिसम्बर 04	आदमपुर जिले में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन,एस,एस,) के कैडट हेतु।
19	नगरीय पर्यावरण विश्लेषण, सूचना तंत्र, सुधार हेतु पहल एवं प्रौधोगिकी	3–7 जनवरी 2005	ग्राम एवं नगर निवेश विभाग के योजनाकार, अभियन्ता हेतु ।
20	बहुआयामी पर्यावरणीय योजना में पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण एवं विधियों का समावेश ।	10–14 जनवरी 2005	प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के वैज्ञानिक । खतरनराक उद्योगों के सुरक्षा अधिकारी

जन–जागृति कार्यक्रम

संभावित आपदाओं के रोकथाम, उनके दुष्प्रभावो के न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु संस्थान द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये गये संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान जनवरी माह तक 11 जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

कं	स्थान	अवधि	कार्यक्रम विवरण	प्रतिभागी
1	जिला मुख्यालय चम्बल संभाग	30 जुन 04	आपदा प्रबधन कार्यशाला एवं क्वीज कार्यक्रम।	• जिले के स्वंय–सेवी संगठनो के प्रतिनिधि • स्कूली छात्र–छात्राऐं
2	जिला मुख्यालय रीवा संभाग	6 जुलाई 04	आपदा प्रबधन कार्यशाला एवं क्वीज कार्यक्रम।	• जिले के स्वंय–सेवी संगठनो के प्रतिनिधि • स्कूली छात्र–छात्राऐं
3	जिला मुख्यालय होशंगाबाद संभाग	7 अगस्त 04	आपदा प्रबधन कार्यशाला एवं क्वीज कार्यक्रम।	• जिले के स्वंय–सेवी संगठनो के प्रतिनिधि • स्कूली छात्र–छात्राऐं
4	कारमेल कान्वेन्ट स्कूल भोपाल	11 सितम्बर 2004	जनजागृति कार्यक्रम	स्कूली छात्र–छात्राओं के लिये।
5	आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल	29 अक्टुबर 04	राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस	योजनाकार, वास्तुविद एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ
6	जिला मुख्यालय रायसेन	17 दिस. 04	• कार्यशाला • साइकिल रेली • पेटिंग प्रतियोगिता	• स्काउट एवं गाइड के केडट हेतु । • छात्र/छात्राए हेतु ।
7	कमला नेहरू हायर सेकेन्डरी स्कूल भोपाल	29 दिस. 04	कार्यशाला	रेड क्रॉस संगठन हेतु

सूचनाओं का प्रलेखन एवं शोध कार्य

आपदा प्रबंधन एक व्यापक विषय है जिसपर निरंन्तर खोज, सूचनाओं एवं जानकारियों का संकलन एव अध्ययन की आवश्यकता है इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन विषय पर उत्कृष्ट पुस्तकालय की स्थापना की गयी है, जिसमें वर्तमान में आपदा प्रबंधन विषय से सम्बन्धित 3300 पुस्तकें एवं 720 जर्नल्स उपलब्ध हैं। पुस्तकालय की सेवाओं के उपलब्धता को और सुगम बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

केन्द्र प्रवर्तित योजना

संस्थान अपने स्थापना काल से ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत् रूप से प्रयासरत है एवं प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतिविधियॉ संचालित कर रहा है । संस्थान के विशिष्ट ज्ञान एवं क्षमता को देखते हुये केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्नांकित परियोजनाओं के संचालन हेतु संस्थान का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है :–

1	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय	एनविस नोड की स्थापना
2	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	स्पेशियल एन्वायरमेन्ट प्लानिंग विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थान का चुनाव
3	गृह मंत्रालय	इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तरी भारत के लिये क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में संस्थान का चुनाव
4	गृह मंत्रालय	सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के तहत् प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ हेतु संस्थान का चुनाव
5	गृह मंत्रालय	भूकंप आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु संस्थान का चुनाव (विचारधीन)

- भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत, संस्थान में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्यरत है। इस प्रकोष्ठ द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंन्धन हेतु नियमित रूप से राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जन–समुदाय हेतु आपदा प्रबंध के क्षेत्र में जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के **"एन्वॉयरमेन्टल इनफॉरमेशन सिस्टम"** योजना के अन्तर्गत संस्थान में एक "एनविस" नोड की स्थापना की गयी है । इस नोड की सहायता से संस्थान द्वारा पर्यावरणीय और आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित सूचना को इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एनविस नोड की उत्कृष्ट कार्य को देखते हुऐ इसे एनविस केन्द्र के रूप में मान्यता दी गयी है । संस्थान को एनविस

हेतु वित्तीय सहायता पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दी गयी है । एनविस केन्द्र द्वारा एक मासिक न्यूजलेटर का प्रकाशन किया जा रहा है ।

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें

वर्तमान में संस्थान में विश्व बैंक की सहायता से कोई योजना नही चलाई जा रही है।

विदेश सहायता प्राप्त योजना परियोजना

वर्तमान में संस्थान में विदेश सहायता प्राप्त कोई योजना नही चलाई जा रही है।

अन्य योजनाऐं

- गृह मंत्रालय भारत शासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान को देश के चुनिंदा 5 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में इंसीडेन्ट कमांड सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चुना गया है । इसके तहत संस्थान द्वारा मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यो के प्रशासनिक अधिकारियों को आपदा प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा अपनाई गयी इस नवीन प्रबंधकीय तंत्र का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान को देश के चुनिंदा 8 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में 'स्पेशियल इन्वॉयरमेन्टल प्लानिंग' के क्षेत्र में मानव संसाधन में क्षमतावृद्धि हेतु चुना गया है। इस कार्यक्रम हेतु 'जी.टी.जेड' एवं "इनवेन्ट" द्वारा तकनीकी सहायता दी जा रही है। इसके अन्तर्गत आपदा प्रबंन्धन से जुडे विभिन्न विषयो पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है ।

भाग चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

- आपदा प्रबंध संस्थान अपनी विशेषज्ञ जानकारी एवं कार्यो की वजह से आपदा प्रंबंधन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बना चुका है तथा मध्यप्रदेश राज्य में आपदा न्यूनीकरण की दिशा में उत्तरोत्तर कार्य कर रहा है । संस्थान के इस चहुमुखी विकास में मध्य प्रदेश शासन के सतत् सहायता, नार्वे सरकार द्वारा प्रायोजित श्नोराड परियोजनाश का महत्वपूर्ण योगदान है । नोराड परियोजना एवं मध्य प्रदेश शासन के वित्तीय सहायता द्वारा लगभग रूपए–90.00 लाख की लागत से संस्थान के हास्टल भवन का निर्माण संभव हुआ है । हास्टल भवन के अन्तर्गत 24 कमरे 48 प्रतिभागियों हेतु व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त हास्टल भवन में एक कान्फरेन्स हाल का निर्माण कराया गया है । पर्यावरण एवं उर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुये होस्टल भवन में सौर उर्जा आधारित गरम जल संयत्र एवं वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गई है । हास्टल भवन के निर्माण होने से संस्थान अब अपनी सेवाओं को और बेहतर रूप से आयोजित करने में सफल होगा ।

- संस्थाान के कार्यकारणी परिषद की 16वी बैठक दिनांक 14 मई 2004 को सम्पन्न हुई । बैठक के दौरान परिषद को संस्थान के वर्ष 2003–04 की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में अवगत

कराया गया । परिषद ने संस्थान की एक नवीन स्थापना सेटअप को अनुमोदित किया तथा वित्तीय वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के अकेक्षक लेखा का अनुमोदन किया एवं वार्षिक वित्तीये वर्ष 2004–05 के बजट को अनुमोदित किया । इसके अतिरिक्त कार्यकारणी परिषद द्वारा संस्थान के वेतननियम में आवश्यक संशोधन किये गये ।

- दिनांक 21–22 दिसम्बर 2004 के दौरान "ऑगेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को–ऑपरेशन एण्ड डेव्हलपमेन्ट" द्वारा आयोजित संगोष्ठी में संस्थान को आमंत्रित किया गया । इसके दौरान संस्थान द्वारा "इनस्युरेबलीटी ऑफ कैटेशट्रॉफिक रिस्क" विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया।

- जर्मन सरकार के आमंत्रण पर संस्थान के प्रतिनिधी द्वारा "युनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉफ्रेंस ऑन डिसास्टर रिडक्सन" के दौरान दिनांक 21 जनवरी 2005 को शोध पत्र प्रस्तुत किया गया ।

भाग– पांच

अभिनव योजना

आपदा प्रबंध संस्थान द्वारा प्रदेश अथवा देश के किसी भी हिस्से में घटित आपदाओं के दौरान अपना सक्रिय योगदान दिया जाता है । रीवा में आये बाढ़ एवं बालाघाट जलाशय में हुई दुघर्टना के दौरान संस्थान द्वारा शोध अध्ययन किया गया । गुजराज एवं हाल में आये सुनामी आपदा के दौरान संस्थान द्वारा शोध अध्ययन किया जा रहा है ।

- सिंहस्थ 2004 के दौरान संभावित आपदाओं/दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं उनके उचित प्रबंधन हेतु मेला क्षेत्र में मेला प्रशासन के सहयोग से संस्थान द्वारा निम्नलिखित अभ्यास एवं मॉकड्रिल कराये गयेः–
  - संभावित आगजनी की घटनाओं की रोकथाम, बचाव एवं प्रबंधन ।
  - संभावित सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, बचाव एवं प्रबंधन ।
  - भगदड पर नियंत्रण एवं प्रबंधन ।
  - डूबते व्यक्तियों का बचाव ।
  - मेले के दौरान एवं उसके बाद फैलने वाली संभावित महामारी के फैलाव की रोकथाम एवं प्रबंधन ।
  - व्यापक जानमाल के हानि की स्थिति से निपटने हेतु स्थानीय अस्पतालों का प्रबंधन ।

इन अभ्यासों एवं मॉकड्रील द्वारा मेला प्रशासन को सिंहस्थ –2004 के दुर्घटनारहित आयोजन करने में आवश्यक सहयोग प्राप्त हुआ ।

- प्रशिक्षुओ को आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव के विभिन्न पहलुओं से प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से संस्थान में भारत सरकार के सहयोग से आपातकालीन नियंत्रण कक्ष की स्थापना इस अवधि के दौरान की गई है ।
- संभावित आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार माध्यम के रूप में एम्योचर रेडियो प्रणाली (हैम रेडियो) की प्रासंगिकता के दृष्टिगत संस्थान द्वारा इस अवधि के दौरान एक एम्योचर रेडियो सोसायटी की स्थापना एवं संबंधित उपकरणों का क्रय किया जा रहा है । इसके माध्यम से

प्रशिक्षुओं को आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार माध्यम स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

- संस्थान द्वारा प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंन्धन हेतु विशिष्ठ तकनीकी दक्षता हासिल की गयी है इसके फलस्वरूप संस्थान देश के महत्वपूर्ण रासायनिक उद्योगों एवं सार्वजनिक क्षेत्र हेतु सलाहकारिता सेवा प्रदान कर रहा है । संस्थान ने इन्दिरा सागर एवं सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित मध्य प्रदेश के जिलों हेतु वर्ष 2003 व 2004 के लिये आकस्मिक बाढ योजना का निर्माण एवं परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास कार्य का मूल्यांकन कार्य भी किया है । संस्थान की विशिष्ट वैज्ञानिक सेवाओं का उपयोग प्रदेश एवं केन्द्र शासन के अतिरिक्त देश के निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम जैसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, एन टी पी सी, नाल्को, आइ ओ सी एल एवं टिस्को आदि ले रहे हैं । संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 04–05 के दौरान निम्नानुसार परामर्श सेवा प्रदान की गयी :–

क	उद्धोगो /उपक्रम	परामर्श सेवा
1.	पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटियाला, पंजाब	खतरनाक रसायनों का क्षेत्रीय डिजिटल अभिलेख
2.	ग्वालियर केमीकल इन्डट्रीज लिमिटेड बिरलाग्राम, नागदा	कन्सेक्वेन्स माडलिंग एव उनका मानचित्रण
3.	सील केमीकल काम्पलेक्स, राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब	पर्यावरणीय एवं सेफ्टी ऑडिट,
4	इंडियन ऑयल कॉरपोरेश्न बॉटलिंग प्लान्ट, भोपाल	संख्यात्मक जोखिम विशलेषण
5	इंडियन ऑयल कॉरपोरेश्न बॉटलिंग प्लान्ट, उज्जैन	सेफ्टी ऑडिट
6	इंडियन ऑयल कॉरपोरेश्न बॉटलिंग प्लान्ट, गुना	सेफ्टी ऑडिट,
7	चिलवर्थ सेफ्टी ऑडिट रिस्क मेनेजमेन्ट लिमिटेड मुम्बई	सेफ्टी ऑडिट,
8	मध्यप्रदेश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल	इंदिरा सागर परियोजना मानसून 2004 के अंतर्गत पुनर्वास / पुर्नस्थापना सर्वेक्षण
9	मध्यप्रदेश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल	इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत खण्डवा जिले के बाढ प्रभावित क्षेत्रों हेतु आकस्मिक कार्य योजना ।
10	मध्यप्रदेश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल	इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत हरसूद शहर हेतु आकस्मिक कार्य योजना
11	मध्यप्रदेश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल	सरदार सरोवर परियोजना के अन्तर्गत बडवानी जिले के बाढ प्रभावित क्षेत्रों हेतु आकस्मिक कार्य योजना ।
12	मध्यप्रदेश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल	सरदार सरोवर परियोजना के अन्तर्गत झाबुआ जिले के बाढ प्रभावित क्षेत्रों हेतु आकस्मिक कार्य योजना ।
13	मध्यप्रदेश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल	सरदार सरोवर परियोजना के अन्तर्गत धार जिले के बाढ प्रभावित क्षेत्रों हेतु आकस्मिक कार्य योजना ।

- संस्थान द्वारा **भूकंपरोधी मकानों के निमार्ण तकनीक हेतु एक मैन्युल एवं मार्गदर्शिका विकसित की गयी है** । मैन्युल में जो उपयोगी सूचनाऐं एवं जानकरियॉ दी गयी है उससे भूकंप

प्रभावित क्षेत्रो में रहने वाले नागरिको को सुरक्षित मकान निर्माण तकनीक अपनाने में काफी सहूलियत होगी । वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मैन्यूल का हिन्दी में रूपान्तर कार्य किया जा रहा है । इस कार्य हेतु गृह मंत्रालय, भारत शासन द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है ।

- विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत शासन द्वारा एस.ई.आर.सी. यंग साइनटिस्ट योजना के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन योजना निरूपण में डेन्स गैस डिशपरसन मॉडलिंग के उपयोग पर शोध कार्य क्रियान्वित है।

भाग छः

संस्थान द्वारा एनविस योजना के अंतर्गत न्यूजलेटर का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनसामान्य को प्राकृतिक और औधोगिक आपदाओं के संभावित प्रभावों से बचाव एवं पूर्व तैयारी हेतु जनजागृति सूचना पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है ।

भाग सात

राज्य की महिला नीति के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के पालन पर संस्थान द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। संस्थान में कार्यरत महिला कर्मियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संस्थान में मूलभूत भौतिक सुविधाओं को वेहतर किया गया है। महिला उत्पीड़न को रोकने हेतु एक समिति बनाई गई है। अभी तक इस समिति के समक्ष किसी भी महिला कर्मी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यह तथ्य संस्थान में उच्च कोटि के अनुशासन को परिलक्षित करता है।

संस्थान के मुख्य गतिविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम एम जन–जागृति कार्यक्रम में महिला वर्ग को विशेष जोर देते हुए संस्थान द्वारा इस वर्ष महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने वाले सभी प्रशिक्षण एवं जन–जागृति कार्यक्रमों में महिला प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विशेंष जोर दिया गया है। इस वर्ष संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या पूर्व वर्षों की अपेक्षा अधिक रही है।

भाग – आठ

सारांश

संस्थान स्थापना काल से ही अपने उददेश्यों की प्राप्ति हेतु सतत् रूप से प्रयासरत है। इन प्रयासों को जारी रखते हुये संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष में आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों जैसे रिमोट सेंसिग, जी.आई.एस. तकनीक आदि विषयों का समावेश कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सलाहकारिता सेवा को ओर अधिक प्रखर बनाया गया है। इन उपलब्धियों की वजह से अब संस्थान को राष्टीय एवं अन्तराष्टीय संस्थानों द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में पहचाना जा रहा है। संस्थान अपनी विशिष्ट जानकारी एवं कार्यो की वजह से आपदा प्रंबंधन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बना चुका है तथा मध्यप्रदेश राज्य में आपदा न्यूनीकरण की दिशा में उत्तरोत्तर कार्य कर रहा है।

संकलन एवं आकल्पन
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
भोपाल

कैलाश प्रिंटिंग प्रेस भोपाल फोन 2552411 द्वारा मुद्रित